खण्ड-409, अंक-9
सोमवार, 16 फाल्गुन, शक संवत् 1915
(7 मार्च, 1994 ई0)

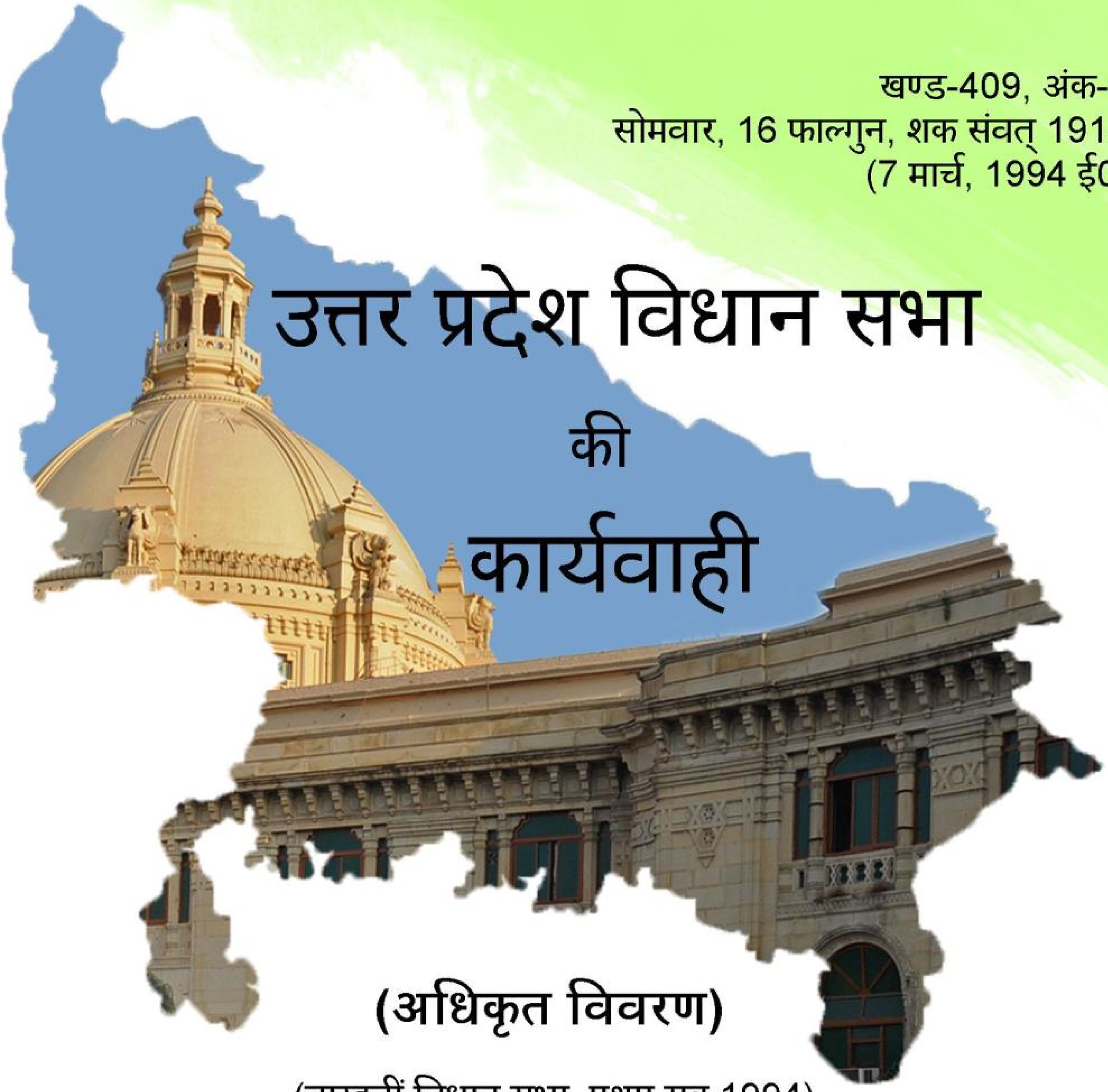

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1994)

खण्ड 409 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1994

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–91
प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ...	91–92
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	92–93
जनपद मुजफ्फरनगर में संग्रह अमीनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93
आगरा क्षेत्र के नगला देवजीत एवं कछपुरा में ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
हरदोई में सांडी से बिलग्राम राष्ट्रीय मार्ग पर नियमित बसें चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़ क्षेत्र के कतिपय गांवों में अग्निकाण्ड से पीड़ित लोगों को राहत दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
अलीगढ़ के हाथरस निवासी श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाने की सी० आई डी० जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद हरदोई के माधोगंज और मल्लावां विद्युत उपग्रहों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	95
सिद्धार्थनगर जनपद के सृजन के बाद भी जिला मुख्यालय नौगढ़ में होने से अनेक कठिनाइयों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
नियम 311, 56 एवं 300 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय..	96-99
किसान कुटीर महाविद्यालय, जौनपुर में छात्रसंघ के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक छात्र की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना...	99-101
बाराबंकी जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	101-102
राजकीय दीक्षा विद्यालय, झड़ी पानी देहरादून की लीज भूमि को बेचने के संबंध में उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	102-103
जनपद हरदोई के थाना सुरसा, ग्राम ओदरा नेवलिया के 12 लोगों की हत्या किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	103-107
बीसा की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पाकिस्तानी लोगों के उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से रहने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
जनपद वाराणसी के सैय्यद राजा के आस-पास से गाय व बैलों की तस्करी किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	108-110

विषय	पृष्ठ संख्या
सदन में आरोप-प्रत्यारोप के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्देश	110-111
जनपद इलाहाबाद में प्रशासन द्वारा 26 मकानों को बुल्डोजर द्वारा ध्वस्त किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद लखीमपुर में दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	112
दिनांक 3 मार्च, 1994 की अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	112-113
मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	113-119
प्रदेश में महिला उत्पीड़न तथा उन्नाव जिले के कलंदर खेड़ा गांव में दलित जाति की महिला के साथ बलात्कार व हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	119-124
कानपुर देहात के भोगनीपुर मुख्यालय पुखरायां में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	125
पिछड़ा वर्ग आयोग के लिये भवन तथा स्टाफ उपलब्ध न कराये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	1125-127
सपा व बसपा पार्टी के गठबन्धन में झगड़े से उत्पन्न विभ्रम तथा फैजाबाद के एक विधायक को पीटे जाने विषयक पत्र के सम्बन्ध में जानकारी ..... (जारी)...	127
संसदीय नियमों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	127-128
सपा व बसपा पार्टी के गठबन्धन में झगड़े से उत्पन्न विभ्रम तथा फैजाबाद के एक विधायक को पीटे जाने विषयक पत्र के सम्बन्ध में जानकारी ...	129
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	129
दिनांक 4 मार्च, 1994 को श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये आश्वासन पर नियम 300 की सूचनाओं को लिये जाने की मांग	129-130
दिनांक 5 मार्च, 1994 को इलाहाबाद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कांशीराम द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री को चेतावनी दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	130-133
संविधान के 73वें संशोधन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में पंचायती राज की नयी व्यवस्था हेतु कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	133-135
आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न सं० 118 का अस्पष्ट एवं मनगढ़न्त उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	135-136
श्रीमती ब्रह्मवती, निवासी कृष्णापुरी, मुजफ्फरनगर को पुलिस द्वारा पीटने तथा निर्वस्त्र घुमाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	136-137

विषय	पृष्ठ संख्या
लखनऊ विश्वविद्यालय में 25 फरवरी, 1994 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को विखंडित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	137-138
दिनांक 2 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	138-139
प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं में तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	139-140
जनपद बहराइच के जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार आवंटित विकास कार्यों में विधायकों की संस्तुति के विपरीत परिवर्तन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	140-141
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	141-149
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	149-150
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बाबरी में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	150-152
जनपद टिहरी गढ़वाल में आये भूकम्प से जल स्रोतों के सूख जाने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	152-153
नत्थियां	154-163

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1994

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	तीरथ राज, श्री	सोनभद्र
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा	दीनानाथ भास्कर, श्री	वाराणसी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	दौलत राम, श्री	सीतापुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	बाबू खां, श्री	हरदोई
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	बेचन राम, श्री	गोरखपुर
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली	मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद	महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रघुराज प्रताप सिंह, कुंवर उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
रमेश पोखरियाल ''निशंक'' श्री	गढ़वाल
राजबीर सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
रामकृष्ण वर्मा, श्री	मेरठ
राम लखन वर्मा, श्री	फैजाबाद
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
लालजी, श्री	वाराणसी
विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	मथुरा
विश्म्भर सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
शशि बाला भारती, श्रीमती	खीरी
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
संदीप अग्रवाल	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
सुशीला सरोज, श्रीमती	हरदोई
स्वयम्वर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 311 में हम लोगों ने एक नोटिस दी है .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल हो जाने दें, सुन लूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रश्न प्रहर के पहले कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । प्रश्न काल हो जाने दें, सुन लूंगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले समयमान तथा प्रोन्नत वेतनमान की अवधि कम किये जाने की मांग

**1–श्री छोटे लाल, श्री मोहर सिंह, श्री रवीन्द्र पुण्डीर तथा श्री महेन्द्र पाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारियों को क्रमशः 10 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा पर मिलने वाले समयमान तथा प्रोन्नत वेतनमान को क्रमशः 8 वर्ष एवं 14 वर्ष में दिये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर अंतिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत केन्द्र से बेहतर सुविधा अनुमन्य है । वैसे समयमान वेतनमान में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है ।

[(नत्थी (क) (अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने एवं संबंधित प्रश्नकर्ता सदस्यों के उपस्थित न होने पर)]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें हम लोगों की रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में देख लेंगे ।

केन्द्रीय सरकार की भांति प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने की मांग

**2–श्री प्रेम सिंह तथा श्री राम आधार यादव (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ता देने हेतु सरकार विचार कर रही है ?। यदि हां, तो शासनादेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के संबंध में राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से समता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त अन्य भत्तों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से समता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर एवं संबंधित प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों के उपस्थित न होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, रुचि है।

मान्यवर, रुचि हम लोगों ने प्रदर्शित की है, कृपया ले लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पूरे प्रश्न ले लीजिये, समय जब बचेगा तो ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी, मैं बाद में ले लूंगा।

[दिनांक 30 मार्च, 1992 के निलम्बित सदस्यों के उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ० प्र० से बाहर की संस्थाओं से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को प्रदेश के राजकीय व परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति दिये जाने की मांग

*1–श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० से बाहर की संस्थाओं से सी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को उ० प्र० के राजकीय व परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस संबंध में नीतिगत फैसला कब तक हो जायेगा ? यदि हां, तो सरकार उन सैकड़ों युवक/युवतियों के विषय में क्या निर्णय लेने जा रही है, जिन्होंने गत फरवरी, 1993 में विभिन्न जनपदों में नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दे दिया है ? क्या सरकार उन्हें नियुक्ति देने पर विचार करेगी ?

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

जी हां ।

यथा शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(नत्थी ख–तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने एवं संबंधित प्रश्नकर्ता के उपस्थित न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

सरकारी खर्चे कम करने के संबंध में शासन की नीति

*2–श्री हृदय नारायण–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी खर्च कम करने के संबंध में नई सरकार की क्या नीति है ? क्या नई सरकार ने मंत्रि-परिषद् पर होने वाले खर्च को भी घटाने की कोई कार्य योजना तैयार की है ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

(क) सरकारी खर्च में कमी करने के लिये सरकार कृत संकल्प है तथा सभी को मितव्ययता बरतने के निर्देश दिये गये हैं ।

(ख) मंत्रि-परिषद् पर हो रहे खर्च को घटाने के संबंध में ऐसी कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है, किन्तु मितव्ययिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री हृदय नारायण–

मान्यवर, सरकारी खर्चों में कमी करने के लिये पहले भी कई बार निर्देश प्रमुख सचिवों/जिलाधिकारियों को दिये गये हैं । सम्भवतः जैसा कि उत्तर में बताया गया है निर्देश जारी हुए होंगे। क्या कहीं ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई है कि बार-बार निर्देश जारी करने के बावजूद सरकारी खर्च में कमी करने संबंधी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ? अगर पालन हुआ है, तो कितना हुआ है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी बहुत ही जानकार लोगों में से है, विधायक ही विधेयक बनाते हैं, उनके बहुमत से ही मंत्रिपरिषद् बनता है । इस संबंध में कोई कार्य योजना नहीं विचाराधीन है लेकिन, समय-समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मा० मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पत्र लिखा है कि वे मितव्ययता बरतें । श्रीमन्, यह आत्म अनुशासन की बात है । हम सब लोग मा० हृदयनारायण जी की भावना का आदर करते हुए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए मितव्ययिता पर पूरा ध्यान देंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, योजना आयोग ने भी यह अपेक्षा प्रकट की है कि अपने संसाधनों को बढ़ायें और खर्चों में कटौती करें । पिछले दो माह में मंत्रिपरिषद् पर जो चाय, जलपान पर खर्च हुआ है, यात्राओं पर खर्च

हुआ है, उसमें और 1992 में मंत्रिपरिषद् में जलपान हवाई यात्राओं पर जो खर्च हुआ है क्या कोई कमी आयी है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसकी कोई सूचना अभी हमारे पास नहीं है । लेकिन मैं मानता हूं कि इस समय हम लोग एक चाय और दो बिस्कुट लेते हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, क्या सरकार इसलिये कमजोर हो गयी है कि बिस्कुट और चाय पर चल रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लगता है कि माननीय मंत्री जी से मिलने कोई आता नहीं होगा । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी खर्चों में कमी करने के लिये एक आयोग का गठन हुआ, मजुमदार आयोग, उस आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिली है या अन्तरिम रिपोर्ट मिली है ? तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्य योजना बना रही है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आयोग की कोई सूचना नहीं है । लेकिन सरकारी खर्च में कमी करने के लिये कई निर्णय लिये गये हैं । आपकी अनुमति से मैं पढ़ देता हूं । पहला–आयोजनेत्तर पक्ष से सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी (लिपिक) एवं चतुर्थ श्रेणी के गैर तकनीकी पद तथा श्रेणी 1 व 2 के प्राविधिक कोटि के पदों को छोड़कर अन्य पद, जो रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होंगे तब तक न भरे जायें जब तक कि संवर्गों में पांच प्रतिशत पद कम न कर दिये जायं । उक्त प्रतिबन्ध उस दशा में लागू न होगा जहां आरक्षित कोटे (अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़ी जाति को पूरा करने हेतु भर्ती की आवश्यकता हो) । दूसरा–जीरो बैस बजटिंग प्रणाली के आधार पर कार्यक्रम/कार्यकलापों की समीक्षा की जाय । इसके फलस्वरूप जो बचत हो वह चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाय । तीसरा–नई गाड़ियों (रोगी वाहनों को छोड़कर) क्रय न की जायं और पुरानी निष्प्रयोज्य गाड़ियों का प्रतिस्थापन चरणों में वित्त विभाग की सहमति से ही किया जाये । चौथा–आवासीय टेलीफोन रु० 3700-5000 वेतनमान से कम के वेतनमान के अधिकारियों को अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किये जायं तथा आवासीय टेलीफोन के लिये जो फ्री-काल्स की सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गयी है उसका कड़ाई से पालन किया जाय । पांचवां–भारत सरकार व प्रदेश मुख्यालय पर लम्बित मामलों के अनुश्रवण हेतु अधिकारी/कर्मचारी बार-बार दिल्ली/लखनऊ न जावें । इस संबंध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत आदेशों का सख्ती से पालन किया जाय । सरकारी दौरों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारी अपना पर्सनल स्टाफ साथ न ले जायें । यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के संबंध में भी लागू होगा । छठा–शासकीय वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत में 20 प्रतिशत की कमी (1989-90 की अपेक्षा) की जाय । इस संबंध में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने की सुविधा वापस ले ली गयी है । सातवां–नव वर्ष अथवा अन्य उत्सवों पर शासकीय व्यय पर बधाई संदेशों को भेजने, कलेन्डर और डायरी आदि के मुद्रण, वितरण एवं अन्य ऐसी सामग्री आदि के वितरण को निषिद्ध कर दिया गया है । साथ ही शासकीय व्यय पर किये जाने वाले सभी प्रकार के मनोरंजनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है । आठवां–पदधारक आदि बदलने पर नये फर्नीचर एवं साजसज्जा की स्वीकृति धन के पुनर्विनियोग के द्वारा नहीं दी जायेगी। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर पुनर्विनियोग के, जो अधिकार प्रदत्त हैं, वापस

ले लिये गये हैं । नवां–यात्रा-व्यय पर अधिकाधिक मितव्ययिता की जाय तथा मण्डलीय स्तर पर होने वाली बैठकों की संख्या युक्ति-संगत रखी जाये । दसवां–शासन के उच्च स्तर पर, जहां कार्यहित में आवश्यक हो, जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख के अलावा अन्य अधिकारियों के आवास पर एक से अधिक फोन की सुविधा उपलब्ध न कराई जाय और यदि एक स्रोत से एक फोन की सुविधा उपलब्ध है तो किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त फोन सुविधा उपलब्ध न कराई जाय । वर्तमान में जहां आवास पर अतिरिक्त फोन सुविधा उपलब्ध है उसे समाप्त किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के निर्देशों का ब्योरा पढ़ा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी इन दो महीनों का तुलनात्मक ब्योरा सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

क्या यह सम्भव है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इसका पूरा ब्योरा विभाग से नहीं आया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, जब ब्योरा नहीं आया है तो कैसे सम्भव होगा ? मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब ब्योरा नहीं आया है तो जवाब पूरा नहीं हुआ है । अतः इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

प्रदेश में असहायिक मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की मांग

*3–श्री मित्रसेन यादव (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त कितने माध्यमिक एवं जूनियर हाईस्कूल ऐसे हैं जो सहायता प्राप्त नहीं हैं ? उन्हें सहायता प्राप्त विद्यालय घोषित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

प्रदेश में असहायिक स्थायी मान्यता प्राप्त लगभग 2370 जूनियर हाईस्कूल तथा दिनांक 14-10-86 तक असहायिक मान्यता प्राप्त 251 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जी नहीं । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए वर्तमान में विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना सम्भव नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के सभी कान्वेन्ट स्कूल तथा सरस्वती शिशु मन्दिरों को बन्द/अधिग्रहीत किये जाने विषयक जानकारी की मांग

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी कान्वेन्ट स्कूल तथा सरस्वती शिशु मंदिर बन्द कर दिये जाने अथवा उन्हें अधिग्रहीत किये जाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जिस समय मैंने प्रश्न किया था, उस समय माननीय मंत्री जी के कई बयान आये थे कि इनको बंद कर दिया जायेगा क्योंकि इनमें जो शिक्षा दी जाती है, वह सही नहीं है, लेकिन उन लोगों को धन्यवाद कि अपने उलजलूल बयान में संशोधन कर लिया । यह जो कान्वेंट स्कूल्स हैं, इसमें एक तरफ तो भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा है, उससे इतर की शिक्षा दी जाती है, दूसरे यहां के शिक्षक/शिक्षिकाओं को जो संविधान के प्राविधानों के द्वारा सेवा सुरक्षा प्राप्त है, उसका पालन नहीं होता। यहां इन कान्वेंट स्कूलों में जो बच्चों को किताबें प्रिस्क्राइब्ड की जाती हैं, उसका भार बहुत होता है और मजबूर किया जाता है, उन पुस्तकों को विद्यालय से ही मनमाने दाम पर खरीदना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो वहां की शिक्षा की पुस्तकें हैं, उनको भारतीय संस्कृति पर आधारित करने, पुस्तकों का बोझ कम करने और राजकीय पाठ्य पुस्तकों के अनुसार शिक्षा दिलाने तथा शिक्षक/शिक्षिकाओं को सेवा सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा प्रकट की है, वह प्रश्न से हटकर है, इसलिये माननीय मंत्री जी को मैं मजबूर नहीं कर सकूंगा । अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

[नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर]

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक अनुपूरक प्रश्न तो पूछ लेने दें ।

श्री अध्यक्ष–

पाल जी, आप तो स्वयं काफी जानकार हैं, आप कृपया बैठ जायें ।

(श्री श्याम देय राय चौधरी तथा श्री जगदम्बिका पाल के पुनः अनुरोध करने पर)

आप इसे अल्पसूचित में डाल दीजिये, मैं स्वीकार कर लूंगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

अगर संबंधित होंगे तो मैं उत्तर दिलवा दूंगा । पहले आप लोग मेरी बात सुन लें । मैं प्रश्न पढ़े देता हूं । माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था चौधरी जी का मूल प्रश्न था–क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी कान्वेंट स्कूल तथा सरस्वती शिशु मंदिर बन्द कर दिये जाने अथवा उन्हें अधिग्रहीत किये जाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर आ गया, जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता और न ही यह सरकार के विचाराधीन है । अब आप क्या पूछना चाहते हैं ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, कान्वेंट स्कूलों तथा सरस्वती शिशु मंदिरों में साम्प्रदायिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, मैंने वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में आया है, मेरी जानकारी है कि सरस्वती शिशु मंदिर साम्प्रदायिकता का जहर बोने का काम करते हैं । क्या इसे बन्द किये जाने के संबंध में और दूसरी बात इन मंदिरों में जो शिक्षक रखे जाते हैं उनका भी बेरहमी के साथ शोषण होता है तो क्या इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे शिशु मंदिरों का अधिग्रहण कर लिया जाये या उन्हें बन्द कर दिया जाये ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कान्वेंट स्कूलों या सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों में साम्प्रदायिकता से संबंधित अगर किताबें पढ़ाई जाती हैं तो बतायें, उसको निकालेंगे और मान्यता भी समाप्त कर सकते हैं । यह हमारे अधिकार में हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी साहब का मूल प्रश्न है, इसलिये चौधरी साहब इसको पूछ लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछ रहा था । आपसे अनुरोध है कि हो सकता है कि कुछ इस प्रश्न से हटकरके हो, चूंकि वर्तमान सरकार की शिक्षा नीति का यह प्रश्न है और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देना चाह रहे थे तो नियम में ऐसा कहीं नहीं है कि माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो उनको बलात रोक दिया जाये । मैं पुनः दोहरा रहा हूं । माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कान्वेंट स्कूलों में शिक्षक-शिक्षिकाओं का शोषण होता है, उसको रोकने और दूसरे जो वहां के छात्रों के लिये पुस्तकों का बोझ लाद दिया जाता है और किताबें वहीं से

खरीदने के लिये विवश किया जाता है तो क्या जो सरकार की अप्रूव्ड पुस्तकें हैं उनको वहां लागू करेगी तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं को सेवा संरक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय चौधरी साहब को बताना चाहूंगा कि उनका जो प्रश्न है वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं इस संबंध में बताना चाहता हूं कि । आपने कान्वेंट स्कूलों के बारे में बात की है । मान्यवर, कान्वेण्ट में ही इस समय नहीं होता, इस समय सरस्वती शिशु मंदिर में भी होता है, अगर कान्वेण्ट या सरस्वती शिशु मंदिर या अन्य किसी स्कूल में किसी तरह की बात होती है तो हम उसकी जांच करायेंगे, दोषी व्यक्ति को सजा मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब को बोलने दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन सरस्वती शिशु मंदिरों के पाठ्यक्रमों से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिल रहा है, उनकी मान्यता समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में जिन-जिन सरस्वती शिशु मन्दिरों में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं क्या उनकी जांच के लिये कोई समिति गठित करने पर विचार कर रहे हैं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, बताया गया कि पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है । यह एडीशनल कोर्स के रूप में चलाते हैं । हम भी इसकी इन्क्वायरी करायेंगे । सरकार भी चाहती है कि एक कमेटी बैठायी जाय, उसमें आप लोगों की राय ली भी जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी तक जो शिकायत मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री गुप्त जी, आप बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर से संबंधित जो बात माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उत्तर में कही है जांच करायेंगे यह जानना चाहता हूं कि जब अभी तक सरस्वती शिशु मन्दिर के बारे में जांच नहीं करायी तो यह कैसे मालूम पड़ा कि साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है अर्थात् जांच ही नहीं करायी गयी । मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि पाठ्यक्रम साम्प्रदायिक बढ़ावा वाला है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा अंश पढ़ाया जाता है जिसे वह विद्वेषमूलक हो या साम्प्रदायिकतापूर्ण हो ? क्या सरकार ने उसकी जांच करायी ? यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आपने किस आधार पर सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में यह उत्तर दे दिया और उसका कारण क्या है ?

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं और मेरा सवाल यह है कि सरस्वती शिशु मन्दिर में रैपिड रीडिंग में कौन से अंश हैं जो साम्प्रदायिकमूलक हैं, बताने की कृपा करें ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, उत्तर दिया गया है । माननीय गुप्त जी ने जो पूछा है वह मूल प्रश्न से भिन्न है, इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, शिक्षा की जो चार पद्धतियां चल रही हैं, कान्वेन्ट के माध्यम से, सरस्वती शिशु मन्दिर के माध्यम से, माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से, चौथी माध्यमिक उच्चतर शिक्षा के माध्यम से तो मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या नीति है और इन चारों क्षेत्रों में सरकार ने क्या-क्या किया है ? और कौन-कौन से शिक्षा के क्षेत्र हैं, जहां पर सरकारी नीति का पालन नहीं हो रहा है ? जिन स्कूलों में सरकार की नीति का पालन नहीं हो रहा है, क्या सरकार इन स्कूलों को अधिग्रहीत करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसका जवाब तो पहले ही आ चुका है । फिर भी माननीय सदस्य ने पूछा है तो इस संबंध में मैं इस समय ज्यादा कुछ न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जांच का विषय है । हम जांच करायेंगे और उस पर सरकार विचार कर रही है । यदि कहीं भी कोई इस प्रकार की अनियमितता पायी जायेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह तो मंत्री जी स्वीकार कर ही रहे हैं कि सरस्वती शिशु मन्दिरों में तथा कान्वेन्ट स्कूलों में गलत शिक्षा दी जा रही है । अब इसमें जांच कराने वाली कौन सी बात रह जाती है ?

[नत्थी (घ) पर प्रश्न संख्या–1 पर श्री मातवर सिंह कण्डारी जी का नाम पुकारे जाने पर]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरस्वती शिशु मन्दिरों के बारे में गलत आरोप लगाकर एक घृणित काम किया जा रहा है। सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और इस प्रकार का आधारहीन उत्तर यहां पर दिया गया है । इसलिये सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरस्वती शिशु मन्दिरों तथा कान्वेन्ट स्कूलों में साम्प्रदायिक आधार पर शिक्षा पढ़ाये जाने के मामले में सरकार के संज्ञान में आने के बावजूद भी, यह सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

श्री मातवर सिंह कण्डारी जी, क्या आपने अपने दल के साथ सदन का त्याग नहीं किया है ? लगता है आपने अपने दल के साथ सदन का त्याग नहीं किया ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया था । मैं पुनः आ गया हूं ।

[सोमवार, दि० 7-3-94 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गढ़वाल मण्डल में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्यों/प्रवक्ताओं/अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति की मांग

*1–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में कितने पद प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं एल० टी० ग्रेड में अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं ? गणित एवं विज्ञान के अध्यापकों के अभाव में पठन-पाठन का कार्य कैसे पूर्ण किया जाता है ? कब तक इन रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

गढ़वाल मण्डल में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के 348 पद रिक्त हैं । प्रवक्ताओं के कुल 476 तथा एल० टी० ग्रेड में 520 पद रिक्त हैं । गणित एवं विज्ञान विषयों के अध्यापकों के अभाव में विद्यालय में उपलब्ध गणित/विज्ञान विषय की योग्यता रखने वाले अन्य अध्यापकों से पठन-पाठन का कार्य कराया जाता है । रिक्त पदों की पूर्ति के लिये कार्यवाही चल रही है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उससे संतुष्ट हूं । उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि प्रधानाध्यापकों/प्रधानाचार्यों के 348 पद रिक्त हैं, प्रवक्ताओं के कुल 476 तथा एल० टी० ग्रेड के 520 पद रिक्त हैं । मैंने प्रश्न पूछा था कि इन पदों पर नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, कार्यवाही चल रही है । यदि पूरे पदों को देखा जाय तो पूरे गढ़वाल मण्डल में 1344 पद रिक्त हैं । हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उनमें प्रधानाध्यापक व प्रवक्ता नहीं हैं । जो कार्यवाही चल रही है, इन पदों को भरने के लिए वह कार्यवाही क्या चल रही है और कब तक ये पद भर दिये जायेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, प्रधानाचार्यों के जो पद रिक्त हैं, वे लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं । चयन हेतु सितम्बर/अक्टूबर, 1993 में आयोग को मांग-पत्र भेजा जा चुका है । प्रधानाध्यापक प्रोन्नति का पद हैं विभागीय चयन समिति द्वारा चयन होता है । प्रवक्ता पदों पर अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा चयन होना है (50 प्रतिशत पदों का) उन्हें अप्रैल, 92 में मांग पत्र भेजा जा चुका है । शेष 50 प्रतिशत हेतु विभागीय चयन होता है ।

एल० टी० ग्रेड के पदों पर मंडलीय स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है । मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी रिक्तियों को अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक भर दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पद रिक्त होने पर दूसरे अध्यापकों के द्वारा उन विषयों को पढ़ाया जाता है । तो वह किस संवर्ग के हैं जिनसे पढ़ाया जाता है आप कहेंगे कि सी० टी० संवर्ग के हैं । तो क्या सी० टी० संवर्ग को एल० टी० के बराबर कर दिया है ? अगर उनसे करा रहे हैं तो क्या उनका स्थानान्तरण एल० टी० संवर्ग में कराने की कृपा करेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

श्रीमन्, यह जो प्रधानाचार्य की कहीं पद खाली हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली हैं उन पर लोग आफिसियेट करते हैं, उनसे काम लिया जा रहा है । इसलिये सब मिला कर ऊपर से नीचे तक के पद रिक्त दिखाई पड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अन्तिम प्रश्न कण्डारी जी आप करें ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अन्य अध्यापकों से पठन पाठन कराते हैं । तो क्या विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों को इण्टर कालेजों में छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिये दूसरे लोग सक्षम हैं, तो क्या जिस प्रकार अंशकालिक अध्यापकों की व्यवस्था पहले सरकार ने की थी ? क्या उसी व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे या नहीं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह आपके लिये कठिन हो सकता है मान लीजिये जिसने एम० एससी० किया है तो क्या वह बी० एस-सी० को फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता है ?

*2–डा० सरजीत सिंह डंग–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गढ़वाल मण्डल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पदों को भरने की मांग

*3–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में कुल कितने रा० हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज हैं ? इन विद्यालयों में कहां-कहां और कितने प्रधानाचार्य नियमित हैं ? रिक्त पद कितने-कितने वर्षों से रिक्त चले आ रहे हैं ? अभी तक इन रिक्त पदों को भरने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो समस्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

गढ़वाल मण्डल में 251 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 284 राजकीय इंटर कालेज हैं।

4 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा 8 राजकीय इण्टर कालेजों मे प्रधानाचार्य नियमित हैं। संबंधित विद्यालयों की सूची संलग्न है।

वर्षवार रिक्त पदों की सूचना संलग्न है।

प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। आयोग से चयन सूची प्राप्त होते ही रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायगी।

इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यों के 226 रिक्त पदों को पूर्ति के प्रसंग में अवगत कराना है कि शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य तथा अन्य समकक्ष श्रेणी–2 के रिक्त पदों को विभागीय चयन से भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन 8 सितम्बर, 1993 को भेजा जा चुका है। सीधी भर्ती से इन पदों को भरने के लिये प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154 पर)

*4–श्री हृदय नारायण–

[दि० 1-3-94 को ता० प्र० सं० 20 द्वारा उत्तररित]

लखनऊ में रिंग रोड का निर्माण निर्धारित अवधि में न होने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही एवं निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग

*5–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में रिंग रोड के निर्माण न होने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त मार्ग कितने स्थानों पर अधूरा है ? उक्त रिंग रोड के पूरा होने का क्या समय निर्धारित था ? निर्धारित समय में रोड का कार्य पूरा न होने के लिये कौन-कौन उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह रिंग रोड इस वर्ष पूरा होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत रिंग रोड पूरी लम्बाई में स्वीकृत नहीं है।

सीतापुर से हरदोई मार्ग लम्बाई 10 कि०मी० जो रिंग रोड का भाग है, में निर्माण कार्य स्वीकृत न होने के कारण अधूरा है। लखनऊ हरदोई मार्ग से लखनऊ कानपुर रोड पर पड़ने वाला उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य अधूरा है।

स्वीकृति के अनुसार उपरिगामी सेतु को छोड़कर रिंग रोड का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा उपरिगामी सेतु को पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 1990 निर्धारित था।

रिंग रोड पर पड़ने वाले उपरिगामी सेतु के निर्माण स्थल पर बिजली की लाईन, वाटर सप्लाई के पाइप तथा टेलीफोन की लाईन आने एवं विद्युत विभाग द्वारा 37 के० वी० ए० की बिजली लाइन जून, 1992 में हटाने तथा उपलब्ध वित्तीय सीमित संसाधनों के कारण सेतु निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका जिसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

रिंग रोड पर पड़ने वाले उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य को छोड़कर स्वीकृति के अनुसार केवल रिंग रोड का निर्माण कार्य पूरा है। उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य को पूरा किया जाना पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता तथा रिंग रोड के शेष भाग को पूरा किया जाना कार्य की स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं स्थान बता दूंगा, एरेंजमेंट के बारे में विस्तार से बता दूंगा, आगे का प्रश्न ले लिया है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके चारों तरफ नेशनल हाईवेज हैं, उन पर बड़े-बड़े ट्रक्स गुजरते हैं जिनका लखनऊ शहर से कोई मतलब नहीं है लेकिन पूरे शहर से वह गुजरते हैं और सड़कें खराब होने के कारण रोज कई लोग मरते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न में 1990 के प्रथम सत्र में मंत्री जी ने बताया था कि 8 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है।

मेरा प्रथम प्रश्न है कि जब पूरी रिंग रोड स्वीकृत हुई है जिसकी लखनऊ को जरूरत है तो पूरी स्वीकृत न करके 10 किलोमीटर ही क्यों स्वीकृत हुई है ?

दूसरा प्रश्न है कि रिंग रोड पर पड़ने वाले उपरिगामी सेतु बनने हैं और 3-4 साल हो गये हैं तो उपरिगामी सेतु कब तक बन जायेंगे ?

तीसरा प्रश्न है कि रिंग रोड पर पड़ने वाले उपरिगामी सेतु के निर्माण स्थल पर बिजली की लाइन, वाटर सप्लाई, टेलीफोन लाइन न हटने से रिंग रोड अधूरा है, इसलिये इनको हटाने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, शायद शुक्ल जी ने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं है, पहले कहा है कि पूरा रिंग रोड स्वीकृत नहीं है, पूरी लम्बाई में, बल्कि जितनी लम्बाई में स्वीकृत हुआ है वह कार्य पूरा हुआ है।

जो वर्ष 1990 में कहा था उसके अनुसार वह स्वीकृति जारी करने के लिये कहा और वह कर रहे हैं। वर्ष 1990 के बाद आप कार्यवाही नहीं करवा पाये। मान्यवर, अब अगला कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद हरदोई के संडीला–गौसगंज–मेंहदीघाट मार्ग का निर्माण गंगा नदी के पुल तक कराये जाने की मांग

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि संडीला–गौसगंज–मेंहदीघाट का लगभग 43 किलोमीटर लम्बा मार्ग, गंगा नदी के पुल से न मिलाये जाने से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या शेष 6 किलोमीटर मार्ग का निर्माण कराकर अधूरे मार्ग को पूरा कराकर अधिक उपयोगी बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

सम्प्रति इसकी आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेंहदीघाट सेतु व राज्य मार्ग 21 से इस मार्ग को जोड़ने हेतु 6.5 कि०मी० लम्बे "कन्नौज मार्ग से राघवपुर मार्ग का मेंहदीघाट तक विस्तार" नामक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–6 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य श्री राम आसरे वर्मा ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया)

जनपद हमीरपुर के कस्बा मौदहा में महाविद्यालय खोले जाने की मांग

*7–श्री बशीर (अनुपस्थित)–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौदहा कस्बा, जनपद हमीरपुर का महत्वपूर्ण कस्बा होने के बावजूद महाविद्यालय न खोले जाने का क्या कारण है ? यदि मौदहा में महाविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है, तो किस सत्र में विद्यालय प्रारम्भ होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि एवं भवन उपलब्ध न होने के कारण महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है ।

राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यक 10 एकड़ भूमि तथा अस्थायी भवन के उपलब्ध होने पर महाविद्यालय की स्थापना किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद बलिया में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में राज्य सेक्टर से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण किये जाने की मांग

*8–श्री संग्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90, 1990-91 और वर्ष 1991-92 में बलिया जनपद में राज्य सेक्टर से कितनी-कितनी और किन-किन सड़कों और पुलों का निर्माण स्वीकृत किया गया था ? उनमें से किन-किन सड़कों पुलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था एवं कौन-कौन से प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हुए हैं ? क्या सरकार उन सभी स्वीकृत योजनाओं को सरकार की घोषित नीति के अनुसार पूरा करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद बलिया में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 में 5 कार्य, 1990-91 में 8 कार्य 1991-92 में 25 कार्य (इस प्रकार कुल 38 कार्य जिनमे से 35 मार्ग तथा 3 सेतु) निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे । (सूची संलग्न)

उक्त 38 कार्यों में से 26 कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था जिनमें से 6 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 20 कार्य अपूर्ण हैं । (सूची 2 संलग्न) एक वृहद सेतु का कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है तथा 11 कार्यों का निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 30-5-1992 द्वारा निरस्त किया जा चुका है । (सूची–3 संलग्न)

स्वीकृत कार्यों को पूरा किया जाना राज्य योजना/जिला योजना में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर सम्प्रति सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 155–157 पर)

श्री संग्राम सिंह यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि, मुझे दुख है कि बलिया जनपद को इस तरह भुला दिया जाता है । मंत्री जी ने जो कहा है कि 38 कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 26 पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया और उसमें से 6 कार्य पूरे कर लिये गये मुलायम सिंह यादव की सरकार में, 8वे नम्बर पर मेरे निवास की सड़क है, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में यह कार्य स्वीकृत किया गया और पहली किश्त में जितना पैसा दिया, वह कार्य कराया गया और भाजपा सरकार में.....

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री संग्राम सिंह यादव–

वही कार्य रोक दिया गया और अधिकारियों ने लिख दिया, कि कार्य पूर्ण करा दिया गया, वही सूचना मंत्री जी के पास आ गई है । मैं अपने निवास जाने के लिये दो किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करता हूं और तीन किलोमीटर पैदल जाता हूं, तो यह कार्य कब तक पूरे करा लिये जायेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि बलिया में कर्पूरी चेरूइयां मोहान की मठिया सम्पर्क मार्ग और मांझी घाट घाघरा सेतु का निर्माण कार्य 17 साल पहले प्रारम्भ किया गया था, भागलपुर सेतु का निर्माण कार्य 8 साल पहले शुरू किया गया था और रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु कोई कार्य पूरा नहीं हुआ, बलिया जनपद को इस तरह से भुला दिया गया है । इस उपेक्षा के कारण पहले वहां की जनता ने पृथक पूर्वांचल राज्य की मांग करना प्रारम्भ कर दिया था और यही स्थिति अब भी रही तो फिर वहां के लोग अपने लिए पृथक पूर्वांचल प्रदेश की मांग करने लगेंगे । इसलिए हमें इस तरह न भुलाया जाए, और .....

श्री अध्यक्ष–

इसका इतना उत्तर आने दीजिए, अब बैठिये ।

श्री संग्राम सिंह यादव–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन कार्यों को कब तक पूरा कराया जायेगा ? क्या इसके लिये इस बजट में धन दिया जाएगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारी पहली सरकार ने वहां काफी काम स्वीकृत किये थे, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, किन्तु 30-5-92 को तत्कालीन सरकार द्वारा तमाम कार्य निरस्त कर दिये गये थे । अब आप बजट पास होने दीजिए, तब आपसे बात करते हैं, कोई रास्ता निकलेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 30-5-92 को भाजपा सरकार ने स्वीकृत सड़कों के निर्माण का कार्य निरस्त कर दिया था, तो इसमें दो प्रकार की सड़कें थीं, एक वह है

जिन पर उस समय तक कुछ कार्य हो गया था और दूसरी वह सड़कें हैं जिन पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था, तो इन दोनों प्रकार की सड़कों के बारे में मंत्री जी ने क्या निर्णय लिया है? जो शुरू हुई थी, वह कब तक पूरी करा देंगे और जिन पर शुरू नहीं हुआ था, उनके बारे में आपका क्या निर्णय है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो कार्य 1992 में निरस्त किये गये थे, हम समझते हैं कि राजनैतिक विद्वेष से निरस्त किये गये थे, अब उनकी उपयोगिता देखते हुए उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस सम्बन्ध में जो अपेक्षा है, उसके बारे में आप हमें लिखकर दे दें ।

किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ में किसानों द्वारा क्षेत्रफल के मुताबिक गन्ना न बोये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*9–श्री अक्षयवर भारती (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ में वर्ष 1990-91 व 1991-92 तथा 1992-93 में किन-किन पांच किसानों ने सबसे अधिक गन्ना, मिल में दिया है ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन किसानों के पास कुल कितने क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया था ? यदि क्षेत्रफल के मुताबिक गन्ना नहीं है, तो उक्त अनियमितता हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1993 में हाईस्कूल तथा इण्डरमीडियेट में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के स्क्रूटनी का परीक्षाफल घोषित करने की मांग

*10–श्री बच्चा पाठक (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1993 में हाईस्कूल तथा इन्टरमीडियेट में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं द्वारा स्क्रूटनी कराने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद बोर्ड को उनके द्वारा निर्धारित शुल्क, तिथि एवं फार्म पर परीक्षाफल निकलने के एक माह के अन्दर आवेदन किया गया था किन्तु आज तक उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया ? क्या इससे हजारों छात्र/छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस कार्य के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार आदेश देने की कृपा करेगी ?

डा० मसूद अहमद–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित वर्ष 1993 की हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषणा के पश्चात् निर्धारित तिथि तक हाईस्कूल में 50271 तथा इण्टर में 39457 छात्र/छात्राओं ने सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) हेतु आवेदन किया था । सन्निरीक्षा के फलस्वरूप हाईस्कूल में 3504 तथा इण्टर में 2288 छात्र/छात्राओं के अंकों में परिवर्तन हुआ । इनमें से हाईस्कूल के 846 तथा इण्टर के 374 छात्र/छात्राओं को अंकों के परिवर्तन की सूचना प्रेषित की जा चुकी है । शेष 4544 छात्रों को अंकों में परिवर्तन की सूचना भेजी जा रही है ।

परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में 15 मार्च, 1994 तक शेष को सूचित करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

नवसृजित जनपद महराजगंज के विकास हेतु जिला योजनाओं को लागू करने की मांग

*11–श्री चन्द्र किशोर–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2 अक्टूबर, 1989 को महराजगंज को जिला घोषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी शासन स्तर से जनपद के विकास हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? क्या सरकार जनपद महराजगंज के विकास हेतु तत्काल कार्यवाही कर योजनायें लागू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

महराजगंज जनपद का सृजन 30 सितम्बर 1989 को जारी अधिसूचना के द्वारा किया गया है तथा वर्ष 1990-91 से जनपद को जिला योजना हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। इस प्रकार जनपद स्तर से जिला योजना संरचना का कार्य एवं उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

श्री चन्द्र किशोर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महराजगंज जनपद के लिये योजना संरचना के लिये 1990-91 से जो धनराशि आवंटित की जा रही है, वह कहां जा रही है। जबकि वहां पर अभी तक जिला मुख्यालय के लिये जमीन एक्वायर नहीं की गयी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया था वह यह था कि जनपद के विकास हेतु कोई कार्यवाही की गई है। योजना के लिये धन आवंटित किया गया है 1991-92 में 1067.80, 1992-93 में 867.59, 1993-94 में 891.18, 1994-95 में 1118 लाख 93 हजार।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, जब वहां जमीन ही आवंटित नहीं की गयी है, तो यह धन कहां लगा रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न में नहीं पूछा गया था, जितना प्रश्न पूछा गया था उसकी पर्याप्त जानकारी दे दी गई है। उसके लिये अलग से प्रश्न कर लें।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राइवेट संस्थाओं के जूनियर हाईस्कूलों की शर्तों को उदार बनाने की मांग

*12–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्राइवेट संस्थाओं को जूनियर हाईस्कूलों की शर्तों को उदार बनाने पर सरकार विचार करेगी ? क्या यह सत्य है कि बालिकाओं की शिक्षा हेतु शर्तों को बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश ने सरकारी आदेश से और अधिक कड़ा कर दिया है ? क्या इसमें धन को बढ़ाया गया है और जमीन की शर्तें पहले से कड़ी हैं ? क्या बालिकाओं में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने और प्राइवेट संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करके स्कूलों को खोलने के लिये देहाती क्षेत्रों में प्रबन्ध किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों तथा अधिनियम को उदार बनाने की योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा हेतु मान्यता की क्रीड़ा क्षेत्र से संबंधित शर्त में उदार दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार इस बिन्दु पर विचार किया जायेगा ।

आवश्यकतानुसार विचार किया जायेगा ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह जो नियम उदार बनाये गये हैं वह कब बनाये गये हैं ? क्या उनको प्रत्येक मण्डल में बेसिक शिक्षा के जो सहायक निदेशिका हैं या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको यह उदार नियम पहुंचाये गये हैं या नहीं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, शासनादेश दिनांक 2-7-90 में दिये गये प्राविधान के अनुसार तथा दिनांक 11-5-92 के द्वारा किये गये संशोधन में मान्यता संबंधी शर्तें में विद्यालय स्थापित करने हेतु पांच किलोमीटर की परिधि में कोई विद्यालय न होने के स्थान पर अब 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय न होने पर विद्यालय बनाना प्रस्तावित है ।

एक सदस्य–

यह संशोधन किया गया है कि नहीं इसको लागू किया गया है कि नहीं ? इस बारे में बताइये ।

श्री अध्यक्ष–

पहले पूरा उत्तर आ जाने दीजिये ।

डा० मसूद अहमद–

अ और ब श्रेणी के लिये स्पष्ट कर दिया गया है कि ब श्रेणी के लिये एक कमरा लिन्टर का 20x30 फिट का विज्ञान के लिये होना आवश्यक है । शेष कक्ष कोई निर्धारित माप के नहीं हैं । इसके लिये छात्र संख्या निर्धारित की जायेगी । पहले पांच कमरे का प्राविधान था । इसे अब एक पक्के कमरे का कर दिया गया है । खेल कूद के मैदान के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान थे । ग्रामीण क्षेत्र में 2 एकड़ था संशोधित प्राविधान में इसे एक एकड़ कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

जो पहले से निर्धारित हैं उसको छोड़िये । क्या अब इसमें आप कोई शिथिलता करेंगे, इसको जानने की अधिकतर लोगों की जिज्ञासा है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जो जूनियर हाईस्कूल हैं उनमें इस तरह की कोई शर्तें न हों ? अगर दो कमरे तीन कमरे की इमारत है तो वहां बेसिक शिक्षा विभाग जूनियर हाई स्कूल को खोल देता है, मान्यता दे देता है क्योंकि सरकारी होता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जहां-जहां बाजार हैं वहां-वहां जमीन नहीं मिलती है, शहरों में जमीन नहीं मिलती है, ग्राम सभाओं की जमीनें भी खत्म हो गई हैं । स्कूलों पर प्रतिबन्ध लगाकर, उन संस्थाओं को जमीन देने के लिये एक्ट बनाकर, जमीन देना बन्द कर दिया ? तो क्या सरकार नियमों को उदार करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा संस्थायें स्कूल खोल सकें ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था हेतु कटिबद्ध है । बहुत कुछ किया है, जो नियम हैं उनमें शिथिलता लाने का कार्य किया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने 1990-91 के शासनादेशों का हवाला दिया । यह सदन यह जानना चाहता है कि जिन शर्तों पर राजकीय क्षेत्र में चलने वाले जूनियर हाईस्कूलों का संचालन होता है क्या वही शर्तें मान्यता के लिये प्राइवेट क्षेत्रों में बालिका और बालकों से संबंधित जूनियर हाई स्कूलों पर लागू करने के बारे में विचार करेगी ?

डा० मसूद अहमद–

मैं बताना चाहता हूं पहले भी कह चुका हूं आपके सामने फिर कह रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मुख्य बात यह है कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता की शर्तें प्राइवेट क्षेत्रों के लिये जो रखी गई हैं उसमें कमरों की लम्बाई-चौड़ाई इतनी दिखा दी गई है कि जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है तो क्या सरकार उन्हीं शर्तों पर मान्यता देने पर विचार करेगी, जो राजकीय क्षेत्रों में चलने वाले जूनियर हाई स्कूल पर लागू हैं ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, बालिकाओं की शिक्षा के लिये आवश्यक शिथिलता देने पर विचार किया जायेगा । माननीय सदस्य के विचार भी इस संबंध में ले लेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्या है ? इनको साक्षर करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरा महत्वपूर्ण सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

आप जिद न करिये ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत जो बहुत कम है कुछ माननीय सदस्य 26 प्रतिशत कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि 16 प्रतिशत होगा, बहुत सी संस्थायें बालिकाओं के लिये जूनियर हाई स्कूल, इन्टर कालेज खोलना चाहती हैं उनको अनुदान सूची में लाने के लिये अलग से नियम बनायेंगे ? अलग से उसको सूचीबद्ध करने की कृपा करेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने 16 प्रतिशत की बात कही और एक माननीय सदस्य ने 26 प्रतिशत की बात की । जहां तक बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में बात है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत स्थान बालिकाओं के लिये रखे गये हैं । इसके अलावा अनुदान सूची पर लाने के लिये 20 प्रतिशत बालिकाओं के विद्यालय लेंगे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अवैध घोषित विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों की जानकारी की मांग

*13–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों को अवैध घोषित किया है ? उसका कारण क्या है ? इस परिप्रेक्ष्य में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० मसूद अहमद–

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1/.8 पर)

विधि सम्मत रूप से स्थापित न होने के कारण ।

(1) फर्जी विश्वविद्यालयों के संबंध में प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों को सतर्क रहने हेतु परिपत्र जारी किये गये ।

(2) संचार माध्यमों से छात्रों/अभिभावकों को फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लेने हेतु सचेत किया गया ।

(3) फर्जी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय अभी विधिवत् स्थापित नहीं हुए हैं उन्हें निर्दिष्ट किया गया कि वे विधिवत् स्थापना के पूर्व शिक्षण कार्य प्रारम्भ न करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो विधि सम्मत रूप से स्थापित न होने के कारण फर्जी बताया गया है, उनको फर्जी घोषित किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तो यह बात सरकार की जानकारी में कब आई ? और दूसरा प्रश्न यह है कि इन विश्वविद्यालयों, जिनमें से कई देश की महान विभूतियों के नाम से यह विश्वविद्यालय खोले गये हैं जैसे सुभाष चन्द्र बोस, संत रविदास, महाराणा प्रताप और इनमें विद्यार्थियों ने दाखिला लिया और वहां से शिक्षा उत्तीर्ण कर वहां से निकल भी गए तो सरकार को उनके जन्म के समय ही कार्यवाही करनी चाहिये थी । लेकिन अब छात्र वहां से उत्तीर्ण कर चले गये और उनकी मान्यता न होने के कारण उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया उनकी शिक्षा कोई काम की नहीं रही तो उनकी जो डिग्रियां हैं उनको रिकग्नाइज करेगी ? और जो तीसरे पार्ट में कहा गया है कि फर्जी विश्वविद्यायों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है । तो कब से यह कार्यवाही प्रारम्भ की गई ? और अभी तक इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? और इसके चौथे पार्ट में कहा गया है कि जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय अभी विधिवत् स्थापित नहीं हुए हैं उन्हें निर्दिष्ट किया गया कि वे विधिवत् स्थापना के पूर्व शिक्षण कार्य प्रारम्भ न करें । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी तक ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं जो खुले हैं लेकिन वहां शिक्षा नहीं प्रारम्भ हुई हैं और उनको सत्र प्रारम्भ न करने की हिदायत दी गई है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने जो पूछा है उस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास सूची है उसके अनुसार 11 विश्वविद्यालय हैं । दूसरी बात महान विभूतियों को अगर गलत कार्य के लिये जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाले लोग दोषी हैं न कि महान विभूतियां । महान विभूतियों का नाम जोड़ना गलत हैं । अगर गलत विश्वविद्यालय से किसी ने सर्टीफिकेट लिया है तो वह गलत है उसके लिये हम जिम्मेदार नहीं हैं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग को पुकारे जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डंग साहब को बुला लिया है उसके बाद आप पूछ लीजियेगा ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है । हम लोग प्रश्न करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता है तो फिर प्रश्न करने से फायदा नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मुझे दुख है । यह शिक्षा से संबंधित विषय है । इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है कि जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए मंत्रिगण हैं, चाहे [विधान परिषद् हो] या विधान सभा की कार्यवाही हो, उसमें जो प्रश्न किये जा रहे हैं कहीं संगत उत्तर नहीं आ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह आप कैसे कहियेगा कि विधान परिषद् में सही उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं ? यह आरोप है । विधान परिषद् की बात यहां नहीं उठा सकते हैं ।

एक सदस्य–

चौधरी जी अपनी बात को वापस ले लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह जो फर्जी विश्वविद्यालय हैं, 11 की सूची दी गयी है मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 11 विश्वविद्यालय फर्जी हैं, सरकार के संज्ञान में यह बात कब आयी ? दूसरे यह कि सरकार के संज्ञान में आने के पहले जो छात्र यहां से शिक्षा ग्रहण करके, उत्तीर्ण होकर चले गये उनके भविष्य को देखते हुए, उनकी डिग्रियों का क्या होगा, इस संबंध में सरकार क्या निर्णय लेगी ? अगला सवाल यह है कि जैसा कि उत्तर में उन्होंने कहा है कि जो विश्वविद्यालय अभी विधिवत् स्थापित नहीं हुए हैं उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे विधिवत् स्थापित होने के पूर्व शिक्षण कार्य प्रारम्भ न करें तो यह कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना तो हो चुकी है लेकिन शिक्षण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है और कौन से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या एफ० 7-5(93)सी० पी० सी०–11, दिनांक 18 अक्टूबर, 1993 द्वारा 11 फेक यूनिवर्सिटीज (फर्जी विश्वविद्यालय) घोषित किया है । अब इससे ज्यादा क्या जानना चाहते हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह तो इसमें लिखा ही है ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर व्यवधान के मध्य बोलने का प्रयास करने लगे ।)

जनपद प्रतापगढ़ में अनौपचारिक शिक्षा के सत्ताइस स्वैच्छिक पर्यवेक्षकों के पक्ष में मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश दिनांक 1-10-92 के कार्यान्वयन की मांग

*14–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्य कर रहे स्वैच्छिक पर्यवेक्षक, श्री केशव प्रसाद मिश्र, भाई लाल हरिजन, सावित्री देवी, जंग बहादुर पटेल, मुकेश लाल श्रीवास्तव आदि सत्ताइस स्वैच्छिक पर्यवेक्षक जिनके पक्ष में मा० उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ के स्थगन आदेश दिनांक 1-10-92 भी प्राप्त हैं, को उनके कार्य पर न बुलाये जाने का क्या कारण है जबकि संस्था आज तक चल रही है व उक्त सत्ताईस स्वैच्छिक पर्यवेक्षकों से जूनियर चौदह पर्यवेक्षक कार्यरत हैं ? उन्हें कब तक समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के स्थगन आदेश दिनांक 1-10-92 एवं अन्य तिथियों में दिये गये स्थगनादेशों के अनुपालन में उनसे कार्य लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के तहसील कोंच में नदीगांव के निकट पहूज नदी के पुल के निर्माण की मांग

*15–श्री चैनसुख भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील कोंच, जिला जालौन में नदीगांव के निकट पहूज नदी के पुल के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन में कुल कितने खम्भे स्वीकृत थे ? क्या यह सच है कि निर्माणाधीन पुल में कुल सात खम्भे बन रहे हैं जबकि नौ प्रस्तावित थे ? क्या टाउन एरिया क्षेत्र नदीगांव की नदी की बाढ़ से रक्षा हेतु पुल के नौ ही खम्भे बनाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इस कार्य का प्रारम्भिक आगणन 250 मीटर लम्बाई का बनाया गया था, उसमें खम्भों की संख्या अंकित नहीं थी परन्तु सर्वेक्षण के बाद इस पुल के निर्माण हेतु 7 खम्भों की आवश्यकता समझी गयी।

उपरोक्तानुसार 7 खम्भों पर कार्य प्रगति पर है।

बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से वर्तमान में 7 खम्भों पर कार्य प्रगति पर है।

(मूल उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

देवबन्द चीनी मिल, जनपद सहारनपुर पर किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने की मांग

*16–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवबन्द चीनी मिल, जनपद सहारनपुर पर किसानों का कितना भुगतान बकाया है ? कब तक उक्त भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 15-2-1994 तक की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1993-94 में देवबन्द चीनी मिल द्वारा देय 22.41 करोड़ रुपये के विरुद्ध 20-80 करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। 1.61 करोड़ रु० अवशेष गन्ना मूल्य, भुगतान की प्रक्रिया में है।

प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों की भांति अरबी विद्यालयों को खोले जाने की मांग

*17–श्री नजमउद्दीन–

क्या शिक्षा मंत्री प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों की भांति अरबी विद्यालयों के खोलने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

शासन द्वारा अरबी विद्यालयों के खोले जाने की कोई योजना नहीं है । ऐसे विद्यालय निजी प्रबंधतंत्र द्वारा खोले जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(घोर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिए ।

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार के गन्ना काश्तकारों के वर्ष 1982-83 के बकाया मूल्य के भुगतान की मांग

*18–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल तथा श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार (महराजगंज) जो उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, सिसवा के नियंत्रण में है गन्ना काश्तकारों का, वर्ष 1982-83 का गन्ना मूल्य बकाया जो दस लाख रुपया (रु० 10,00,000) चला आ रहा है, उस बकाया धनराशि को क्या सरकार तत्काल भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)–

महावीर शुगर मिल, सिसवा बाजार वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई सिसवा बाजार पर अधिग्रहण से पूर्व वर्ष 1982-83 का 10.81 लाख रु० गन्ना मूल्य का बकाया है इस बकाया धनराशि का भुगतान उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम–1971 के प्राविधानों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के अभिनिर्णय (अवार्ड) के अनुसार होना है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, महराजगंज की चीनी मिल के अधिग्रहण के पूर्व उसमें चीनी का कितना स्टाक था और गन्ना किसानों के

गन्ने के मूल्य का भुगतान क्यों नहीं किया गया, जबकि विद्युत टेलीफोन आदि का भुगतान कर दिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, अधिग्रहण के पहले जो जमीन, भवन और मशीनरी थी वह 5.25 लाख रुपये की थी और....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर तो देने दें, उत्तर के बाद प्रश्न पूछ लें । मैं अनुमति दे दूंगा, उत्तर तो आ जाने दीजिये ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अधिग्रहण के पहले कितने बोरी चीनी स्टाक में थी और उस धनराशि से गन्ना किसानों को क्यों नहीं भुगतान किया गया और आज तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, 40 लाख रुपये की चीनी उस मिल में पायी गयी और चूंकि यह प्रकरण विहित प्राधिकारी के अन्तर्गत है इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, कोई निर्णय हो जायेगा, तो भुगतान किया जायेगा ।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, जब भुगतान नहीं किया है, तो.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न हो जाने दीजिये, मैं आपको बुला लूंगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मामला अदालत में विचाराधीन है, तो क्या सरकार गन्ना किसानों को भुगतान अपने अनुदान से करने की कृपा करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, यह प्रश्न नहीं उठता है । यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है कोई भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फनगर)–

क्या सरकार उन गन्ना किसानों का जिनका कोई दोष नहीं है और मूल्य बकाया है, उनको भुगतान कराने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी पहले बोल लें, उसके बाद आपको अवसर दिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मामला विहित प्राधिकारी के पास विचाराधीन है । मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का 1982-83 का बकाया है, उसको अदा करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जब कि इतने लाख की चीनी मिल के खाते में है, तो भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, विहित प्राधिकारी के यहां यह मामला विचाराधीन है । श्रमिक संगठन उस पर कोर्ट में गये हैं, किसान उस पर गये ही नहीं । जब कोई निर्णय इसका हो जायेगा, विहित प्राधिकारी के यहां से जो निर्णय हो जायेगा, वही मान्य होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने यही पूछा था कि जो मामला कोर्ट में है क्या उसमें यह किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान का मामला भी है, मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है । माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया है । यह उत्तर न देने का कारण यही है कि यह मामला वहां नहीं है जैसा कि मेरी जानकारी है तो फिर इसका भुगतान न करने का क्या कारण है ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, न्यायालय की प्राथमिकतायें हैं पहले गिरवी रखी हुई सम्पत्ति पर निर्णय लेंगे, फिर गन्ने के मूल्य का भुगतान करेंगे, देनदारी का भुगतान करेंगे । लेकिन जो प्रकरण है यह श्रमिकों की तरफ से है । इसमें विहित प्राधिकारी जो फैसला दे देंगे, उसी के अनुसार कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो किसानों का 10 लाख रुपया बकाया है उस पर कोई विवाद है नहीं (व्यवधान)

क्या माननीय मंत्री जी उस निर्णय की प्रतीक्षा किये बगैर उसका भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, आज दिनांक 7-3-94 को प्राधिकारी के यहां तारीख लगी है और अधिग्रहण के पहले का यह मामला है और वह अधिग्रहण की शर्तों के तहत यह नहीं आता । आज जो निर्णय हो जायेगा वही शासन मान लेगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इसकी वाद संख्या बताने की कृपा करेंगे ? और दूसरा प्रश्न यह है कि 82 से 94 तक का जो गन्ने का बकाया है उसका भुगतान करते समय उसका ब्याज देंगे या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

वाद संख्या तो मैं बता दूंगा लेकिन जहां तक भुगतान का सवाल है इस संबंध में मान्यवर, भुगतान के बकाये के लिए 13 दिन में, 15 दिन में केन कमिश्नर वगैरह वहां जाकर मानीटरिंग करते हैं और जो बकाया होता है, उसका भुगतान करा देते हैं।

जनपद गाजियाबाद में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

*19–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 नवम्बर, 1976 तक घोषित जनपदों में से प्रदेश के कितने जनपदों में राजकीय इण्टर कालेज नहीं खोले गये हैं ? क्या गाजियाबाद नगर में तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां पर राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

तीन जनपदों जौनपुर, आजमगढ़ तथा गाजियाबाद में राजकीय इण्टर कालेज नहीं खोले गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये सम्प्रति राजकीय इण्टर कालेज खोला जाना सम्भव नहीं है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने 3 जिले बनाये हैं जो 69 के बाद स्थापित हैं और वहां राजकीय इण्टर कालेज नहीं है जौनपुर, गाजियाबाद और आजमगढ़। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब गाजियाबाद की आबादी 50 हजार थी, उस समय भी उतने ही इन्टर कालेज थे और अब गाजियाबाद की आबादी 7 लाख से ऊपर हो चुकी और गाजियाबाद पूरे प्रदेश का 12 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक राजस्व देता है इन परिस्थितियों में क्या गाजियाबाद में भी इण्टर कालेज खोलने पर विचार करेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक पैराग्राफ पढ़े दे रहा हूं।

गाजियाबाद नगर में तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए शासन द्वारा नोयडा में राजकीय हाईस्कूल की स्थापना की गयी है। राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण नामक योजना इस समय जिला योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत है। यह योजना चालू योजना के रूप में संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत नये राजकीय हाईस्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने का न तो कोई भौतिक लक्ष्य निर्धारित है और न आय-व्ययक प्राविधान है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद जनपद की उक्त जिला योजना के अन्तर्गत कोई परिव्यय भी आवंटित नहीं है, फिर भी क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय हाईस्कूल नोयडा को इण्टर स्तर पर उच्चीकरण करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया था, किन्तु इस विद्यालय में उच्चीकरण के संबंध में निहित व्यय को शिक्षा विभाग के निर्धारित प्लानसीलिंग में समायोजित न हो पाने तथा जिला योजना के अन्तर्गत परिव्यय निर्धारित न होने के कारण वित्त विभाग की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। वर्णित स्थिति में फिलहाल

गाजियाबाद नगर में तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । 12-20 से ऊपर हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

अन्तिम प्रश्न हो जाने दें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

तीन इण्टर कालेज का जो जिक्र आया है, वह हरिद्वार में स्थापित हैं । मैं गाजियाबाद नगर की बात कर रहा हूं । नोयडा की जो बात की है, वह विकसित क्षेत्र हो रहा है वहां और भी सुविधायें हो जायेंगी । गाजियाबाद नगर जो हेडक्वार्टर है, उसके बारे में आश्वासन चाहता हूं कि वहां की परिस्थितियों को देखते हुए इण्टर कालेज स्थापित करने का निर्णय लेंगे ?

(व्यवधान)

*20–श्री ओम प्रकाश–

[दिनांक 1-3-94 को ता० प्र० सं० 19 द्वारा उत्तरित]

अतारांकित प्रश्न

उन्नाव जिले के अन्तर्गत पुरवा तहसील केन्द्र पर पुरवा मिर्रीकलां बनी रोड व दरेहटा–अचली चौपाई रोड के निर्माण की मांग

1–श्री हृदय नारायण–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 91 के मार्च, अप्रैल में उन्होंने उन्नाव जिले के पुरवा तहसील केन्द्र पर पुरवा–मिर्रीकलां–बनी रोड व दरेहटा-अचली चौपई रोड के बनाये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो वे सड़कें कब तक बन जायेंगे ? उसके अब तक न बन पाने के कारण क्या हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

इन मार्गों की स्वीकृति सर्वप्रथम दि० 1-4-91 द्वारा जारी की गई थी जिसे उच्च स्तरीय निर्माण के आधार पर दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त कर दिया गया था पुनः शासनादेश दि० 8-2-94 द्वारा मार्गों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इनका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

स्वीकृति का न होना ।

सी० एस० एन० महाविद्यालय हरदोई के प्राचार्य के विरुद्ध की गई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की मांग

2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० एस० एन० महाविद्यालय, हरदोई के प्राचार्य डा० तेजवीर डा० तेजवीर सिंह चौहान द्वारा की गई वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितताओं के संबंध में शासन द्वारा नियुक्ति जांच अधिकारी डा० उपाध्याय, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद द्वारा वर्ष 1993 में की गई जांच पर सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः–ता० प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, जांच के फलस्वरूप संबंधित प्राचार्य के द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार कालेज के प्रबंधतंत्र द्वारा कराये जाने हेतु शासन द्वारा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश को समुचित निर्देश दिनांक 10-2-94 को निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर बरेली मार्ग पर प्रस्तावित बाई पास बनाने की मांग

3–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपर–बरेली मार्ग पर प्रस्तावित बाई पास को बनाने में सरकार के स्तर से अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या इस संबंध में प्रदेश स्तर पर कोई औपचारिकताएं शेष हैं ? यदि हां, तो वे कब तक पूरी कर ली जायेंगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत शाहंजहांपुर बाईपास के निर्माण कार्य का रु० 1318.85 लाख की लागत का विस्तृत आगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु जल भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग

4–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना में विलम्ब का कारण क्या है ? अभी तक इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ? प्रदेश सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भारत सरकार द्वारा खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दु राज्य सरकार के अभिमत हेतु संदर्भित किये गये। उन संदर्भित बिन्दुओं पर राज्य सरकार का अभिमत सुनिश्चित करने हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मा० मुख्य न्यायाधीश का अभिमत जानने हेतु पत्राचार किया गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश का अभिमत अब प्राप्त हो गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर अपना अभिमत निर्धारित करने के पूर्व भारत सरकार से विचार विमर्श किया जाना आवश्यक समझा गया तथा भारत सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर आवश्यक पत्राचार किया गया।

प्रदेश सरकार इस विषय पर निर्णय भारत सरकार से अग्रिम विचार विमर्श के उपरान्त ही लेगी।

राजकीय इण्टर कालेज किलकिलेश्वर जनपद टिहरी गढ़वाल के निर्माणाधीन भवन को निर्मित कराने की मांग

5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, किलकिलेवश्र, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या यह सही है कि विगत 5 वर्षों से इस कालेज का भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इस विद्यालय का भवन पूर्ण होकर शिक्षा को सौंपा जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

धन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है ।

विद्यालय भवन के निर्माण कार्य का पूरा होना पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति तथा वांछित धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) के कार्यालय स्थित गैरसैंण (चमोली) के संचालन की मांग

6–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश हो जाने के बाद भी अभी तक अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) ने अपने कार्यालय को निर्धारित स्थान गैरसैंण (चमोली-गढ़वाल) में स्थापित नहीं किया है ? इस कार्यालय में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? क्या वे सभी अधिकारी/कर्मचारी नियमित अपने गैरसैंण मुख्यालय में बैठकर कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस कार्यालय के संचालन हेतु और पदों के सृजन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक पदों का सृजन होगा और कब तक उन पर नियुक्ति हो सकेगी ?

डा० मसूद अहमद–

अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) का कार्यालय गैरसैंण (चमोली) में स्थापित हो गया है । वर्तमान में सहायक शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) गैरसैंण में कार्य कर रहे हैं । लखनऊ स्थित कार्यालय के अन्य कर्मचारियों को भेजने की कार्यवाही चल रही है । कार्यालय के संचालन हेतु पदों एवं अन्य मदों की स्वीकृति के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

उत्तरांचल क्षेत्र की क्षतिग्रस्त मोटर सड़कों की मरम्मत का कार्य

7–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में कुल कितनी मोटर सड़के (कि०मी० सहित) वर्ष 93 के वर्षा में अति वृष्टि व अन्य कारणो से क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हुई हैं ? इन सड़कों के पुनर्निर्माण की दिशा में क्या कार्यवाही हुई ? इन क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि अपेक्षित थी और कितनी राशि आवंटित हो पाई है ? क्या इस आवंटित धनराशि से इन सड़कों पर निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो कितनी और धनराशि भविष्य में देने की योजना है ? क्षतिग्रस्त मार्ग कब तक मरम्मत होकर चालू हो जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उत्तरांचल क्षेत्र में कुल 434 मोटर सड़कें 2352 कि०मी० वर्षा अथवा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त व अवरुद्ध हुई ।

समस्त मार्गों पर अपरिहार्य कार्य कराते यातायात के लिए खोला गया ।

क्षतिग्रस्त मार्गों को यातायात हेतु खोले, पूर्व अवस्था में लाने व सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 31.43 करोड़ रुपये की लागत आकी गई जिसके विरुद्ध 6.1585 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ ।

उपलब्ध अनुदान से यातायात खोले गये, अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता है ।

अतिरिक्त अनुदान इस मद में केन्द्रीय सहायता अंश पर निर्भर होगा जो अभी अपेक्षित है ।

यातायात खोला जा चुका है । शेष निर्माण कार्य अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में की गई वित्तीय प्रशासनिक तथा नियुक्ति सम्बन्धी अनियमितता की जांच

8–श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में आर्थिक, प्रशासनिक तथा नियुक्तियों के मामले में अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इनकी जांच के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो० हरिकृष्ण अवस्थी के विरुद्ध वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

शिकायतों पर समुचित कार्यवाही करने हेतु कुलाधिपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कुलपति के नियुक्ति प्राधिकारी हैं, से अनुरोध किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के प्राइमरी पाठशाला नथईपुर व प्रा० पा० ताड़ी के भवन निर्माण की मांग

9–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला-नथईपर व प्रा० पा० ताड़ी, ब्लाक-बड़ागांव, जिला वाराणसी की इमारत दीवाल फट कर गिर गयी है और छज्जा भी गिर गया है ? यदि हां, तो उक्त दोनों स्कूलों की इमारतों को अब तक न बनाने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करा कर वर्ष 93-94 में इसे बनवाने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां । धनाभाव एवं जिला शिक्षा समिति द्वारा भवन निर्माण हेतु स्कूलों का चयन न किये जाने के कारण ।

प्राइमरी पाठशाला ताड़ी बड़ागांव का भवन वर्ष 1993-94 में विश्व बैंक योजना में प्रस्तावित है। प्राइमरी पाठशाला नथईपुर का भवन धन उपलब्ध होने पर बनवाया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना क्रय मूल्य में वृद्धि की मांग

10–कुंवर महावीर सिंह, श्री सुधीर कुमार वालियान तथा डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीरा पर से नियंत्रण हटाने के पश्चात् किसानों को मिलने वाले गन्ने के मूल्य वृद्धि से क्या सरकार सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो गन्ने का क्रय मूल्य यह सरकार कितना बढ़ायेगी और कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पेराई सत्र 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 में गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी क्रमशः रु० तीन, चार व एक रुपया प्रति कुन्टल रही थी, जब कि पेराई सत्र 1993-94 में (1 जनवरी, 1994 से) गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी रु० 12 प्रति कुन्टल की गयी है। जिसके फलस्वरूप शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिये मिल गेट पर रु० 61 व सामान्य प्रजातियों के लिये मिल गेट पर रु० 58 प्रति कुन्टल दिया जा रहा है।

वर्तमान सत्र हेतु सम्प्रति कोई और मूल्य वृद्धि विचाराधीन नहीं है।

उ० प्र० गन्ना उत्पादक किसानों का सहकारी तथा निजी क्षेत्र के मिलों पर बकाये का विवरण तथा उसके भुगतान की मांग

11–कुवंर महावीर सिंह, श्री सुधीर कुमार बालियान तथा डा० सुरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० गन्ना उत्पादक किसानों का चीनी मिलों पर कितना बकाया शेष है ? क्या सरकार सहकारी तथा निजी क्षेत्र के मिलों पर बकाये का विवरण सदन में देने के आदेश प्रदान करेंगे ? क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह बकाया धन शीघ्र किसानों को प्राप्त हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पेराई सत्र 1992-93 एवं 1993-94 का दिनांक 28-2-94 तक की स्थिति के अनुसार गन्ना मूल्य अवशेष क्रमशः रुपया 227.90 लाख एवं रुपया 166.93 करोड़ (देय भुगतान का 13 प्रतिशत) बकाया है।

दिनांक 28-2-94 की स्थिति के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की पेराई सत्र 93-94 की बकाया स्थिति निम्न प्रकार है :—

	करोड़ रु० में	
1– निजी क्षेत्र	75.38	(10.46%)
2– निगमों की मिलों का	49.72	(22.13%)
3– सहकारी क्षेत्र	31.56	(10.42%)
4– भारत सरकार के अधीन उपक्रमों की 4 चीनी मिलों का	10.27	(42.38%)
योग ...	166.93	(13.11%)

जी हां।

शेष देय राशि भुगतान की प्रक्रिया में है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

उ० प्र० में उत्पादित गन्ने की अधिकतम मिठास मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने का प्रयास करने की मांग

12–कुवंर महावीर सिंह, श्री सुधीर कुमार बालियान तथा डा० सुरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में उत्पादित गन्ने की अधिकतम मिठास मात्रा क्या है तथा यह अखिल भारतीय औसत व अन्तर्राष्ट्रीय औसत से कितनी कम या कितनी अधिक है ? क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि उ० प्र० में उत्पादित होने वाली गन्ने की मिठास मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय मानक के विकास की मात्रा के समान हो सके ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गन्ने में अभी तक अधिकतम मिठास मात्रा (सुक्रोज कन्टेनट्स प्रतिशत) उ० प्र० में 19.84 अखिल भारतीय स्तर पर 20.44 तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 22.50 प्रतिशत सूचित की गयी है ?

उ० प्र० में उत्पादित होने वाली गन्ने की मिठास मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने हेतु गन्ना शोध वैज्ञानिक प्रयासरत हैं तथा नवीन प्रजातियों के उद्भव व विकास हेतु अनुवंशिक एवं पादक प्रजनन प्रयोग सम्पन्न हो रहे हैं । इन शोध कार्यों हेतु समय सीमा निर्धारित किया जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है ।

उत्तरांचल में प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूलों तथा इण्टर कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण तथा उन्हें भरने की मांग

13–श्री हरक सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूलों, इण्टर कालेजों में कुल कितने अध्यापकों के पद विभिन्न श्रणियों में रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ? क्या प्राइमरी स्कूलों के रिक्त पदों पर बी० एड० डिग्रीधारी छात्रों को नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

अध्यापकों की रिक्ति निम्नवत् हैं :—

	रिक्त पदों की संख्या
1–परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय	781
2–राजकीय विद्यालयों में एल० टी० वेतनक्रम	2090
3–प्रवक्ता वेतनक्रम	605

नियुक्तियां यथाशीघ्र कर दी जायेंगी ।

परिषदीय विद्यालयों में प्रशिक्षण अर्हता बी० टी० सी०, एच० टी० सी०, जे० टी० सी० अथवा समकक्ष को ही शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति का प्राविधान है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के गांवों में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष ब्लाक भावलखेड़ा, जनपद शाहजहांपुर के जिन गांवों में प्राइमरी पाठशाला की स्वीकृति प्रदान की गयी उनके अभी तक चालू न होने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

वित्तीय वर्ष 1992-93 में जनपद शाहजहांपुर के लिए किसी भी नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी इस कारण ब्लाक भावलखेड़ा में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री हरभजन सिंह) की उनको मूल्य विभाग में वापस करने की मांग

15–श्री मयंकर सिंह, श्री श्रीराम सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री किशन लाल, श्री उमाकान्त यादव तथा श्री जवाहर लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री हरभजन सिंह) को नावार्ड (लखनऊ) तथा पी० जी० आई० में जो अरबों रुपये की योजना का कार्य सौंपा गया है की सत्यनिष्ठा वित्तीय भ्रष्टाचार के कारण संदिग्ध बतायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उक्त प्रोजेक्ट मैनेजर मूल रूप से लोक निर्माण का है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रोजेक्ट मैनेजर के पूर्व कार्यकलापों को ध्यान में रखकर, तत्काल वर्तमान पद से हटाकर लोक निर्माण विभाग में वापस करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

श्री हरभजन सिंह जिनकी सेवायें उ०प्र० आवास विकास परिषद् में संविलीन की जा चुकी हैं, अब मूल रूप से उ०प्र० आवास विकास परिषद् के कर्मचारी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग के निर्माण शाखा में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री बी० के० गोयल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

16–श्री मयंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि गन्ना विकास विभाग के निर्माण शाखा में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता जिनका स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर जून, 1992 में जनपद बरेली से गोरखपुर के लिये हुआ था, उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट गोरखपुर में न देकर मुख्यालय (लखनऊ) में दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है इस अधिशासी अभियन्ता की अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नतियां भी अनियमित ढंग से अपर मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी हैं ? क्या यह भी सही है कि हल्द्वानी जोन में इनके विरुद्ध लाखों रुपये की वित्तीय अनियमितता की सतर्कता जांच पहले से प्रचलित है ? क्या सरकार उक्त अधिशासी अभियन्ता तथा उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा कार्यभार पांच माह तक न ग्रहण करने तथा कार्य स्थल पर न जाने के लिये दंडित करने पर विचार करेगी ? उनको सहयोग देने के लिये क्या सरकार अपर मुख्य अभियन्ता को भी दंडित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । श्री बी०के० गोयल, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर गोरखपुर किया गया था । श्री गोयल द्वारा दिनांक 1-7-92 को कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को उपलब्ध करायी गयी तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना मुख्यालय को भी दी गयी ।

जी नहीं । श्री गोयल को नियमानुसार पदोन्नति किया गया है ।

सतर्कता विभाग की जांच तथा संस्तुतियों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27-6-92 के अनुपालन में दिनांक 1-7-1992 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री हरभजन सिंह की चल व अचल सम्पत्ति की जांच की मांग

17–चौ० रवीन्द्र प्रताप तथा श्री राम प्रताप सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर (श्री हरभजन सिंह) जिनके ऊपर कई करोड़ रुपये की निर्माण इकाइयों का कार्य सौंपा गया है, ने लखनऊ नगर में पचासों करोड़ रुपये की चल और अचल सम्पत्ति अर्जित किया है और इन्दिरा नगर ए ब्लाक में लेखराज मार्केट में एक फ्लैट खरीद कर लखनऊ में सबसे बड़े कम्प्युटर ट्रेनिंग सेन्टर अपने सगे पुत्र के नाम से खोला है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार से कई एक भवन का निर्माण करा रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको यहां से वापस करके इनके विरुद्ध (चल और अचल सम्पत्ति) जांच कराकर सिद्ध दोष पाये जाने पर जबरन सेवामुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इन्दिरानगर, लखनऊ मार्केट में श्री हरभजन सिंह का न तो कोई फ्लैट है और न ही इस मार्केट में उनके पुत्र के नाम से कोई कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पूरे राधे लाल बहादुरपुर, के सेवानिवृत्त रोड मेट श्री राम देव तिवारी के समस्त देयों के भुगतान की मांग

18–श्री तेजभान सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि श्री राम देव तिवारी, ग्राम पूरे राधे तिवारी लाल बहादुरपुर, पो० जगैसरगंज, जिला सुल्तानपुर (सेवानिवृत्त रोड मेट) का गन्ना आयुक्त (उ०प्र०) को दिनांक 5-8-92, 5-9-92, 19-10-92, 3-1-93, 19-2-93 तथा 5-1-93 को स्वयं प्रार्थना-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रार्थना-पत्र जिसमें नवाबगंज, गोण्डा में बकाया वेतन, पी० एफ०, महंगाई आदि तथा बीमा व नगदीकरण, अवशेष ग्रेच्युटी, पेंशन आदि न मिलने व कर्मचारियों द्वारा उक्त वेतन भत्ते देने में हीला-हवाली करने की शिकायत की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न करने की क्या कारण है ? क्या मंत्री जी संबंधित कर्मचारी को तुरन्त बकाया भुगतान कराकर, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(सेवानिवृत्त रोडमेट) का उल्लिखित पत्रों में से केवल दिनांक 19-10-92 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । श्री रामदेव तिवारी (सेवानिवृत्त रोडमेट) के समस्त अनुमन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान कीर्तिनगर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग

19–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान पर कीर्तिनगर में शासन द्वारा मुंसिफ कोर्ट स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त मुंसिफ कोर्ट अब तक खोले न जाने का कारण क्या रहा है ? क्या शासन उक्त मुंसिफ कोर्ट को खोलने की आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय ने आवासिक/अनावासिक भवनों के अभाव में अपनी संस्तुति नहीं की है ।

मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के उप कोषागार जखोली के भवन निर्माण की मांग

20–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कोषागार जखोली, टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु शासन से धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त भवन अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है ? उक्त उप कोषागार जखोली के भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत थी ? यह धनराशि कहां पर खर्च की गयी है ? यदि यह धनराशि खर्च नहीं की गयी है तो कब तक उप कोषागार जखोली का भवन निर्माण किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास खण्ड जखोली टिहरी गढ़वाल में उप कोषागार भवन निर्माण हेतु अष्टम् वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर शासनादेश दिनांक 24-1-87 द्वारा रुपया 5.60 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण उप कोषागार भवन निर्माण का प्रस्ताव संशोधित निर्माण लक्ष्य में सम्मिलित नहीं किया गया ।

महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास का कार्यालय गढ़वाल मण्डल के नरेन्द्रनगर में खोले जाने की मांग

21–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक, उ० प्र० पर्यटन विभाग का कार्यालय गढ़वाल मण्डल में किस स्थान के लिए स्वीकृत था ? शासन द्वारा स्वीकृत स्थान पर उक्त कार्यालय खोले न जाने का क्या कारण है ? क्या शासन उक्त स्वीकृत स्थान पर इस कार्यालय को ले जाने का निर्णय शीघ्र करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नरेन्द्र नगर ।

देहरादून तथा ऋषिकेश से हटकर नरेन्द्र नगर एक दूर स्थित स्थान है । महानिदेशक, पर्यटन का कार्यालय पर्यटन के समग्र विकास हेतु स्थापित किया गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रश्नगत कार्यालय को अनेक बाह्य, शासकीय, व्यवसायिक, वित्तीय संस्थाओं तथा उपक्रमों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना होता है । सुगम संचार साधनों की दृष्टि से भी नरेन्द्र नगर के बजाय देहरादून ही अधिक उपयुक्त स्थान है । सितम्बर, 1989 में स्वीकृत कार्यालय देहरादून ही में कार्यरत है और वहीं उसकी उपादेयता समझी गयी है । उक्त स्थिति में शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में वरुणा नदी के चिनिईहंवा घाट पर सेतु निर्माण की मांग

22–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वरुणा नदी जिला वाराणसी के चिनिईहंवा घाट पर, जिसे दांदूपर-सरावां मार्ग तथा कन्हियां से मई होते हुए रोड आती है, वहां पुल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे कराकर वरुणा नदी में चिनिईहंवा घाट पर एक पुल स्वीकृत कर दोनों मार्गों को जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री राम दुलारे त्रिपाठी, सेवा निवृत्त प्राचार्य नागरिक डिग्री कालेज जंघई जिला जौनपुर के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

23–श्री तेजभान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-8-92 तत्कालीन शिक्षा मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसके साथ श्री राम दुलारे का पत्र संलग्न है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य शिकायत तथा उसके बिन्दु क्या-क्या हैं ? क्या उक्त पत्र पर विस्तृत जांच करायी गयी ? यदि जांच चल रही है, तो कितने समय में पूरी होगी व विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

श्री राम दुलारे त्रिपाठी, सेवा निवृत्त प्राचार्य, नागरिक डिग्री कालेज, जंघई, जौनपुर के पत्र में उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक श्री परशुराम त्रिपाठी व कार्यवाहक प्राचार्य डा० राम रूप शुक्ल तथा प्रधान लिपिक श्री अवधेश मणि त्रिपाठी द्वारा की गयी अनियमितताओं का उल्लेख है ।

उक्त अनियमितताओं की जांच निदेशक (उ० शि०) उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा करायी जा रही है ।

नागरिक डिग्री कालेज, जंघई, जौनपुर अनिश्चित काल के लिए बन्द होने के कारण जांच की कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

जनपद वाराणसी, ब्लाक बड़ागांव के दांदूपुर-सौरावां, दांदूपुर-महिमापुर, गांग कला-खरिया खास तथा भीटी कुरु पामकपुर खड़ंजा मार्ग पर लेपन कार्य कराने की मांग

24–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दांदूपुर से सौरावा, दांदूपुर से महिमापुर, गांग कलां से खरिया खास तथा भीटी से कुरु पामकपुर मार्ग का खड़ंजा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में कई वर्ष पूर्व हो गया था व लेपन कार्य अभी बाकी है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का लेपन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव व पिण्डरा के अधूरे मार्गों, अधूरे लेपन कार्यों तथा नये मार्गों के निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र व कृत कार्यवाही की जानकारी

25–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिण्डरा व बड़ागांव, जिला वाराणसी के अधूरे मार्गों तथा अधूरे लेपन कार्यों व दोनों ब्लाकों के लिए कुछ नये मार्गों के निर्माण के लिए दिनांक 2-12-93 को प्रश्नकर्ता ने अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी को पत्र तथा प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण, वाराणसी को दिया है ? यदि हां, तो अधूरे मार्गों तथा अधूरे लेपन के कार्यों व नये मार्गों के निर्माण के बारे में सरकार ने क्या नीति बनायी है ? क्या सरकार शीघ्र धन देकर सभी अधूरे कार्यों को पूरा कराने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

कथित पत्र दिनांक 2-12-93 का न होकर दिनांक 4-12-93 का है ।

वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता के आधार पर नीति अपनायी जायेगी ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिरोमणि पाठक, सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य विद्याधर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला बभनान, जनपद बस्ती के समस्त देयों में भुगतान एवं विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री चेतराम, श्री उमाशंकर तथा श्री राम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री शिरोमणि पाठक, भूतपूर्व प्रधानाचार्य, विद्याधर्म वर्धनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, जनपद बस्ती के वर्ष 1985 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी आज तक इनकी पेंशन आदि का मामला संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य एवं संबंधित उप निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर के कार्यालय के कर्मचारियों की शिथिलता के कारण निस्तारित नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल श्री पाठक के पेंशन का मामला निस्तारित कराने एवं विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

सूचना एकत्र की जा रही है।

27–श्री मुनीश गौड़ तथा श्री फौजदार प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा के ग्राम सभा देवराई, रोह आदि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

28–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गांव सभा देवराई, रोह, कछिया, देंउजी, कोरों, गांव सभा सझवां, गांव सभा विक्रमपुर, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं ? क्या सरकार उपरोक्त गांवों की जांच कराकर एक-एक प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश देगी ?

डा० मसूद अहमद–

ग्राम सभा सराय देवराई मझवा में प्राथमिक विद्यालय है ग्राम सभा कोर्रा में सबके लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय खोलना 1993-94 में प्रस्तावित है। कछिया, विक्रमपुर एवं देउजी में प्राथमिक विद्यालय नहीं है।

जांच करायी गयी। ग्राम सभा देउजी व कोर्रा के अतिरिक्त सभी गांव सभा वर्तमान में मानक के अनुसार सेवित हैं।

जनपद वाराणसी ब्लाक पिण्डरा के स्थान गड़खड़ा, जगदीशपुर करौना में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की मांग

29–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान गड़खड़ा, जगदीशपुर करौना, थाना ओदार, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी है ? यदि हां, तो जूनियर हाई स्कूल कब तक स्थापित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

थानाखास को छोड़कर शेष गांव सेवित है।

थाना खास में शीघ्र सबके लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय शीघ्र खोला जायेगा। शेष गांव पूर्व में ही सेवित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के ग्राम कूप में पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

30–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि कूप, तहसील शाहाबाद, जनपद रामपुर बरसात के दिनों में चारों ओर से पानी भर जाने के कारण लोगों का अन्य स्थानों से सम्पर्क टूट जाता है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, अधिक वर्षा अथवा बाढ़ के कारण कुछ समय के लिये गांव का सम्पर्क टूट जाता है ।

पुल निर्माण में रु० 60 लाख की लागत आयेगी, जिसका निर्माण सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख कर दिया गया है ।

जनपद रामपुर के पटवाई–सूरजपुर–नवाबगंज सड़क पर टूटे हुए पुल के पुनर्निर्माण की मांग

31–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है जनपद रामपुर के पटवाई, सूरजपुर, नवाबगंज सड़क पर टूटे पुल से ग्रामीण जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या इस पुल का पुनः निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

टूटा पुल लोक निर्माण विभाग का न होकर जिला परिषद् के स्वामित्व में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के शाहाबाद नामक स्थान पर डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

32–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर डिग्री कालेज की स्थापना हेतु 15 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उस स्थान पर डिग्री कालेज की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गांव सभा करीमगंज ने ग्राम समाज की 6 हेक्टेयर भूमि दिये जाने का प्रस्ताव किया था परन्तु आवश्यक संख्या में इण्टर उत्तीर्ण छात्रों के उपलब्ध न होने के कारण महाविद्यालय की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद रामपुर के शाहाबाद स्थान पर निजी क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने पर विचार

33–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के लिये भारत सरकार से चीनी मिल का लाइसेन्स स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उस चीनी मिल को रामपुर जनपद के शाहाबाद नामक स्थान जहां जनपद रामपुर का सर्वाधिक तथा उच्चकोटि का गन्ना पैदा होता है, स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत स्थल शाहाबाद जनपद रामपुर में निजी क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने हेतु आशय पत्र प्रदान करने का प्रश्न केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ।

आशय पत्र प्राप्त हो जाने की दशा में ही मिल की स्थापना सम्भव हो सकेगी ।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कों को पूरा करने की मांग

34–श्री रामदास पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र डेरापुर के अन्तर्गत कितनी सड़कें इस समय हैं और कितनी निर्माणाधीन है तथा भविष्य में कौन-कौन सी सड़कें बनाने की योजना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद कानपुर देहात में विधान सभा क्षेत्र डेरापुर के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की संख्या–35 हैं । जिसमें 151.03 कि० मी० लम्बाई लेपित तथा 57.82 कि० मी० खड़ंजा स्तर की हैं । इसके अतिरिक्त 14 कार्य निर्माणाधीन है । वर्ष 93-94 में निर्माणाधीन कार्यों की योजना का विवरण संलग्न तालिका में उल्लिखित है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ-159-पर)

35–श्री नरेश अग्रवाल–

[दि० 1-3-94 को अता० प्र० सं०–77 द्वारा उत्तरित]

राष्ट्रपति शासन काल के दौरान घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन विषयक जानकारी की मांग

36–श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री रणजीत सिंह जूदेव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान जो घोषणायें की थीं जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गयी थी उन्हें इस सरकार ने रोक दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम स्थित मतनी–कन्नापुर के बीच नीलम नदी पर पुल निर्माण की मांग

37–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम स्थित मतनी–कन्नापुर के बीच नीलम नदी पर पुल प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्या क्षेत्र की जनता की कठिनाई को देखते हुए उक्त नदी पर पुल अविलम्ब बनवाने का आदेश जारी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ब्लाक साण्डी के अन्तर्गत ग्राम कन्नापुर में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

38–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कन्नापुर, ब्लाक साण्डी, जनपद हरदोई में कोई प्राइमरी पाठशाला बनी है ? यदि नहीं, तो क्या ग्राम की बड़ी आबादी को देखते हुए उक्त गांव में चालू वित्तीय वर्ष में एक प्राइमरी पाठशाला खुलवाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला खोलने का निर्णय जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा लिया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मतसार-गैरहा मार्ग, जिला वाराणसी के लेपन कार्य कराने व इसरवार नाले पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में जानकारी

39–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि मतसार–गैरहां मार्ग, जिला वाराणसी का लेपन कार्य अब तक नहीं कराया गया है और इसरवार में नाले का पुल सिर्फ पाइप डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो मार्ग लेपन कार्य कब शुरू होगा और इसरवार नाले का पुल जो उसी मार्ग में है पर पाइप नाले में डालकर पुल कब बना दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि पुल न बनाने से वहां के निवासियों को 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको शीघ्र बनवाने का प्रयास करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

कार्य जिला योजना की परिधि का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी हां ।

उपरोक्तानुसार ।

40–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–130 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण की मांग

41–श्री घूराराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद का रसड़ा विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिये सड़क निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

वर्तमान में रसड़ा क्षेत्र में 127.154 कि०मी० मार्ग उपलब्ध है तथा 25.4 कि०मी० लम्बाई के 18 मार्ग स्वीकृत हैं, जिन पर कार्य प्रगति पर है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील कर्वी में शिवरामपुर भैसौंधा मार्ग एवं पहाड़ी–लोहदा सम्पर्क मार्ग को पूरा कराने की मांग

42–श्री भैरा प्रसाद मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कृपा करेंगे कि बांदा जिले के कर्वी तहसील में बहुत ही पुराने प्रस्तावित शिवरामपुर–भैसौंधा मार्ग एवं पहाड़ी–लोहदा सम्पर्क मार्ग का कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्ग के निर्माण कार्य कब तक पूरे होंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां, शिवरामपुर–भैसौंधा मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 1.50 कि०मी० के केवल 250 मीटर के भाग में कार्य बन्द है तथा पहाड़ी–लोहदा मार्ग पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

शिवरामपुर–भैसौंधा मार्ग का प्रथम 1.25 कि०मी० जो नहर की पटरी तक जाता है, में कार्य पूर्ण है तथा शेष 250 मीटर लम्बाई में भूमि विवाद होने के कारण कार्य बन्द है एवं पहाड़ी–लोहदा सम्पर्क मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

शिवरामपुर–भैसौंधा मार्ग में 250 मीटर लम्बाई में भूमि उपलब्ध होने पर कार्य पूर्ण किया जा सकता है । पहाड़ी लोहदा सम्पर्क मार्ग स्वीकृत नहीं है । अतः कार्य पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत रोड की जानकारी

43–श्री राम दवर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 256–शाहगंज के कितने गांव में सार्वजनिक निर्माण विभाग से नये रोड स्वीकृत हुए हैं ? क्या उसका बजट स्वीकृत होकर जिले पर पहुंच गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

31 मार्च, 93 तक शाहगंज विधान सभा क्षेत्र में 13 नये मार्गों की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कस्बा साण्डी में कन्या हाई स्कूल खोले जाने की मांग

44–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की 10 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में स्थित साण्डी कस्बे में कोई लड़कियों का हाई स्कूल है ? यदि नहीं, तो कन्या हाई स्कूल वहां पर कब तक खोला जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साण्डी कस्बे में कोई कन्या हाईस्कूल नहीं है ।

संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई में विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम के अन्तर्गत चौसार गांव के निकट गम्भीरी पर पुल निर्माण की मांग

45–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 10–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में चौसार गांव के पास गम्भीरी नदी में पुल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक सेवापुरी के गांव सभा जगतीपुर तथा ब्लाक बड़ागांव के गांव सभा नोनियापुर एवं अजोरेपुर में प्राइमरी स्कूल खोले जाने की मांग

46–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा जगतीपुर, ब्लाक सेवापुरी व गांव सभा नोनियापुर, अजोरेपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में प्राइमरी स्कूल हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर वर्ष 1993-94 के वित्तीय वर्ष में एक-एक प्राइमरी स्कूल स्वीकृत कर विद्यालय खोलने का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी को देगी ?

डा० मसूद अहमद–

ग्राम जगतीपुर, ब्लाक सेवापुरी तथा नोनियापुर, अजोरेपुर, विकास क्षेत्र बड़ागांव में विद्यालय नहीं है। ये सेवित हैं।

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत सभी असेवित क्षेत्रों में प्राइमरी विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद रामपुर के चन्दपुरा कलां, बैरुआ, ललवारा आदि गांवों के सम्पर्क हेतु पुल निर्माण की मांग

47–स्वामी परमानन्द दण्डी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद रामपुर के चन्दपुरा कलां, बैरुआ, ललवारा, जटपुरा, चकफेरी, धर्मपुर आदि 10 गांव हैं, जिनमें बरसात का पानी भर जाने से अन्य स्थानों से सम्पर्क टूट जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सम्पर्क न रहने से शिक्षा, चिकित्सालय आदि आवश्यक सेवायें भी प्रभावित हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं।

जी नहीं।

सीमित संसाधनों के कारण पुल निर्माण की स्वीकृति सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार जैसा कि उल्लेख किया गया है।

महमूदाबाद चीनी मिल के अभिलेखों में दर्ज शीरे की मात्रा का भौतिक सत्यापन

48–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद चीनी मिल के अभिलेखों में दर्ज शीरे की मात्रा से ज्यादा शीरा टैंकों में मौजूद है ? यदि हां, तो क्या उक्त शीरे की मात्रा को अभिलेखों में दर्शाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

अभिलेखों मे दर्ज शीरे की मात्रा के अनुसार ही शीरा टैंकों में संचित है, जिसकी पुष्टि सहायक आबकारी आयुक्त, सीतापुर ने अपने आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 8-2-94 में की है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले बुधवार के अता० प्र० सं० 35 के उत्तर के संदर्भ में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

49–श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–35 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संबंधित अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जा चुकी है ।

जनपद मऊ के किसान सहकारी चीनी मिल घोसी में प्रधान प्रबन्धक श्री लाल जी राय के कार्यकाल में की गई कथित नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग

50–श्री अक्षयवर भारती–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल घोसी में प्रबन्ध निदेशक, लालजी राय के कार्यकाल में कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां हुयी हैं ? क्या नियुक्तियों के संबंध में विधिवत् विज्ञापन निकाला गया और साक्षात्कार हुआ ? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या अवैध नियुक्ति कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसान सहकारी चीनी मिल लि०, घोसी (मऊ) में प्रधान प्रबन्धक श्री लालजी राय के कार्यकाल में चीनी मिल इकाई में कोई नियुक्ति नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले बुधवार के अता० प्र० सं० 35 के संदर्भ में दोषी अधिकारी पर आरोपित सिद्ध दोष एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के पहले बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–35 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जी० एम०, चीनी मिल, महमूदाबाद पर लगाये गये आरोपों में से कौन-कौन से तथ्य सही पाये गये ? क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ?। यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पूर्व प्रधान प्रबन्धक चीनी मिल महमूदाबाद पर लगाये गये आरोपों में शिथिल नियंत्रण, स्टेशनरी क्रय में अनियमितता बरताना, मिल के विस्तारीकरण में तथ्यों को छिपाना एवं ढीला पर्यवेक्षण करने संबंध आरोप सिद्ध पाये गये ।

जी हां ।

इसके लिये उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जा चुकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम तथा मान्यता प्रदान करने संबंधी नियमों व शर्तों को उदार बनाने तथा अलग से अनुदान सूची तैयार करने की मांग

52–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम को और उदार बनायेगी और मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियमों तथा शर्तों को भी उदार बना कर जो शिक्षा संस्थायें बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें मान्यता देने पर विचार करेगी ? क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बालिकाओं के

जूनियर हाई स्कूलों व हाई स्कूलों के लिये मान्यता मिलते ही सरकार उन्हें संचालित करने वाली संस्थाओं को एक मुश्त अनावर्तक अनुदान देने तथा उन्हें जनरल जूनियर हाई स्कूलों व हाई स्कूलों से निकाल कर अलग अनुदान देने हेतु लिस्ट बनाने पर विचार करेगी ?

डा० मसूद अहमद–

नहीं । बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने हेतु माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बने विनियमों के अध्याय–7 के अन्तर्गत मान्यता के लिये निर्धारित मानक बालक विद्यालयों की तुलना में पहले से ही उदार है ।

जी नहीं ।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के अता० प्र० सं०–22 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

53–श्री अनिल कुमार वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–22 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नकर्ता का संदर्भित शिकायती-पत्र अब भी प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती में सहकारी गन्ना विकास समिति विक्रमजोत की कार्यकारिणी भंग करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

54–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति, विक्रमजोत, जनपद बस्ती की कार्यकारिणी भंग करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 16-7-93 को गन्ना आयुक्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, विक्रमजोत जनपद–बस्ती की प्रबन्ध कमेटी भंग कर उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गन्ना समिति, विक्रमजोत, जनपद बस्ती के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

55–श्री जगदम्बा सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति, विक्रमजोत, जनपद बस्ती द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 16-7-93 को एक पत्र गन्ना

आयुक्त को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की जांच किसके द्वारा करायी गयी और जांच का परिणाम क्या रहा ? जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उप गन्ना आयुक्त से जांच करायी गयी तथा जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

श्री ओम प्रकाश सिंह, लिपिक तथा श्री झिनकू सिंह, सामयिक लिपिक को निलम्बित किया गया एवं तत्कालीन सचिव/गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय) को चेतावनी दी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में ब्लाक पिंडरा के ग्राम सभा देउंजी में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने की मांग

56–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांव सभा देउंजी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में कोई प्राइमरी पाठशाला है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्ष 1993-94 के बजट वर्ष में एक प्राइमरी स्कूल वहां पर खोलने का आदेश देगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं । वर्तमान में ग्राम सभा देउंजी में कोई प्राइमरी पाठशाला नहीं है ।

विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सबके लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत आगामी वर्षों में इस गांव सभा में प्राइमरी स्कूल खोला जाना है ।

जनपद वाराणसी में सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी में शौचालय एवं साइन्स कक्ष के निर्माण हेतु अनुदान की मांग

57–श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज, बसनी, वाराणसी में शौचालय एवं साइन्स कक्ष हेतु सरकार अनुदान देने की कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार यहां के साइन्स छात्रों की संख्या को देखते हुए भवन निर्माण हेतु एक मुश्त अनुदान देगी ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जनपद सहारनपुर में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं के एच्छिक स्थानान्तरण विषयक जानकारी

58–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, सहारनपुर के सहायक प्रार्थना-पत्र वर्ष 1993 में प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को दिया था ? यदि हां, तो किन-किन सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इनके स्थानान्तरण किये जायेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जो सहायक अभियन्ता नियमानुसार जब स्थानान्तरण का पात्र होगा तब उसका स्थानान्तरण यथासमय किया जायेगा ।

राष्ट्रीय मार्ग के खण्डों में अस्थायी कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

59–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग के खण्डों में कितने कार्य प्रभारित कर्मचारी अनियमित अस्थायी रूप से कब-कब से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिये शासकीय स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

राष्ट्रीय मार्ग के खण्डों में कुल 1275 कार्य प्रभारित कर्मचारी वर्ष 1960 से 1993 के मध्य विभिन्न वर्षों से कार्यरत हैं जिनकी वर्षवार संख्या संलग्न है ।

वर्षवार संख्या के लिये देखिये नत्थी ङ आगे 160-162 पर

विभाग में नियमित पदों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1991-92 से दिसम्बर, 1993 तक टी० एण्ड पी० खरीद में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

60–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड, लखनऊ में वर्ष 1991-92 से दिसम्बर, 1993 तक टी एण्ड पी खरीद के लिये कितने सप्लाई आर्डर, किन-किन सामग्रियों के, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी धनराशि के किये गये थे ? क्या इन सामग्रियों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? एक ही सामग्री के कई बार खरीदने का क्या कारण है ? क्या उक्त सामग्री स्टोर में ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त सामग्री सीधे ही लेने का क्या कारण है ? क्या इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

<u>सूचना संलग्न है ।</u>

जी हां ।

कार्यालय, रेस्ट हाउस एवं कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार कतिपय सामग्री जैसे गीजर, मेज, कुर्सी, स्टील आलमारी, स्टील टेम्पलेट, गैंगठेला, त्रिपाल एवं डबलबेड आदि का क्रय एक से अधिक बार किया गया ।

जी नहीं । टी० एण्ड पी० की सामग्री होने के कारण इसे टी० एण्ड पी० लेखे में लिया गया ।

टी० एण्ड पी० आइटम होने के कारण इसे आवश्यकतानुसार सीधे कार्यस्थल, कार्यालय, रेस्ट हाउस में लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 160–163 पर)

जनपद हरदोई में मेंहदीघाट गंगापुल पर खनिज निगम, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये बोल्डर्स के जांच परिणाम की जानकारी

61–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में मेंहदी घाट–गंगापुल पर खनिज निगम, लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये बोल्डर्स में हुई अनियमितताओं की जांच श्री शिवराज सिंह, निरीक्षक, सतर्कता विभाग द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ? क्या यह भी सही है कि शिकायती बिन्दु से अलग जाकर जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्या श्री अजय कुमार अग्रवाल, सहायक अभियन्ता तथा तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव को दोषी पाया गया है ? क्या सरकार इस संदेहास्पद जांच प्रकरण की पुनः किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मामले में खुली जांच/अन्वेषण सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किया जा रहा है ।

जांच/अन्वेषण अभी प्रचलित है ।

जी नहीं ।

चूंकि जांच प्रचलित है, अतः इस प्रकरण पर किसी को दोषी कहा जाना सम्भव नहीं है ।

चूंकि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही जांच/अन्वेषण का परिणाम प्रतीक्षित है, अतः किसी उच्च अधिकारी से जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में पलिया से टिकार खड़न्जा रोड पर गम्भीरी नदी पर पुल निर्माण की मांग

62–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री जी को जानकारी है कि हरदोई जनपद की 90–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में पलिया से टिकार खड़न्जा रोड पर गम्भीरी नदी पर पुल न बनने से गत वर्ष नाव डूब जाने से एक स्कूली छात्र मर गया था ? यदि हां, तो क्या वहां एक पुल की मांग की गयी थी ? क्या उक्त पुल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।
जी, नहीं ।
जी, नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर में चीनी मिल स्थापित करने की मांग

63–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में कितने हेक्टेयर गन्ना गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष बोया गया तथा कितने टन गन्ना प्रति वर्ष पैदा हुआ ? क्या यह गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश की एक शक्कर मिल की औसत पिराई क्षमता के लिये पर्याप्त है ? यदि हां, तो फतेहपुर जिले में शक्कर मिल स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फतेहपुर में विगत पांच वर्षों में गन्ना क्षेत्रफल एवं गन्ना उत्पादन निम्नवत् रहा :––

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गन्ना उतपादन (टन)
1991-92	11,209	3,85,399
1990-90	9,471	4,03,311
1989-90	8,089	4,00,547
1988-89	8,596	6,17,373
1987-88	9,559	4,54,055

जी हां ।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद फतेहपुर में चीनी मिल की स्थापना हेतु संस्तुति भारत सरकार को भेजी गयी थी जिस पर निर्णय अभी प्रतीक्षित है । चूंकि चीनी मिल की स्थापना हेतु आशय पत्र भारत सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया अतः चीनी मिल की स्थापना नहीं हो सकी है ।

64–श्री चन्द्र विजय सिंह–

[व्यक्तिगत, प्रशासनिक एवं सीमित महत्व का होने के कारण निरस्त]

जनपद टिहरी गढ़वाल में जखौली–भीरी मोटर मार्ग को सड़क से जोड़ने की मांग

65–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में जखौली, भीरी मोटर मार्ग का निर्माण 1980 में लगभग 5 किलोमीटर जयन्ती कुठियाडा ग्राम पट्टी लस्पा, वि० खं० जखौली, जंगल के मध्य वन भूमि में किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस निर्मित मोटर मार्ग को सड़क से जोड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस निर्मित मोटर मार्ग को सड़क से जोड़ने के लिये प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जखौली–भीरी मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1976 में शासनादेश संख्या–4222/28-4-31/1547-76, दिनांक 23-8-76 को उत्तराखण्ड विकास विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी

तथा निर्माण कार्य वर्ष 1977 में प्रारम्भ कर दिया गया था । इस मार्ग के जयन्ती–कुठियाड़ा भाग जो लगभग 5 कि०मी० है, में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया किन्तु वन अधिनियम वर्ष 1980 से लागू हो जाने के कारण पूर्ण नहीं हो सका ।

इस मोटर मार्ग को किसी भी सड़क से नहीं जोड़ा जा सका है ।

वन अधिनियम लागू होने के कारण कार्य रोकना पड़ा ।

सम्बन्धित तीन सहायक अभियन्ता में से एक को चेतावनी तथा दो-को निन्दित किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं है ।

वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार को दिनांक 26-4-93 को स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत कीर्तिनगर में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग

66–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा मुंसिफ कोर्ट, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में स्वीकृत है ? यदि हां, तो विगत कई वर्षों से यह मुंसिफ कोर्ट कीर्तिनगर में क्यों नहीं खुल पा रहा है ? क्या यह सत्य है कि क्षेत्रीय जनता ने मुंसिफ कोर्ट के लिये एक हाल का निर्माण चन्दे के द्वारा करवाया है ? क्या सरकार मुंसिफ कोर्ट को कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल में खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय ने आवासिक/अनावासिक भवनों के अभाव में अपनी संस्तुति नहीं की है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र देवबन्द, जनपद सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

67–श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 416–देवबन्द, सहारनपुर में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत ही कम है ? क्या यह सही है कि हर वर्ष अध्यापक सेवा निवृत्त हो रहे हैं और छात्रों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अध्यापकों की घटती संख्या पूरी करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

विकास क्षेत्र देवबन्द में 7 अध्यापक कम तथा विकास क्षेत्र नानौता में 4 अध्यापक अधिक कार्यरत हैं। मात्र 3 अध्यापक की कमी है।

जी हां।

मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति का प्राविधान है। वर्तमान में जनपद सहारनपुर में निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी नहीं है।

अध्यापकों की आवश्यकता होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ना समितियों में समायोजित गन्ना संघ, लखनऊ के कर्मचारियों एवं श्री शिव मंगल सिंह प्रासेज सर्वर गन्ना समिति (गोवर्स) हरदोई के अवशेष देयों का भुगतान की मांग

68–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना संघ, लखनऊ की वसूली योजना के जनपद स्तर पर कार्यरत वसूली कर्मचारियों की वसूली योजना समाप्त होने पर अधीनस्थ गन्ना समितियों में अक्टूबर, 1992 में समायोजित किया गया था ? क्या इसी योजना के गन्ना संघ मुख्यालय पर कार्यरत 40 कर्मचारियों को गन्ना संघ में ही समायोजित किया गया ? यदि हां, तो उक्तानुसार दोहरी नीति अपनाये जाने का क्या कारण था ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि गन्ना समितियों में समायोजित किये गये वसूली कर्मचारियों का पिछला अवशेष भुगतान गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा कर दिया गया ? यदि हां, तो श्री शिवमंगल सिंह, प्रासेज सर्वर, गन्ना समिति (गोवर्स) हरदोई का वेतन बोनस, अनुग्रह, नगदीकरण, डी० ए० व पी० एफ० एवं बीमा की अवशेष धनराशि लगभग रु० 43,844.52 का भुगतान व जमा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच, लखनऊ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-4-90 के बावजूद नहीं किया गया ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य देयों का भुगतान समय से करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया।

विषयगत कर्मचारियों के बकायों का भुगतान धन उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुआ है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25-4-90 के अनुपालन में वेतन आदि का अंकन रु० 13,644.26 का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान अन्य कर्मचारियों के साथ धन की उपलब्धता होते ही कर दिया जायेगा।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

69–श्री राम प्रसाद टम्टा–

[दि० 23-2-94 को अता० प्र० सं०–186 द्वारा उत्तरित]

गन्ना विकास परिषद्, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध भूतपूर्व सदस्य का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल एवं श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषद्, सिसवा बाजार (महराजगंज) के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरुद्ध दिनांक 18-12-90, 7-1-91, मार्च, 91 में भूतपूर्व विधायक द्वारा अनुसूचित जाति के गन्ना ग्राम सेवकों को उत्पीड़ित करने तथा अनुपस्थित कर्मचारी की उपस्थिति दिखाकर वेतन फर्जी ड्रा करने तथा भ्रष्टाचार करने की शिकायत शासन में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर मंत्री जी कब तक रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71–श्री बची सिंह रावत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–3 द्वारा उत्तरित]

जनपद बाराबंकी की तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

72–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ में डिग्री कालेज खोले जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्ष 1990 से ।

डिग्री कालेज की स्थापना भूमि/भवन तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

मैसर्स रेनबो एक्सपोर्ट की सहयोगी कम्पनी मैसर्स रेनबो वूलेन मिल प्रा० लिमि०, भदोही, जनपद वाराणसी में प्रदूषण यन्त्र लगाये जाने की मांग

73–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रेनबो एक्सपोर्ट कम्पनी की मिल्स भदोही वीडा की जमुनीपुर कालोनी के पास चल रही है ? क्या एक नाले को भी पाट दिया गया है जिससे जल जमाव होता है ? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी ने प्रदूषण खत्म करने हेतु कोई यंत्र लगाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करके कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार प्रदूषण यंत्र शीघ्र लगवाने का आदेश देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैसर्स रेनबो एक्सपोर्ट कम्पनी की सहयोगी कम्पनी मैसर्स रेनबो वूलेन मिल प्रा० लिमि०, भदोही, जिला वाराणसी में जमनीपुर कालोनी के पास निर्माणाधीन है ।

नहीं ।

प्रस्तावित उद्योग द्वारा ई० टी० पी० लगाने का प्रस्ताव है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23-6-93 को ई० टी० पी० लगाकर उद्योग के उत्प्रवाह को शुद्धिकरण करने के पश्चात् निस्तारण करने की शर्त लगायी है ।

अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) कार्यालय गैरसैंण (चमोली गढ़वाल) में कार्यरत सहायक शिक्षा निदेशक के वेतन के भुगतान की मांग

74–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) कार्यालय गैरसैंण (चमोली गढ़वाल) में सहायक शिक्षा निदेशक को पद स्थापना से नियमित वेतन भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक वेतन का भुगतान किया जायेगा ? उन्हें अब तक वेतन भुगतान न होने का क्या कारण है ?

डा० मसूद अहमद–

पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सहायक शिक्षा निदेशक, गैरसैंण, चमो[illegible] पदस्थापन कर दिया गया था जब कि वहां पद सृजित नहीं था । अब शासन ने उनके नि[illegible]न भुगतान के संबंध में आदेश निर्गत कर दिये हैं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों की मैदानी विद्यालयों में सम्बद्धता को समाप्त करने की मांग

75–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के किन-किन राजकीय विद्यालयों से, कौन-कौन से अध्यापक मैदानी जनपदों के किन-किन विद्यालयों में सम्बद्ध किये गये हैं ? इन सम्बद्ध अध्यापकों का वेतन कहां से आहरित हो रहा है ? उनकी सम्बद्धता में शिक्षा कार्य की क्या व्यवस्था है तथा उक्त सम्बद्धता से संबंधित कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो कब तक सम्बद्धतायें खत्म होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां, सूची संलग्न है ।

सम्बन्धित मूल अधिष्ठान से ।

आन्तरिक व्यवस्था द्वारा शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर सम्बद्ध किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ [illegible] पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठवें सोमवार के लिये अता० प्र० सं० 92 के उत्तर के संबंध में जांच परिणाम की जानकारी

76–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के छठवें सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–92 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सम्बन्धित सूचना एकत्रित हो गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

प्रश्नगत मामले में अभी जांच चल रही है ।

प्रदेश में बजट का 70 प्रतिशत धन ग्रामीण विकास हेतु आवंटित करने की मांग

77–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि मुख्य मंत्री ने 70 प्रतिशत बजट उत्तर प्रदेश के देहाती क्षेत्र को आवंटित किये जाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या 1994-95 के बजट में उपरोक्त प्रकार से प्राविधान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वार्षिक योजना परिव्यय का कम से कम 70 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटित किये जाने के लिये शासन प्रतिबद्ध है ।

जनपद बरेली की धौरा, टांडा टाउन एरिया में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की मांग

78–श्री हरीश कुमार गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि बरेली की 25,000 आबादी वाली धौरा, टांडा टाउन एरिया में, जहां 90 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यकों की है, कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या अगले सत्र से वहां राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

वर्तमान योजना के अनुसार धौरा, टांडा टाउन एरिया में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा सलाहकार समिति के अनुमोदन से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा स्थानीय/निजी समुदाय द्वारा निःशुल्क भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने पर वहां राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79–श्री अनिल कुमार वर्मा–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

परमेन्द्र विक्रम सिंह ''बाबा'' ग्राम बहरेलाडीह, पो० तिवारीपुर, जनपद बाराबंकी के पत्र के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही

80–श्री तीरथराज–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमेन्द्र विक्रम सिंह ''बाबा'' ग्राम बहरेलाडीह, पो० तिवारीपुर, जनपद बाराबंकी का प्रश्नकर्ता द्वारा पृष्ठांकित कोई शिकायती पत्र दिनांक 12-11-92 से 30-11-92 के मध्य प्रमुख सचिव, शिक्षा (बेसिक) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में शिकायत के कौन-कौन से बिन्दु थे ? जांच किसके द्वारा करायी गयी ? क्या जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई ?

यदि नहीं, तो जांच पूर्ण करके आख्या शासन को अब तक प्रेषित न करने का उत्तरदायित्व किसका है ? यदि जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई तो उसका सारांश क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

(क) श्री कौशल किशोर सिंह, स० अ० उच्च प्राथमिक विद्यालय पूरे त्रिलोकी (सिद्धौर) तहसील हैदरगढ़ द्वारा अपने निजी मुकदमें में चकबन्दी न्यायालय में उपस्थित होते थे । विद्यालय उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर बनाकर वेतन आहरित करते हैं ।

(ख) इस प्रकार श्री सिंह शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुए छात्रों के साथ सांघातिक अपराध करते हैं ।

क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच की गयी ।

जी नहीं ।

शीघ्र जांच पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री बची सिंह रावत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–4 द्वारा उत्तरित]

हरदोई जनपद में हरदोई–हरपालपुर मार्ग पर बने गर्रा नदी के पुल पर वसूले जा रहे पथकर को समाप्त किये जाने की मांग

82–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में हरदोई–हरपालपुर मार्ग पर गर्रा नदी में 20 वर्ष पहले बने पुल पर आज भी टोल टैक्स वसूला जाता है जिससे क्षेत्रीय जनता ही नहीं वरन् बाहरी जिलों की जनता को भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? क्या यह टोल टैक्स समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

चूंकि प्रश्नगत पुल पर दिनांक 1-10-69 से अन्य सेतुओं की तरह नियमानुसार पथकर की वसूली की जा रही है, अतएव केवल इसी पुल पर पथकर वसूली से जनता को परेशानी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

इस सेतु की सम्पूर्ण लागत जिसमें ब्याज, अनुरक्षण व्यय आदि सम्मिलित है, की वसूली अभी नहीं हुई है तथा पथकर प्रारम्भ हुए 50 वर्ष की अवधि भी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिये इस समय पथकर नियमानुसार समाप्त करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

83–श्री चैनसुख भारती–

[5वे बुधवार में अता० प्र० सं०–88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

84–श्री मोलई–

[दि० 1-3-94 को अता० प्र० सं०–158 द्वारा उत्तरित]

85–श्री नरेन्द्र सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद शिक्षक, स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के अवशेष देयों के भुगतान विषयक पत्र एवं कृत कार्यवाही

86–श्री मोलई प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के किन-किन विद्यालयों (मान्यता प्राप्त हाईस्कूल व इण्टर) से सम्बन्धित वर्ष 1986 से अब तक वेतन वृद्धि व अन्य स्थितियों से उत्पन्न अवस्थाओं में शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों के विगत अवशेष बिलों की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा अब तक नहीं की गयी ? कितने बकाये का भुगतान अवशेष है ? क्या यह सही है कि स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर के शिक्षक श्री फिरंगी विशारद द्वारा इस विद्यालय से सम्बन्धित शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर एवं शासन को वर्ष 1992 से अब तक भुगतान न किया जाने से सम्बन्धित प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो कितनी तथा उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जांच करके कब तक पूरे जिले में अवशेष का भुगतान कर दिया जायेगा ? बिलम्ब के लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ?

डा० मसूद अहमद–

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त सभी अवशेष बिलों का भुगतान किया जा चुका है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कोई बिल भुगतान हेतु लम्बित नहीं है ।

स्वावलम्बी इण्टर कालेज, विशुनपुरा, गोरखपुर के अध्यापक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का मात्र एक शिकायती पत्र दिनांक 14-8-93 प्राप्त हुआ है जिसकी जांच मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से कराई जा रही है ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को जांच करके भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध यथा अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बरेली में अधिवक्ताओं द्वारा की गयी हड़ताल विषयक जानकारी की मांग

87–श्री राजेश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली के सभी अधिवक्ता, न्यायपालिका और कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण विगत कई दिनों से हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार द्वारा न्यायिक कार्य पूर्णतया बन्द होने से, जनपद में वादकारियों की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये, न्यायिक प्रक्रिया को बहाल करने हेतु कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बरेली के समस्त अधिवक्ता दिनांक 25-11-93 से 23-12-93 तक हड़ताल पर रहे । न्यायपालिका और कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण हड़ताल में शामिल नहीं थे ।

बार एसोसियेशन ने पुलिस द्वारा सी० जे० एम० बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अन्तर्गत थाना कोतवाली में रिपोर्ट लिखे जाने के कृत्य की तीव्र भर्त्सना की और इस कृत्य को पुलिस द्वारा रचा गया षडयंत्र बताया तथा प्रस्ताव पारित किया कि पुलिस द्वारा सी०जे०एम० बरेली के विरुद्ध साजिश रच कर उन्हें बदनाम व उनका मनोबल गिराने का रचा गया षडयंत्र बरेली की बार (समस्त अधिवक्तागण) सहन नहीं कर सकेंगे और इसी आधार पर अधिवक्तागण हड़ताल पर रहे ।

दिनांक 24-12-93 से सभी अधिवक्तागण अपना कार्य सुचारु रूप से कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया में छोटे गण्डकं नदी पर गोरया घाट के पुल के निर्माण की मांग

88–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में छोटे गण्डक नदी पर गोरया घाट के पुल का शिलान्यास मुख्य मंत्री की घोषणा पर किया गया है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां।

प्रश्नगत सेतु की केवल प्रशासकीय स्वीकृति दि० 30-3-91 द्वारा प्रदान की गई थी किन्तु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण उक्त सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली में घाट–थराली मोटर मार्ग को यातायात हेतु उपलब्ध कराने की मांग

89–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीमान्त जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट व थराली को मिलाने वाला घाट–सैती भेटी-सुपताल-गैरूड, डुंगरी-थराली मोटर मार्ग में कितने कि०मी० तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ? क्या वहां पर मोटर यातायात चालू है ? क्या यह सही है कि उक्त मोटर मार्ग में घाट से भेंटी तक मोटर मार्ग निर्मित घोषित होने पर भी यातायात वहां पर चालू नहीं हैं ? सरकार उक्त निर्मित मोटर मार्ग कब तक चालू करायेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

घाट व थराली को मिलाने वाली घाट-थराली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य-17 कि०मी० स्वीकृत हुआ था। जिसके विरुद्ध 16 कि०मी० की लम्बाई में मार्ग पूर्ण हो चुका है।

इस मार्ग पर कि०मी० 16 यातायात चालू था। परन्तु गत वर्ष अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त होने के कारण अब 13 कि०मी० तक हल्के वाहन हेतु खुला है।

उक्त निर्मित मोटर मार्ग का यातायात के लिए उपलब्ध कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर के बेलघाट विकास खण्ड में शंकर-मिसिया सड़क हेतु ली गयी भूमि के किसानों का नाम राजस्व अभिलेखों से खारिज करने की मांग

90–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर जिले के बेलघाट विकास खण्ड में शंकरपुर-मिसिया सड़क के अन्तर्गत ली गयी किसानों की भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दिया जा चुका है ? क्या उनके नाम राजस्व विभाग के अभिलेखों से खारिज किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गोरखपुर जनपद के बेलघाट विकास खण्ड में शंकरपुर-मिसिया मार्ग का निर्माण प्रारम्भ में खाद्यान्न योजनान्तर्गत किया गया था जिसमें भूमि अधिग्रहण का प्राविधान न होने के कारण कृषकों को प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया । प्रश्नगत मार्ग की भूमि अभी भू-स्वामियों के नाम ही अंकित है, जिसे अब लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91–श्री हरक सिंह रावत–

[तीसरे बुद्ध में अता० प्र० सं० 173 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में चीनी मिल खोले जाने की मांग

92–चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के गन्ना किसानों को समुचित लाभ प्रदान कराने के लिये शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या शोहरतगढ़ क्षेत्र में उस मिल को स्थापित होना था ? यदि हां, तो क्या आज तक चीनी मिल का निर्माण प्रारम्भ हुआ ? यदि हां, तो उसकी स्थापना कब हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

शोहरतगढ़ में चीनी मिल स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा एक आशय पत्र दिनांक 10-4-90 को श्री के० आर० नारंग, नई दिल्ली को स्वीकृत हुआ था किन्तु उद्यमी द्वारा चीनी मिल की स्थापना नहीं की गयी और आशय पत्र की बैधता अवधि दिनांक 10-4-93 को समाप्त हो गयी । पुनः इसी स्थल हेतु दिनांक 13-1-94 को एक आशय पत्र श्री एन० के० श्रीवास्थव, 6 पीरपुर हाउस, 8–तिलकमार्ग, डालीबाग, लखनऊ को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है ।

जनपद हरिद्वार में बाणगंगा पर लक्सर रायसी मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु को पूरा किये जाने की मांग

93–श्री जगदीश मुनि–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरिद्वार में बाणगंगा पर लक्सर-रायसी मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु पिछले छः वर्षों से अधूरा पड़ा है ? क्या सरकार उक्त सेतु का शीघ्र निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद हरिद्वार में बाणगंगा नदी पर लक्सर-रायसी मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य जुलाई, 90 के बाद धनाभाव के कारण अवरुद्ध था, वर्ष 93-94 में कथित सेतु हेतु रु० 25.00 लाख की धनराशि

उपलब्ध कराने के फलस्वरूप निर्माण कार्य पुनः अक्टूबर, 1993 में प्रारम्भ किया गया था । अब धनाभाव के कारण कार्य पुनः बन्द हो गया है ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पुल का पूरा होना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

94–श्री बंशी धर भगत–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० स० 178 द्वारा उत्तरित\]

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत ग्राम सेलावन के जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

95–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार बतायेगी कि क्या विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत ग्राम सेलावन, जनपद फतेहपुर के जूनियर हाई स्कूल में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनकी पूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में नियमों को लेकर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित होने के कारण प्रोन्नतियां अवरुद्ध है ।

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के स्तर से लगाया गया प्रतिबन्ध समाप्ति होने पर रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी ।

जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर विकास खण्ड मिल्कीपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम तरमा को फैजाबाद रायबरेली रोड से जोड़ने वाले सम्पूर्ण मार्ग तथा पुल निर्माण की मांग

96–श्री मित्रसेन यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि ग्राम तरमा स्थित विकास खण्ड मिल्कीपुर, तहसील बीकापुर, फैजाबाद चारों तरफ से तपसा नदी से घिरा हुआ है और वर्ष के 6 माह चारों तरफ से जलभराव के कारण जनता का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव को फैजाबाद, रायबरेली से जोड़ने के लिये कोई पुल बनाकर सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह गांव दो तरफ से तमसा नदी तथा दो तरफ से इस नदी से निकलने वाले नाले से घिरा है । वर्षाकाल तथा अतिवृष्टि होने पर आवागमन में कठिनाई होती है ।

सम्प्रति वहां पर पुल निर्माण एवं सम्पर्क मार्ग बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

97–अफजाल अंसारी–

[4थे गुरुवार में अता० प्र० सं०–67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी की टाउन एरिया खमरिया-नरउर मार्ग पूर्ण न होने के कारणों की जानकारी

98–श्री रंगनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले की टाउन एरिया खमरिया-नरउर मार्ग के लिए 12 लाख 65 हजार रुपये से बनी सड़क पर सम्पूर्ण धन खर्च होने के बाद भी सड़क नहीं बन पायी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के औराई ब्लाक में डिघवट गांव के पास समधा नाला पर पुल निर्माण की मांग

99–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के औराई ब्लाक में डिघवट गांव की महिलाओं को समधा नाला पार करने के लिये कोई पुल प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह कब तक बन जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र धुरियापार में निर्माणाधीन सहकारी किसान चीनी मिल हरपुर–गजपुर के जनरल मैनेजर के विरुद्ध शिकायती पत्र व कृत कार्यवाही

100–श्री मोलई प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र धुरियापार में निर्माणाधीन सकारी चीनी मिल हरपुर-गजपुर (धुरियापार) के जनरल मैनेजर के विरुद्ध दैनिक मजदूरी पर नये लोगों से काम लेने, सवर्ण लोगों को रखने, अपने जिले के व रिश्तेदारों को रखने, अनुसूचित जाति के लोगों की उपेक्षा करने, काम कराकर मजदूरी न देने आदि अनेक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें नागरिकों व समाजवादी पार्टी गोरखपुर द्वारा प्रस्ताव पारित करके सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक व शासन के सचिव आदि को वर्ष 1993 के माह जनवरी से माह नवम्बर तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1993 के माह जनवरी, से माह नवम्बर तक निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिल धुरियापार के जनरल मैनेजर के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दो शिकायती पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ व शासन को प्राप्त हुये थे ।

प्रश्नगत प्रकरणों में जांच कराई जा रही है । इस मध्य तत्कालीन जनरल मैनेजर को उस पद से प्रत्यावर्तित कर अपने मूल विभाग को वापस कर दिया गया है ।

101–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

गिरिराज महराज, गोवर्धन मथुरा के परिक्रमा मार्ग का निर्माण व सौन्दर्यीकरण

102–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरिराज महराज, गोवर्धन, मथुरा के परिक्रमा मार्ग में मिट्टी एवं पक्का कार्य मानक के आधार पर हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कार्यस्थल पर मात्र गिट्टी बिखरी हुयी है ? यदि हां, तो वहां पर अन्य कार्य यथा परिक्रमा मार्ग पर सौन्दर्यीकरण योजनाओं, पेयजल, वृक्षारोपण, परिक्रमार्थियों के बैठने के योजनाओं को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

पेयजल, वृक्षारोपण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किया जाना प्रस्तावित नहीं है किन्तु आगणनानुसार यात्रियों के बैठने हेतु बैंच तथा सौन्दर्यीकरण आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य स्वीकृत है, जिन्हें पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय चौवट्टाखाल, वेदीखाल एवं कर्णप्रयाग में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

103–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय, चौवट्टाखाल, राजकीय महाविद्यालय वेदीखाल एवं राजकीय महाविद्यालय, कर्णप्रयाग में कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं ? विगत वर्षों से वहां कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या ये पद पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इनकी पूर्ति की क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये तत्काल रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय महाविद्यालय चौवट्टाखाल, वेदीखाल तथा कर्णप्रयाग में क्रमशः प्रवक्ता के छः, सात तथा नौ पद सृजित हैं ।

राजकीय महाविद्यालय चौवट्टाखाल, वेदीखाल तथा कर्णप्रयाग में क्रमशः दो, पांच व पांच प्रवक्ता कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन नवम्बर, 1991 में भेजा गया है । अन्तिम बार अध्यक्ष लोक सेवा आयोग को शीघ्र चयन कराये जाने हेतु दिनांक 19 फरवरी, 1994 को लिखा गया है । शासन ने राज०महा०वि० में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु सेवानिवृत्त प्राचार्यों/प्रवक्ताओं को रखे जाने हेतु प्राचार्यों को अधिकृत कर दिया गया है ।

पर्यावरण निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

104–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण विभाग में 14-8-86 को पर्यावरण निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमित चयन हुआ था ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों का नियमित चयन किया गया ? कितने कर्मचारियों को चयन के उपरान्त भी नियमित वेतनमान नहीं दिया गया ? क्या उसके बाद किन्हीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती की गयी है ? क्या पहले चयनित कर्मचारियों को नियमित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पर्यावरण निदेशालय के सुदृढ़ीकरण मद के अन्तर्गत पूर्व से काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित वेतनमान में कार्यरत तथा दैनिक वेतन पर कार्यरत क्रमशः 2 तथा 3 अर्थात् 5 तथा सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त सूची में एक अभ्यर्थी अर्थात् कुल 6 अभ्यर्थियों का चयन दिनांक 14-8-1986 को आयोजित चयन समिति द्वारा किया गया । काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित वेतनमान में पूर्व से कार्यरत श्री नन्द किशोर तथा श्री श्रीराम का एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत श्री राम सजीवन, श्री गणेश दत्त एवं श्री आशा राम तथा सेवायोजन कार्यालय से प्राप्त नामों में से श्री बृजलाल का चयन, चयन समिति द्वारा किया गया ।

श्री राम सजीवन, श्री गणेश दत्त, श्री आशा राम एवं श्री बृज लाल को चयन के उपरान्त नियमित वेतनमान नहीं दिया गया ।

दिनांक 14-8-1986 को चयनित 6 कर्मचारियों में से पूर्व से पर्यावरण निदेशालय के सुदृढ़ीकरण मद में काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित वेतनमान में कार्यरत दो कर्मचारियों श्री नन्द किशोर तथा श्री श्रीराम को दिनांक 10-9-1986 को नियमित नियुक्ति की गयी । इसके अतिरिक्त वर्ष 1993 में क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ तथा वाराणसी में क्रमशः 3 तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति की गयी ।

दिनांक 14-8-1986 को चयनित कर्मचारियों में से दो कर्मचारियों को नियमित किया गया । चार कर्मचारियों को पर्यावरण निदेशालय के मुख्यालय पर सुदृढ़ीकरण मद में पद उपलब्ध न होने के कारण नियमित नहीं किया गया ।

झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवरी घाट धसान नदी पर पुल निर्माण की मांग

105–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवरी घाट धसान नदी पर पुल बनाया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो अभी तक पुल न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर में स्वीकृत पक्की सड़कों के निर्माण एवं सुखनाई नदी पर बने पुल को चालू करने की मांग

106–श्री बिहारी लाल आर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर में कितनी सड़कें पक्की बनने के लिए स्वीकृत हैं ? उन पर कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर में ही सुखनई नदी पर पुल बन गया है ? यदि हां, तो उसे अभी तक चालू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

झांसी जनपद की तहसील मऊरानीपुर में नौ पक्की सड़कें बनने के लिए स्वीकृत हैं । सड़कों को पूर्ण करने की अवधि का निर्धारित किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जी हां ।

सेतु को दिनांक 1-2-94 से यातायात हेतु खोल दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में प्रतिनियुक्ति से सचिवालय सेवा में प्रत्यावर्तित कर्मचारी के अवशेष वेतन भुगतान एवं अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक जानकारी

107–श्री चरन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में सचिवालय सेवा के फरवरी, 1991 में प्रतिनियुक्ति पर कितने ऐसे अधिकारी भेजे गये थे, जिनको प्रत्यावर्तन आदेश के उपरान्त एक माह तक अवमुक्त नहीं किया गया ? क्या उस अवधि का उनका वेतन आहरित किया गया तथा अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र जारी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त अवधि के वेतन को आहरित करते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् में सचिवालय सेवा के केवल एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री पारस नाथ माह फरवरी, 1991 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे जिन्होंने वहां दिनांक 12-2-1992 तक ही कार्य किया ।

उन्होंने अपना कार्यभार डा० ए० एन० पाठक, निदेशक एवं सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सौंप दिया । उसके पश्चात् श्री पारस नाथ ने सचिवालय के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग में मार्च, 1992 तक अनुसचिव के रूप में कार्य किया ।

इसके बावजूद भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा श्री पारस नाथ का माह फरवरी, 1992 तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है एवं तद्नुसार अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिया गया है ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

108–श्री चेतराम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील मुख्यालय पुवायां में एक डिग्री कालेज खोले जाने की संस्तुति शासन स्तर से हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक पुवायां में डिग्री कालेज खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में एक इण्टर कालेज खोलने की मांग

109–श्री चेतराम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील मुख्यालय पुवायां में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज स्वीकृत होकर उसकी कक्षायें किसी अन्य स्कूल में चल रही हैं ? क्या उक्त भवन निर्माण हेतु करीब $2\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन का भी विगत वर्षों में चयन हो चुका है ? यदि हां, तो अभी तक भवन न बनने का क्या कारण है ? उपरोक्त विद्यालय का भवन कब तक बन जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार में कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

110–श्री चेतराम–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की टाउन एरिया खुटार में एक कन्या इण्टर कालेज खोले जाने हेतु शासन स्तर से स्वीकृति मिल गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक कक्षायें न शुरू किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त कस्बे में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की संस्तुति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोला जाना सम्भव नहीं है ।

श्री रघुबीर सिंह, सेवानिवृत्त लिपिक, एम० जी० पालीटेक्निक, हाथरस (अलीगढ़) के अवशेष देयों का ब्याज सहित भुगतान की मांग

111–श्री हरक सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुबीर सिंह, लिपिक, एम० जी०, पालीटेक्निक, हाथरस (अलीगढ़) को कब सेवानिवृत्त किया गया और तत्कालीन आदेशों के विरुद्ध उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने से एक वर्ष पूर्व किस कारण सेवानिवृत्त किया गया ? क्या सेवानिवृत्त के एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उन्हें ग्रेच्युटी, पेंशन एवं भविष्य निधि आदि के भुगतान के आदेश जारी करके उन्हें भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार प्रचलित नियमों के अनुसार श्री रघुबीर सिंह को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के अन्तर्गत ग्रेच्युटी, पेंशन, जी० पी० एफ० तथा जीवन बीमा की राशि का भुगतान अभी तक न करने पर उनके ब्याज सहित सहित भुगतान के आदेश जारी करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संस्था की प्रशासनिक योजना में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 58 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने एवं एक वर्ष के सेवा विस्तारण करने के उपरान्त दिनांक 16-1-83 को सेवानिवृत्त किया गया अतएव अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पूर्व सेवानिवृत्त किये जाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री सिंह द्वारा अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी० पी० एफ०) का विकल्प दिये जाने के कारण अंशदायी भविष्य निधि की धनराशि रु० 13,789.31 का भुगतान 24-5-84 व 25-5-84 को कर दिया गया, अतएव ग्रेच्युटी व पेंशन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । श्री सिंह की सेवानिवृत्ति के समय तक सामूहिक बीमा योजना लागू न होने के कारण प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सिंह ने पेंशन स्कीम का विकल्प नहीं दिया, अतएव प्रश्न नहीं उठता ।

जसवन्त शुगर मिल्स, जिला मेरठ में कार्यरत स्व० श्री केशव मिश्र के आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

112–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री केशव मिश्र, जसवन्त शुगर मिल्स, जिला मेरठ में कार्यरत थे ? क्या उनकी मृत्यु सेवा काल में ही दिनांक 3/4-1-83 को हो गयी थी ? यदि हां, तो एवजी में इनके लड़के कमलेश मिश्र, ग्राम जिगना मिश्र, पोस्ट भटनी, जिला देवरिया को अब तक नौकरी न देने का क्या कारण है ? क्या इनको अविलम्ब नौकरी दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जसवन्त शुगर मिल, मेरठ की अधिग्रहण राज्य चीनी निगम की इकाई के रूप में दिनांक 28-10-84 से हुआ व मृतकों के आश्रितों को नौकरियां दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 14-4-86 से लागू हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय महाविद्यालय, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में गठित प्रवक्ता की नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

113–श्री बची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 8-12-1993 प्राप्त हुआ है,जो राजकीय महाविद्यालय रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में गणित के प्रवक्ता की नियुक्ति के संबंध में है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या गणित प्रवक्ता की नियुक्ति की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

गणित के एक प्रवक्ता को सम्बद्ध कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उप खण्ड अधिकारी कार्यालय, लो० नि० वि० प्रान्तीय खण्ड को रामनगर, जनपद नैनीताल से भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा में स्थानान्तरित करने की मांग

114–श्री बची सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा का कार्यक्षेत्र तहसील रानीखेत व भिकियासैंण में है ? क्या यह सही है कि उक्त प्रान्तीय खंड, लो० नि० वि०, रानीखेत के अधीन कार्यरत उपखण्ड अधिकारी का कार्यालय दूसरे जनपद नैनीताल के रामनगर स्थान में स्थित है, जो रानीखेत से करीब 100 कि०मी० दूरी पर है तथा अपने कार्यक्षेत्र भिकियासैंण से करीब 110 कि०मी० दूरी पर है, जिससे प्रशासनिक फिजूलखर्ची के साथ-साथ कार्य की प्रगति भी प्रभावित हो रही है ? क्या सरकार उक्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, लो० नि० वि० प्रान्तीय खण्ड को रामनगर, जिला नैनीताल से स्थानान्तरित कर उसके कार्यस्थल तहसील भिकियासैंण, जिला अल्मोड़ा में स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । उप खण्ड अधिकारी का कार्य क्षेत्र सल्ट ब्लाक है जिसके मुख्यालय मौलेखाल की दूरी रामनगर से लगभग 55 कि०मी० है । रामनगर से मछोड़ तक का कार्य क्षेत्र भी उप खण्ड अधिकारी के अन्तर्गत है जिसकी दूरी रामनगर से केवल 54 कि०मी० है और भिकियासैंण से मछोड़ लगभग 38 कि०मी० दूरी पर है जो प्रान्तीय एवं निर्माण खण्ड, रानीखेत के कार्य क्षेत्र में पड़ता है । इस प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से उप खण्ड अधिकारी का कार्य क्षेत्र निर्धारण कार्यों पर उचित नियंत्रण रखे जाने के उपयुक्त है । अतः किसी प्रकार की प्रशासनिक फिजूलखर्ची तथा कार्य की प्रगति प्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर–पुवायां–खुटार–मैलानी मार्ग नं० 25 को चौड़ा करने की मांग

115–श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर–पुवायां–खुटार–मैलानी मार्ग सं०–25 पर ट्रैफिक ज्यादा चलने के कारण चौड़ा किये जाने हेतु शासन स्तर से विगत वर्षों स्वीकृति मिल गयी है? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक चौड़ी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

शाहजहांपुर–पुवायां–खुटार–मैलानी मार्ग संख्या–25 के 11.40 कि०मी० को चौड़ीकरण करने हेतु शासनादेश सं० 4426ई/23–लो० नि०–11-10/90, दिनांक 7-11-90 के अन्तर्गत 25.65 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त सड़क का चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

116–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दि० 3-2-94 को अता० प्र० सं० 183 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर के प्रस्ताव प्राप्त विकास खण्डों में बालिका हाईस्कूल/इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

117–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक ब्लाक में एक बालिका हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज खोलने के सरकारी निर्णय के अधीन सीतापुर जनपद से अब तक किन-किन विकास खण्डों में कहां कहां स्कूल खोलने के प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो चुके हैं ? उक्त स्कूल वहां पर कब तक खोल लिये जायेंगे ?

डा० मसूद अहमद–

सीतापुर जनपद से निम्नांकित विकास खण्डों में राजकीय कन्या विद्यालयों की स्थापना के अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए थे :—

(1) विकास खण्ड–गोदलामऊ

(2) विकास खण्ड परसेण्डी के स्थान ग्राम उल्जापुर

(3) विकास खण्ड रेउसा

(4) विकास खण्ड खैराबाद के शाह जलालपुर

प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण स्कूल खोलना सम्भव न हो सका।

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के माधोगंज, नयागांव, गौसगंज, मल्लावां, मेंहदीघाट आदि डामरयुक्त मार्गों की मरम्मत की मांग

118–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के माधोगंज, नयागांव, गौसगंज, मल्लावां, मेंहदी घाट तथा माधोगंज परचल, सुरसा मार्गों की डामरयुक्त महत्वपूर्ण

मार्गों की मरम्मत विगत कितने वर्षों से नहीं करायी गयी है ? क्या उक्त मार्गों की तत्काल मरम्मत पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत मार्गों की मरम्मत अनुरक्षण मद में प्राप्त संसाधनों से प्रति वर्ष करायी जाती रही है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :––

मार्ग का नाम	व्यय का वर्षवार विवरण (लाख रु० में)		
	91-92	92-93	93-94
1–माधौगंज–नयागांव मार्ग	2.70	0.20	2.24
2–गौसगंज–मल्लावा मेंहदीघाट मार्ग	4.92	3.73	5.42
3–माधौगंज-परवल सुरसा मार्ग	0.08	1.03	0.12

सीमित संसाधनों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव पासी खेड़ा-चन्दनपुर, उमरी मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

119–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के वि० खं० भीतरगांव के अन्तर्गत भीतरगांव से पासीखेड़ा, चन्दनपुर उमरी खड़न्जा मार्ग पर लगभग 8 कि० मी० सड़क को पक्का कराये जाने की योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

भीतरगांव से ग्राम पासी खेड़ा के निकटतम 3.2 कि० मी० लो० नि० वि० का लेपित मार्ग है जिसे बढ़ाकर चन्दनपुर प्र उमरी मार्ग को पक्का कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत बरीपाल–सिरसा-मैधरी मार्ग को पक्का कराने की मांग

120–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड घाटमपुर के अन्तर्गत बरीपाल–सिरसा–मैधरी मार्ग–4 कि०मी० को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पक्का कराये जाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

प्रश्नगत लोक निर्माण विभाग के मार्ग को पक्का कराये जाने की योजना स्वीकृत है । यह शासनादेश संख्या–871ई/23–लो० नि० अनु०–11/135ई/91, दिनांक 1-4-91 के द्वारा 5.00 कि०मी० लम्बाई के लिये रु० 18.75 लाख से राज्य योजना में स्वीकृत हुई थी । स्वीकृत लागत से केवल सिरसा तक 3.00 कि०मी० लम्बाई काय कार्य पूर्ण हो जायेगा । शेष लम्बाई को पक्का कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से चन्दनपुर उमरी मार्ग पक्का कराने की मांग

121–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से चन्दनपुर–उमरी मार्ग लगभग 6 कि०मी० को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पक्का कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर (देहात) के विकास खण्ड पतारा/भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से इटर्रा–पसेमा मार्ग को पक्का कराने की मांग

122–श्री राकेश सचान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर (देहात) के विकास खंड पतारा/भीतरगांव के अन्तर्गत मुगल रोड से इटर्रा-पसेमा तक 6 कि०मी० मार्ग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पक्का कराये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मुगल रोड पर परास से वाया पसेमा इटर्रा तक कुल दूरी 9 कि०मी० है जिसमें से परास से 6 कि०मी० लो० नि० वि० का खड़न्जा स्तर का मार्ग है, उसके बाद 2 कि०मी० कच्चा मार्ग है तथा पुनः एक कि०मी० लो० नि० वि० का लेपन तक निर्माणाधीन मार्ग है एवं इस पर कार्य प्रगति पर है । इस प्रकार परास से 8 कि०मी० शेष मार्ग को पक्का कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, सवाईपुर धबना बुजुर्ग, कानपुर देहात को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने विषयक उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन

123–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, सवाईपुर, धबना बुजुर्ग, कानपुर देहात को अनुदान स्वीकृत किये जाने संबंधी निर्देश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 25-11-92 को प्रबन्ध समिति बनाम राज्य सरकार के मुकदमें में कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक निर्णय का अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हैं ? कब तक अनुपालन करा दिया जायेगा ?

ड० मसूद अहमद–

जी हां ।

उक्त निर्णय के विरुद्ध मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये जाने के कारण अनुपालन नहीं किया गया ।

विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित अन्तिम आदेश के अनुसार एवं अन्य विधिक प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अनुपालन पर विचार किया जायेगा ।

विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 10 जिलों में ''सबको शिक्षा'' योजना की जनपद सीतापुर में प्रगति की जानकारी

124–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश के 10 जिलों में चालू की जा रही ''सबको शिक्षा'' योजना की प्रगति सीतापुर में क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

विश्व बैंक पोषित सभी के लिये शिक्षा नामक परियोजना के 10 चयनित जनपदों (वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, बांदा, सीतापुर, इटावा, अलीगढ़, सहारनपुर, पौड़ी तथा नैनीताल) में इसी वित्तीय वर्ष (1993-94) से संचालित है ।

सीतापुर जनपद की ''जिला शिक्षा परियोजना समिति'' को जनपद स्तरीय कार्यालय स्थापना, 121 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, 30 प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण, 44 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण व 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण एवं 76 प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा-कक्ष तथा 5 विद्यालयों में दो कक्षा-कक्ष 138 पेयजल व 161 शौचालय का निर्माण कराये जाने हेतु प्रथम किश्त में रु० 242.05 लाख की धनराशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 6-12-93 को प्राप्त करायी गयी ।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में 19 ब्लाक संसाधन केन्द्रों का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जाना है, जिनमे से 15 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है ।

लखनऊ बरेली दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित सीतापुर के बाई पास निर्माण के प्रगति की जानकारी

125–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित सीतापुर नगर के बाई-पास के निर्माण की प्रगति क्या है ? इसके कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ? कब तक उक्त बाईपास पूर्ण हो जाना चाहिए था ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

लखनऊ–बरेली–दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग–24 पर सीतापुर नगर के बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य तथा प्रथम चरण में सेतु के पहुंच मार्ग के अतिरिक्त पूरी लम्बाई में मिट्टी एवं पुलिया कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण के रूप में निर्माण कार्य की प्रगति लगभग 15 प्रतिशत है।

प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सम्बन्धी कार्यों हेतु परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर इसका निर्माण कार्य निर्भर करता है।

प्रश्नगत बाईपास को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 1994 निर्धारित था जो परिवहन मंत्रालय से राष्ट्रीय मार्गों सम्बन्धी कार्यों हेतु समुचित अनुदान प्राप्त न होने के कारण सम्भव नहीं हो सका।

जनपद महराजगंज की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, सिसवा बाजार के काश्तकारों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

126–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में है कि जनपद महराजगंज की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, सिसवां इकाई पर वर्ष 1992-93 का गन्ना काश्तकारों का गन्ना मूल्य लगभग 2 करोड़ का बकाया भुगतान अवशेष है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि काश्तकारों को भारी ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ से प्रभावित होने की दशा में अनुसूचित जन जातियों, निर्बल, कमजोर काश्तकारों को रबी की बुआई के समय भी बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान न होने से काश्तकारों को भारी क्षति पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गन्ना आपूर्ति मूल्य भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान समय से चीनी उद्योग द्वारा काश्तकारों को देने से हुई क्षति तथा गन्ना बकाया मूल्य का ब्याज तत्काल काश्तकारों को दिलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज द्वारा पेराई सत्र 1992-93 के समस्त देय 1399.20 लाख रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, सिसवा बाजार, महराजगंज के किसानों के अवशेष का भुगतान

217–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सहकारी गन्ना समिति, सिसवां बाजार, महराजगंज को उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई द्वारा गन्ना मूल्य गन्ना आपूर्ति का 85 प्रतिशत गन्ना समिति सिसवा बाजार को भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उस गन्ना मूल्य की धनराशि को सहकारी गन्ना समिति द्वारा गन्ना भुगतान मूल्य अधिनियम के अधीन गन्ना समिति/गन्ना काश्तकारों को गन्ना भुगतान मूल्य बकाया के रूप में भुगतान न करके अन्य मदों में लगभग 3 करोड़ रुपया खर्च कर डाला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने तथा काश्तकारों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं ।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज का प्रस्ताव

128–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला योजना के अन्तर्गत राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये अध्यक्ष, नगर क्षेत्र समिति, सिसवां बाजार, महराजगंज ने दिनांक 7-8-91 को शासन में मांग पत्र दिया था, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने पत्र सं०–3823/90-91, दिनांक 1-12-91 द्वारा उप शिक्षा निदेशक, मा० शिक्षा विद्यालय निदेशालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–6169/90-91 दिनांक 21-1-91 द्वारा मांगी गयी शर्तों को पूरा करके विद्यालय खोलने की स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी ? यदि हां, तो आज तक विद्यालय न खोले जाने का क्या कारण है ?

डा० मसूद अहमद–

जिला योजनान्तर्गत नहीं अपितु असेवित विकास खण्ड में राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना एवं राजकीय कन्या जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उन्नयन नामक राज्य योजनान्तर्गत प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था ।

वर्ष 1990-91 में विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने तथा वर्ष 1991-92 में उक्त योजनान्तर्गत नये विद्यालयों की स्थापना हेतु प्राविधान के अभाव में विद्यालय खोलने पर विचार किया जाना सम्भव न हो सका ।

प्रदेश में अनुदान विहीन अरबिया मदरसा के अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सरकार द्वारा वेतन भुगतान किये जाने की मांग

129–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने अरबिया मदरसा वर्तमान समय में चल रहे हैं? उनमें से कितने मदरसे स्थायी मान्यता प्राप्त हैं ? कितने मदरसे मान्यता विहीन हैं ? क्या स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को शासन द्वारा अनुदान दिये जाने का प्राविधान है ? प्राविधान के तहत किन-किन मदरसों को अनुदान आवंटित किया जाता है ? कितने अनुदान विहीन मदरसे चल रहे हैं ? क्या उन मदरसों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

वर्तमान समय में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संचालित मदरसों की संख्या 341 है ।

शिक्षा विभाग में प्राप्त सूचनानुसार मान्यता विहीन मदरसों की संख्या 92 है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अनुदान सूची पर लिये जाने का प्राविधान है ।

वित्तीय प्राविधान उपलब्ध होने पर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों में से अनुदान सूची पर लिया जाता है ।

अनुदान सूची पर लिये जाने के लिये अभी 79 स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी मदरसे शेष हैं ।

जी नहीं ।

शासन की नीति के अनुसार किसी भी गैर अनुदान प्राप्त संस्था के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान नहीं दिया जाता है ।

गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त पेंशनर्स की भांति नगर महापालिका के पेंशनर्स को पेंशन पर राहत की सुविधा न दिये जाने के कारणों की जानकारी

130–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पेंशन पर राहत की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो बिल्कुल उन्हीं सेवा की शर्तों के अधीन प्रदेश की नगर महापालिका से पेंशन प्राप्त करने वाले अध्यापकों को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

नगर महापालिका से पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों को पेंशन नगर महापालिका के कर्मचारियों के समरूप दरों पर देय है ।

131–श्री राम सरन वर्मा–

[तीसरे गुरु में अता० प्र० सं०–156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिल मालिकों तथा क्रेशरों के मालिकों द्वारा गन्ने की तौल में अनियमितता को रोकने के लिए दण्ड की व्यवस्था की जानकारी

132–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिल मालिक, गन्ना क्रेशरों के मालिकों द्वारा किसानों के गन्ने को तोलने में होने वाली धांधली को रोकने के लिए कोई आकस्मिक निरीक्षण की कोई नीति बनायी है ? क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 खत्म होने के बाद उनको दण्डित करने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । चीनी मिलों द्वारा संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल कांटों की निर्धारित एवं आकस्मिक जांच गन्ना एवं चीनी विभाग के क्षेत्रीय तथा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा अनियमितता पाये जाने की दशा में "उ० प्र० गन्ना (पूर्ति एवं खरीद अधिनियम) 1953" के प्राविधानों के अन्तर्गत 6 माह की सजा या रु० 5,000 तक का अर्थदण्ड या दोनों दिया जा सकता है ।

सतत् अनियमितता पाये जाने पर अनियमितता अवधि में यह दण्ड रु० 1,000/- प्रतिदिन की दर से दिया जा सकता है ।

क्रेशरों पर तौल में पायी गयी अनियमितताओं के लिए प्रश्नगत अधिनियम की धारा 3/7 के अतिरिक्त उ० प्र० खाण्डसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967 के अन्तर्गत इकाइयों का लाइसेंस निलम्बित/निरस्त किये जाने तथा उ० प्र० के प्राविधानों के अन्तर्गत इकाई सील किये जाने की व्यवस्था है ।

पब्लिक इण्टर कालेज, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी कृषि भूमि से होने वाली आय तथा व्यय का विवरण

133–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इण्टर कालेज, सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी के विद्यालय के नाम कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य हैं और कितने एकड़ भूमि रिक्त पड़ी है ? कृषि योग्य कुल भूमि से विद्यालय को अनुमानित वार्षिक आय कितने रुपये होती है ? इस आमदनी को अब तक किन-किन मदों पर खर्च किया जाता रहा है ? कुल कितनी धनराशि विद्यालय के नाम जमा है ?

डा० मसूद अहमद–

पब्लिक इण्टर कालेज, सम्पूर्णानगर लखीमपुर खीरी के नाम 4.47 एकड़ भूमि कृषि योग्य है तथा कोई भूमि रिक्त नहीं पड़ी है । कृषि योग्य कुल भूमि से विद्यालय की अनुमानित वार्षिक आय रु० 8,500 है । उक्त आय की धनराशि भवन निर्माण, फर्नीचर क्रय, यात्रा भत्ता, स्टेशनरी क्रय तथा विद्युत बिलों के भुगतान आदि मदों पर व्यय किया जाता है । विद्यालय के नाम पर रुपया 100 मात्र जमा है ।

सहकारी गन्ना समिति लि० हरगांव जनपद सीतापुर में कार्यरत श्री विनय मित्र द्विवेदी की पदोन्नति को निरस्त करने की मांग

134–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति लि०, पलिया कलां (खीरी) के पूर्व सचिव, श्री विनय कुमार मिश्र, जो कि इस समय सहकारी गन्ना समिति, लि० हरगांव (सीतापुर)

में कार्यरत है, पर लाखों रुपये का गबन एवं घोटाले जैसे गम्भीर मामलों से आरोपित हैं ? यदि हां, तो क्या इन गम्भीर आरोपों को अनदेखा करते हुए इन्हें विभाग द्वारा पदोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार अनियमित रूप से दी गयी पदोन्नति को निरस्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विषयगत कर्मचारी का नाम श्री विनय मित्र द्विवेदी है न कि श्री विनय कुमार मिश्र । श्री विनय मित्र द्विवेदी को दिनांक 29-1-92 को नियमानुसार पदोन्नति दी गयी है । श्री द्विवेदी के विरुद्ध पदोन्नति के समय कोई कार्यवाही लम्बित नहीं थी । गन्ना समिति पलिया कलां (खीरी) के खाद घोटाले का प्रकरण प्रकाश में आने पर आदेश दिनांक 18-11-92 द्वारा श्री द्विवेदी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्थापित की गयी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सीतापुर के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में चीनी मिल स्थापना की मांग

135–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में लगने वाली चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1994-95 में हो जायेगी ? यदि हां, तो किन उद्यमियों द्वारा प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रस्तावित क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना हेतु निर्धारित रूप पत्र में कोई प्रार्थना-पत्र गत 2-3 वर्ष में प्राप्त नहीं है । अतः उक्त स्थान पर चीनी मिल लगाये जाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

136–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रबन्ध निदेशक, गन्ना संघ के विरुद्ध दिनांक 16-9-92 को पूर्व मुख्य मंत्री को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर शिकायतें की गयी हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब शिकायती बिन्दुओं पर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

माननीय विधायक के पत्र में की गयी शिकायतें निष्क्रिय आपूर्तित कीटनाशक का अनियमित रूप से भुगतान कराये जाने, उर्वरक के आवंटन के विरुद्ध फर्मों से क्रय एवं भुगतान में अनियमिततायें, वर्ष 91-92 की तुलना में वर्ष 92-93 में उर्वरक की कम मात्रा में आपूर्ति किये जाने, शासन के मितव्ययिता संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने तथा नियुक्तियां जातिवाद एवं वर्गवाद के आधार पर किये जाने के बिन्दुओं से संबंधित हैं । उक्त शिकायतों की जांच अपर गन्ना आयुक्त (प्रशासन) से करायी गयी । जांचोपरान्त शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राम अभिलाष पाण्डेय, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, गोलापुर, विकास खण्ड शिवगढ़, जनपद प्रतापगढ़ के पुत्र की मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति की मांग

137–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम अभिलाष पाण्डेय, जो प्राथमिक विद्यालय, गोलापुर, विकास खण्ड शिवगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, का स्वर्गवास दिनांक 14-3-1992 को हो गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित के पुत्र श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की नियुक्ति मृतक आश्रित के कोटे के अन्तर्गत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में श्री ओम प्रकाश पाण्डेय का पत्र दिनांक 15-5-92 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को दि० 26-12-92 बेसिक शिक्षा निदेशक को 4 जनवरी, 1993 व प्रमुख सचिव, शिक्षा को दिनांक 2-3 जनवरी, 1993 तथा संयुक्त निदेशक, लोक शिकायत को दिनांक 5-10-93 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? नियुक्ति में विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि 40 : 1 के मानक के अनुसार प्रतापगढ़ में स० अ० के पद रिक्त नहीं थे ।

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

40 : 1 के मानक से उपलब्ध रिक्ति के प्रति वरीयताक्रम में इनका क्रम आने पर नियुक्ति की जायेगी ।

श्री जे० वी० अग्रवाल, प्रान्तीय खण्ड, देवरिया द्वारा क्रय किये गये नट बोल्ट की जांच

138–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० वी० अग्रवाल जब प्रा० खण्ड, देवरिया में कार्यरत थे तो उनके द्वारा भागलपुर पर पेन्टन पुल पर भारी पैमाने पर नट बोल्ट खरीदा था ? क्या सभी नट बोल्ट एक साथ टूट गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह क्रय नियमानुसार था ? पुराने नट बोल्ट का क्या निस्तारण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं । नट बोल्ट का क्रय आवश्यकतानुसार किया गया था ।

जी नहीं ।

नट-बोल्ट का क्रय नियमानुसार किया गया ।

पुराने नट-बोल्ट को ठीक कराकर पुनः प्रयोग में लाया गया ।

श्री जे० वी० अग्रवाल, प्रा० खण्ड, देवरिया द्वारा बोल्डर की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदा में की गयी अनियमितता की जांच की मांग

139–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे० वी० अग्रवाल जब प्रा० खण्ड देवरिया में कार्यरत थे तो भागलपुर पुल के एप्रोच मार्ग व तत्संबंधी बचाव कार्य हेतु बोल्डर की आपूर्ति हेतु निविदा प्राप्त कर स्वीकृत कराया गया और पुनः दर बढ़ जाने पर उन्हीं ठेकेदारों के नाम पर बढ़ी हुई दरों पर अनुबन्ध बनाने का प्रयास किया गया जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अंकुश लग सका ? शासन को इस प्रकार क्षति पहुंचाने हेतु उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? बोल्डर आपूर्ति के अनुबन्धों की अब क्या स्थिति है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी अनुबन्धों के विरुद्ध कार्य पूर्ण है ।

तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी मुख्यालय पर मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग

140–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी मुख्यालय पर मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुंसिफ कोर्ट कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पालिसी प्लानिंग कमेटी द्वारा नीति निर्धारित होने पर ही यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राष्ट्रीय इण्टर कालेज, रनापुर, हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी को विज्ञान वर्ग कक्षा–12 की मान्यता प्रदान करने की मांग

141–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, रनापुर, हैदरगढ़ (बाराबंकी) को साइन्स वर्ग कक्षा–12 की मान्यता का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत विद्यालय को विद्यालय भवन में निर्धारित माप के 14 कक्षों की कमी के कारण इण्टर विज्ञान की मान्यता 1992 में ही अस्वीकार की जा चुकी है ।

जनपद बाराबंकी, हैदरगढ़ क्षेत्र में छन्दरौली से कान्हूपुर–मंझूपुर मार्ग सुबेहा से चकौरा आदि मार्गों को खड़ंजा/डामर कराने की मांग

142–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के क्षेत्र छन्दरौली से कान्हूपुर–मंझूपुर मार्ग, सुबेहा से चकौरा मार्ग, नरौली से बाबा टीकाराम, रदहिला शिवनाम पोखरा आदि मार्गों पर खड़न्जा स्तर/डामर लेपन स्तर का निर्माण कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[दि० 24-2-94 को अता० प्र० सं०–75 द्वारा उत्तरित]

जनपद मुरादाबाद में बगद नदी में बहने वाले वाम कैमिकल्स फैक्ट्री, गजरौला के विषैले एवं गन्दे पानी से उत्पन्न संकट के कारण उक्त फैक्ट्री के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

144–श्री प्रीतम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में बगद (काली) नदी बहती है, जिसमें वाम कैमिकल्स फैक्ट्री, गजरौला का विषैला तथा गंदा पानी जाता है ? क्या उस पानी से विधान सभा गंगेश्वरी के 150 ग्रामों की जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ता है और उस पानी से समस्त फसलें नष्ट हो गयी हैं ? क्या आस-पास के ग्रामों के हैण्डपम्पों में काला पानी आने लगा है ? क्या सरकार द्वारा फैक्ट्री का विषैला पानी रोकने तथा फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मै० वाम आग्रेनिक्स कैमिकल्स लि०, गजरौला द्वारा यद्यपि उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरण शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है एवं उत्प्रवाह का निस्तारण शुद्धिकरण संयंत्र उपरान्त बगद नदी में किया जाता है, परन्तु उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकरण नहीं हो पाता है ।

जी, नहीं ।

बगद नदी के तटवर्ती गांवों में कहीं-कहीं स्थित हैण्ड पम्पों के पानी का रंग भूरा-लाल पाया गया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित रिट याचिका सं०–3727/85 एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा उद्योग को बोर्ड के निर्धारित मानक प्राप्त करने हेतु 30-11-93 तक का समय दिया था । माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28-1-94 को उद्योग को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में उचित संशोधन करने हेतु, जिससे उद्योग द्वारा निस्तारित उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पुनः 12 सप्ताह का समय दिया गया है ।

सूचना "घ" के अनुसार ।

लागू नहीं ।

जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग

145–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद के तहसील नवाबगंज में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय वर्षों से स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक उसका निर्माण कार्य स्वीकृत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तहसील मुख्यालय नवाबगंज, जनपद बरेली में मुंसिफ न्यायालय सृजित नहीं की गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मानक के अनुसार रिक्त पदों पर बेरोजगार बी० टी० सी० नवयुवकों को नियुक्त करने की मांग

146–श्री भगवत सरन गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों की गिनती के आधार पर पूरे प्रदेश में बेरोजगार बी० टी० सी० नवयुवकों की नियुक्ति हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें बरेली मण्डल की स्थिति क्या है ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं । निर्धारित मानक के अनुसार जनपद स्तर पर ही नियुक्तियां की जाती हैं ।

प्राप्त सूचना अनुसार क्रमशः बरेली में 2007, बदायूं में 433, शाहजहांपुर में 722 तथा पीलीभीत में 471 बी० टी० सी० बेरोजगार हैं तथा बरेली मण्डल के जनपद बरेली में 103 तथा शाहजहांपुर में 135 पद रिक्त हैं शेष जनपद बदायूं व पीलीभीत में मानक के अनुसार पद रिक्त नहीं हैं ।

प्रदेश में प्राथमिक स्तर के छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग

147–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए छात्रों को प्राथमिक शिक्षा से ही व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की कोई योजना शासन द्वारा चलायी गयी है ? यदि हां, तो कब से और कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस व्यवसायिक शिक्षा को पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रभावी बनाया गया है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यावसायिक शिक्षा भारत सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित है और इसे इण्टर स्तर पर लागू किया गया है जी हां ।

उत्तरांचल के सभी जनपदों के 74 माध्यमिक विद्यालयों में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु अतिरिक्त पद सृजन किये जाने की मांग

148–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल स्तर पर पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु अतिरिक्त पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो पदों की संख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मण्डल स्तर पर पर्याप्त स्टाफ है ? यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में इसी स्टाफ से ही उक्त कार्य लिये जाने का औचित्य क्या है ? क्या इससे अन्य कार्य प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो कब तक अतिरिक्त पदों का सृजन किया जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ छावनी में स्थित संस्कृत पाठशाला कन्या इण्टर कालेज की सेवा निवृत्त शिक्षिकाओं को नियमित पेंशन भुगतान की मांग

149–आचार्य जगदीश मुनि–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ छावनी में स्थित संस्कृत पाठशाला कन्या इंटर कालेज की सेवा निवृत्त शिक्षिकाओं को लगभग एक साल से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है ? उक्त पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान कब तक करवा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाये जाने के लिये यथावश्यक व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि का धन उनके खाते में जमा कराने की मांग

150–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भविष्य निधि का धन उनके खातों में नियमित रूप से जमा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत वि० स० क्षेत्र औराई में कपसेठी मझमेडिया मार्ग का लेपन कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

151–श्री रंगनाथ–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी अन्तर्गत वि० स० क्षेत्र औराई में कपसेठी मझमेडिया मार्ग को लेपन कार्य पूर्ण कराने में कितने पैसों की आवश्यकता है ? सरकार कब तक धन उपलब्ध कराकर अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद वाराणसी में कपसेठी मझमेड़िया मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण करने के लिये रु० 12.50 लाख की आवश्यकता होगी ।

उक्त मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है । अतः धन उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी में जलीलपुर–पड़ाव–भुपौली मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

152–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में जलीलपुर पड़ाव–भुपौली के पुल निर्माण की योजना की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, वाराणसी ने प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य सेतु निगम, लखनऊ को अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक 6049 (1)/18 कार्य ए०डी०–20-92, दिनांक 14-10-92 द्वारा अनुरोध किया था ? यदि हां,तो उस पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत सेतु निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा परिकल्पनायें तैयार कर ली गयी हैं । सेतु पर निर्माण कार्य अभी तक पर्याप्त संसाधनों के अभाव में प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है ।

तितावी मुजफ्फरनगर चीनी मिल के लिये गन्ना क्षेत्र सुरक्षित करने की मांग

153–श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस वर्ष सरकार द्वारा चीनी मिलों के गन्ना क्षेत्र सुरक्षित करते समय नई चीनी मिल क्षेत्रों में उनके उपज क्षेत्र को आधार माना जायेगा न कि किसानों के बेसिक कोटे को ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि नई चीनी मिल क्षेत्र में किसानों का बेसिक कोटा वहां पूर्व से गन्ना आपूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण कम होता है ? यदि हां, तो क्या इसी प्रकार तितावी मुजफ्फरनगर चीनी मिल के लिये क्षेत्र सुरक्षित करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नई चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्र सुरक्षित करते समय चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन, चीनी मिल चलने की सम्भावित तिथि, मिल की पेराई क्षमता, कृषकों का बेसिक कोटा, चीनी मिल को गन्ने की

सम्भावित उपलब्धता तथा कृषकों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा आदि कई बिन्दुओं को ध्यान में रख कर उ० प्र० गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1954 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र सुरक्षित किया जाता है। पेराई सत्र 1993-94 में पेराई प्रारम्भ करने वाली नई चीनी मिलों को भी तद्नुसार गन्ना क्षेत्र सुरक्षित किया गया है।

जी हां।

तितावी (मुजफ्फरनगर) चीनी मिल को अभी पेराई सत्र 1993-94 हेतु गन्ने का क्षेत्र उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित किया गया है।

154–155–श्री बची सिंह रावत–

[दिनांक 2-3-94 को अता० प्र० सं० 157-158 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछमेरा में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

156–श्री बदन सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक बालिका इण्टर कालेज खोलने की व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? क्या इस नीति के अनुसार जनपद आगरा के ब्लाक अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछमेरा में भी बालिका इण्टर कालेज खोले जायेंगे ? यदि हां, तो सबसे पहले किस ब्लाक में बालिका इण्टर कालेज खोला जायेगा ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट खोले जाने की मांग

157–श्री चन्द्र विजय सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 31 कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में तहसील बिलारी मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट नहीं है और क्षेत्रीय जनता को बिलारी तहसील से चन्दौसी जाना पड़ता है जिससे गरीब जनता को न्याय पाने के लिये समय तथा धन की बरबादी होती है ? क्या सरकार तहसील मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट बनाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय का अभिमत प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुरादाबाद के मृतक अध्यापकों के कार्यरत शिक्षित आश्रितों को प्रशिक्षित कर अध्यापन वेतन दिये जाने की मांग

158–श्री तुलाराम सैनी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के मृतक अध्यापकों के शिक्षित आश्रितों को सर्विस पर रखे जाने के 10-वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी प्रशिक्षित नहीं किया गया है ? क्या मृतक अध्यापक के आश्रितों को, जो इण्टर पास हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर अध्यांपक वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला स्थान पर स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की मांग

159–श्री तुलाराम सैनी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के गजरौला में सन् 1989 में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति मिलने के उपरान्त भूमि विवाद के कारण भवन निर्माण स्थगित हो गया था ? क्या उक्त भूमि विवाद हल हो गया है ? क्या सरकार शीघ्र भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद ने ग्राम सभा हसनपुर की 10 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत कर ली है । रु० 50.00 लाख की धनराशि राजकीय निर्माण निगम को भवन निर्माण हेतु आवंटित कर दी गयी है ।

खलीलाबाद चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग

160–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खलीलाबाद चीनी मिल विगत दो वर्षों से बन्द पड़ी है ? क्या सरकार इस मिल को चलाने के लिये कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक मिल चालू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इस मिल को सरकार द्वारा चलाये जाने का कोई विचार नहीं है, परन्तु इस मिल को चलाये जाने के संबंध में मिल मालिक एवं कर्मचारियों के मध्य हुए समझौते के अनुसार मिल मालिक द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि यह मिल वर्ष 1994-95 के लिये अक्टूबर, 1994 तक अवश्य संचालित हो जायेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती और फैजाबाद के बीच घाघरा नदी पर बिड़हर घाट पर पुल निर्माण की मांग

161–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत बस्ती और फैजाबाद जनपद के बीच घाघरा नदी पर बिड़हर घाट पर पुल निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? अभी तक निर्माण प्रारम्भ न होने का क्या कारण है ? निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

'वर्ष 1990-91 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद बस्ती में घनघटा–बिड़हरघाट मार्ग पर घाघरा नदी के बिड़हरघाट पर पीपे के पुल हेतु रु० 23.00 लाख की धनराशि पीपों की लागत छोड़कर स्वीकृत की गयी थी ।

पीपे निःशुल्क प्राप्त न होने के कारण अब प्रश्नगत पीपे के पुल की कुल लागत 300.00 लाख हो गयी है, जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है ।

निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना कथित सेतु की पुनः स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक खुटार के अन्तर्गत ग्राम चांदपुर कोटहू गाठा बेला होकर आसाम रोड तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण की मांग

162–श्री चेतराम–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की ब्लाक खुटार अन्तर्गत ग्राम चांदपुर कोटहू गाठा बेला होकर आसाम रोड तक 8 कि०मी० सड़क सतह लेपन बनाये जाने विषयक प्रस्ताव जिला से शासन स्तर को भेजा गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क को सतह लेपन तक बनाने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

कार्य जिला योजना की प्रकृति का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील मुख्यालय पुवायां में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट खोलने की मांग

163–श्री चेतराम–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय पुवायां, जनपद शाहजहांपुर में काफी समय से जनता द्वारा मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किये जाने हेतु मांग होती रही है जिसके लिये माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो अब तक मुंसिफ न्यायालय पुवायां में न खोले जाने के क्या कारण रहे तथा कब तक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना पुवायां में हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

आवासिक/अनावासिक भवनों की अनुपलब्धता के कारण ।

उपरोक्त व्यवस्था होने पर मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त की जायेगी ।

जनपद देवरिया के स्थान कप्तानगंज में महाविद्यालय खोलने की मांग

164–श्री अम्बिका सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 92-93 में कप्तानगंज (देवरिया) में महाविद्यालय खोलने का शासनादेश हुआ था ? क्या महाविद्यालय खुल गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

10 एकड़ भूमि एवं अस्थाई भवन उपलब्ध न होने के कारण महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है ।

165–श्री हरक सिंह रावत–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ब्लाक आराजी लाई, राजा तालाब, जनपद वाराणसी में लो० नि० वि० द्वारा निर्माणाधीन सड़कों की जानकारी एवं जू० हा० स्कूल मिर्जामुराद से जमुआ मार्ग के निर्माण हेतु धन आवंटन की मांग

166–श्री बचनूराम पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक आराजी लाईन, राजा तालाब वाराणसी में कुल कितनी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं और कब तक उनके बन जाने की सम्भावना है ? क्या जू० हा० स्कूल मिर्जामुराद से जमुआ मार्ग के निमित्त 1993-94 में धन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाइन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 12 सड़कें निर्माणाधीन हैं । उक्त समस्त सड़कों पर निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समय निर्धारित किया जाना जिला योजना में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल मिर्जामुराद से जमुआ मार्ग का निर्माण कार्य संसाधनों के अभाव में सम्प्रति स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं ।

167–168–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–159–160 द्वारा उत्तरित]

169–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[दि० 2-3-94 को अता० प्र० सं०–170 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ में जूनियर हाई स्कूल अमेठी के भवन के पुनर्निर्माण की मांग

170–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर हाई स्कूल, अमेठी, जनपद लखनऊ के विद्यालय भवन के पांचों कमरों की छतें गिर गयी हैं ? क्या दीवारों का प्लास्टर टूट कर गिर गया है तथा बरामदे की छत भी टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त विद्यालय भवन असुरक्षित हो जाने के कारण काफी छात्र स्कूल छोड़कर चले गये हैं ? यदि हां, तो विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान सत्र में छात्रों की संख्या कितनी कम हो गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण यथाशीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी नहीं ।

दो कमरों की छतें गिर गई हैं । तीन कमरों की छतें अति जर्जर हैं ।

जी हां ।

जी हां ।

26 छात्र कम हुए हैं ।

तीन वर्षों की छात्र संख्या निम्नवत् है :–

1991	170
1992	150
1993	144

जी हां ।

शिक्षा निदेशक, बेसिक तथा जिलाधिकारी, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ में वर्ष 1993-94 के चालू शिक्षा सत्र में कक्षा–11 कला वर्ग में छात्राओं के प्रवेश में अनियमितता करने वाली प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

171–श्री गनपत सिंह तथा श्री अजय कुमार पोइया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालबाग गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ में वर्ष 1993-94 के चालू शिक्षा सत्र में कक्षा–11 कला वर्ग में प्रवेश हेतु हाई स्कूल में 60 प्रतिशत अंक पाने वाली छात्राओं से आवेदन-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा प्रत्येक का

विवरण क्या है ? कम से कम कितने प्रतिशत प्राप्तांक का प्रवेश किया गया है ? क्या यह सही है कि 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रवेश न देकर कम अंक पाने वाली छात्रों को अनियमित रूप से प्रवेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो समस्त सेक्शनों में अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

जी हां ।

कुल 149 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । विवरण सहित सूची संलग्न है ।†

68 प्रतिशत ।

जी हां । अल्प संख्यक समुदाय का विद्यालय होने के कारण इसाई छात्राओं को कम प्रतिशत पर प्रवेश दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

172–श्री बची सिंह रावत–

[दिनांक 2-3-94 को अता० प्र० सं० 179 द्वारा उत्तरित]

उत्तरांचल के कुमायूं व गढ़वाल मण्डलों के राजकीय उ० मा० विद्यालयों तथा राजकीय इंटर कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने की मांग

173–श्री बची सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल के कुमायूं व गढ़वाल मण्डलों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों व राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार इन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मसूद अहमद–

उत्तरांचल के कुमायूं व गढ़वाल मण्डलों मे कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की संख्या 3409 है ।

जी नहीं ।

नियमानुसार सम्भव नही हैं ।

प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की संख्या की जानकारी तथा समाज के कमजोर, निर्धन, असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय सुलभ कराने की मांग

174–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 तक प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों दीवानी, फौजदारी एवं उच्च न्यायालय में कितने मुकदमें लम्बित पड़े हैं ? लम्बित मुकदमों के

---

† छापी नहीं गई ।

निस्तारण के लिये कौन से उपाय किये जा रहे हैं ? क्या समाज के कमजोर, निर्धन असहाय व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय प्रदान करने की भी व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विश्व बैंक सहायता से निर्मित होने वाले सोनौली–देवरिया मार्ग को बलिया तक निर्माण कराने की मांग

175–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विश्व बैंक द्वारा निर्मित सड़क सोनौली से देवरिया तक का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे बलिया तक निर्मित कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

देवरिया–बलिया मार्ग विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राज्य सड़क परियोजना से निकाल दिया गया है ।

सहकारी चीनी मिल, घोसी, जनपद मऊ से सम्बद्ध आसवानी (डिस्टीलरी) में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

176–श्री अक्षयवर भारती–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी चीनी मिल घोसी, जनपद मऊ से सम्बद्ध आसवानी (डिस्टीलरी) में कुल कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? क्या नियुक्ति प्रक्रिया का अनुपालन किया गया ? क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का कोटो उक्त आसवानी में पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अब तक स्थानान्तरण के द्वारा तीन तथा सीधी भर्ती के द्वारा चौबीस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त वर्तमान में अट्ठाईस दैनिक वेतन भोगी तथा दो शिशुक्ष (ट्रेनीज) भी कार्य कर रहे हैं ।

दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये थे तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी हुई जिसमें अनुसूचित जाति का भी प्रतिनिधित्व एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया ।

जी हां, चौबीस में से चार कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं ।

पिछड़े वर्गों के भी 4 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री राम सूरत यादव की विधवा पत्नी श्रीमती समुन्द्री देवी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

177–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि स्व० श्री रामसूरत यादव 10 वर्ष उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई में कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या उनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गयी थी ? यदि हां, तो उनकी विधवा को अब तक पारिवारिक पेंशन लागू कर भुगतान न करने का क्या कारण हैं ? क्या उनकी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर उनकी विधवा श्रीमती समुन्द्री देवी उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० भटनी जनपद देवरिया को दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्व० श्री राम सूरत यादव की मृत्यु उनके सेवाकाल में दिनांक 2-8-84 को हुई थी, जब कि वे निंजी उद्यमी से संबंधित चीनी मिल लक्ष्मी जी शुगर मिल, हरदोई में कार्यरत थे । मृतक श्री राम सूरत यादव राज्य चीनी निगम से सम्बद्ध इकाई में कभी भी कार्यरत नहीं रहे ।

फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से स्व० श्री राम सूरत यादव की विधवा श्रीमती समुन्द्री देवी को पारिवारिक पेंशन दिलाने हेतु औपचारिकातायें पूर्ण कर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सर्वोदय नगर, कानपुर द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण 21-12-93 को पूर्ण किया जा चुका है ।

श्रीमती समुन्द्री देवी को भी सलाह दी जा रही है कि वे पारिवारिक पेंशन सीधे प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सर्वोदय नगर, कानपुर से भी सम्पर्क स्थापित करें ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र की भांति सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

178–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बुन्देलखण्ड को पर्वतीय क्षेत्र की भांति सुविधाएं दी जायेंगी ? क्या बुन्देलखण्ड में कार्यों का मानक पर्वतीय क्षेत्र के अनुरूप किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य रूप से परिवर्तित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

फिलहाल बुन्देलखण्ड को पर्वतीय क्षेत्र की भांति सुविधायें दिये जाने का कोई विचार नहीं है ।

[समय–12 बजकर 20 मिनट]

प्रश्नों का सुसंगत उत्तर न आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 38 देखने का कष्ट करें । 38 (1) में है–प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे । मान्यवर, जिस प्रश्न को आप ग्राह्य कर लेते हैं उनका उत्तर तो आना है । एक सवाल मैंने पूछा, जिसको आपने ग्राह्य किया था, कहा गया कि मूल प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है, इसी तरह से आज दूसरे प्रश्नों में हुआ । मान्यवर, हम आपके विवेक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम चाहते हैं वही उत्तर दे दिये जायें । अभी माानीय त्यागी जी का सवाल चल रहा था, बड़े गर्व के साथ कहा गया कि विद्यालय नहीं खोल सकते हैं । हमें कोई आपत्ति नहीं है । इसी तरह से चौधरी जी पूछ रहे थे कि संलग्न सूची की जानकारी कब मिली, तारीख बता देंगे, उसमें कहा जा सकता था कि अभी नहीं बता सकते हैं सूचना की आवश्यकता है लेकिन उत्तर न देना अध्यक्ष पीठ का अपमान है हमारे अधिकारों का अतिक्रमण तो है ही । आपने प्रश्न स्वीकार कर लिया, उत्तर न आना अध्यक्ष पीठ का अपमान है । इसमें मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं । मान्यवर, प्रश्नकाल में कभी-कभी उत्तेजना हो जाती है, हमें भी अच्छा नहीं लगा, कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हो गये, हमने कहा भी, लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप यदि उत्तर आयें, अब देखें माननीय चौधरी जी का जो प्रश्न था गैर कानूनी विश्वविद्यालयों से कितने विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, कितना महत्वपूर्ण सवाल है ? मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया । मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं क्या सवालों के उत्तर विषय से सुसंगत थे ? अगर सुसंगत नहीं हैं तो दो ही विकल्प बचते हैं या तो उन्हें स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें । मैं केवल विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप कार्यवाही को देख लें जो-जो सवाल आपको लगते हैं जिनके प्रश्न से सुसंगत उत्तर नहीं हैं, उनसे संबंधित मंत्रियों को शास्ति कर, चेतावनी दें । उन सवालों को स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें । इससे भविष्य में सुधार होगा यही मेरी प्रार्थना है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी भली-भांति परिचित हैं लेकिन विरोध पक्ष में बैठकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य अपने अनुकूल सूचना पाने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है । माननीय मंत्री जी ने उसे अवैधानिक घोषित कर दिया है उसके बाद अनुपूरक प्रश्नों के जरिये यह कहना कि महापुरुषों का नाम जुड़ा है, छात्रों का क्या होगा, सरकार का जो दायित्व है उसका पालन करे, यह उचित नहीं है । माननीय मंत्री जी ने सुझाव भी दिया था कि राम का नाम लेकर गलत काम न करो ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी ने अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मैं माननीय गुप्त जी से यह अनुरोध करूंगा कि आपने हमारी उस बात को नहीं सुना था । मैं बार-बार चौधरी साहब को बुलवा रहा था लेकिन आपके ज्यादातर माननीय सदस्य चौधरी साहब को बोलने नहीं दे रहे थे । मैं बार-बार कह रहा था कि चौधरी साहब आप प्रश्न करिये । पूरे सदन ने उसे सुना जब आपके माननीय सदस्य चौधरी साहब को प्रश्न नहीं करने दिये तो मैंने आगे बढ़ने को कह दिया । अब मैं सभी माननीय मंत्रियों से यह अनुरोध करूंगा कि सदस्यों की जिज्ञासा के अनुरूप प्रश्नों का उत्तर दें । जो लिखा हुआ है वह तो दें ही साथ ही साथ जो प्रश्नों से सम्बन्धित जिज्ञासा है उसका उत्तर भी दें । वहीं पर मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि विषय से हटकर कोई भी प्रश्न पूछे क्यों कि पूरी जानकारी माननीय मंत्रियों को नहीं होती है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 7 मार्च, 1994 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात

सूचनाएं स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री सुरेश चन्द्र तितोरिया की जनपद मुजफ्फरनगर में संग्रह अमीनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा के क्षेत्र नगला देवजीत, कछपुरा में विद्युतीकरण किये जाने के बाद वहां ट्रांसफार्मर न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव जी की हरदोई में सांडी से बिलग्राम राष्ट्रीय मार्ग पर नियमित रूप से परिवहन निगम की बसें चलवाने के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी की बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के कई गांवों में अग्निकांड से पीड़ित लोगों को राहत देने के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री ऊदल की अलीगढ़ के हाथरस निवासी श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल को पुलिस द्वारा झुठे मुकदमे में फंसाने की जांच सी० आई० डी० से कराने के सम्बन्ध में है । छठी सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की हरदोई से माधोगंज और मल्लावां विद्युत उपगृहों के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री धनराज यादव की सिद्धार्थनगर जनपद के सृजन के बाद भी जिला मुख्यालय नौगढ़ में होने से अनेक कठिनाइयों एवं भ्रांतियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :—

(सदन की सहमति से स्वीकृत संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई)

जनपद मुजफ्फरनगर में संग्रह अमीनों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तितोरिया–

[महोदय मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में विगत हफ्ते से संग्रह अमीनों की चल रही हड़ताल से राजस्व विभाग का सारा कार्य ठप्प हो गया है तथा जनता को भारी कठिनाई उठानी पड़ रही है । इस हड़ताल का मूल कारण बदमाशों द्वारा एक संग्रह अमीन के सरकारी रुपयों की लूट है । हफ्ते भर भी गुजर जाने के बाद भी न तो अभी रुपयों की बरामदगी हो सकी है और न सभी बदमाश पकड़े गये हैं, जिससे संग्रह अमीनों में भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है । यदि बदमाश न पकड़े गये तो यह हड़ताल पूरे प्रदेश में फैल सकती है, अस्तु मेरी शासन से मांग है कि इस घटना के दोषी लोगों को अविलम्ब पकड़ें, रुपयों की बरामदगी हो मेरे तथा संग्रह अमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित कराये तथा किसी उच्चाधिकारी को भेजकर हड़ताल शीघ्र समाप्त करवायें ।]

आगरा क्षेत्र के नगला देवजीत एवं कछपुरा में ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा महानगर में यमुना पार का नगला देवजीत कछपुरा गढ़ी चांदनी आदि क्षेत्र आज के विकसित समय में भी विद्युत के अभाव में पूरी तरह पीड़ित हैं । इस क्षेत्र में पूरी आबादी अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों की है । इस क्षेत्र के चारों ओर की बाकी बस्तियों में जो इनके सहित एक ही महापालिका क्षेत्र में हैं वर्षों से बिजली की व्यवस्था है परन्तु उपरोक्त क्षेत्र के हजारों नागरिक बिना बिजली की सुविधा के ही जीवन गुजार रहे हैं । दस वर्षों के लम्बे प्रयास के बाद विगत दो वर्षों से उक्त क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु कार्य महापालिका द्वारा पूरा कराया गया है परन्तु खम्भे खड़े कर दिये जाने और तार डाल दिये जाने के बाद विभागीय खींचतान व उदासीनता के कारण वहां

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ट्रांसफार्मर न लगाये जाने से बिजली नहीं मिल पा रही है । जिसके कारण यहां की जनता में व्यापक क्षोभ व असन्तोष है ।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए मैं नगला देवजीत कछपुरा में तत्काल ट्रांसफार्मर लगाये जाने की व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूं ।]

हरदोई में सांडी से बिलग्राम राष्ट्रीय मार्ग पर नियमित बसें चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद में सांडी से बिलग्राम राष्ट्रीय मार्ग है परन्तु उस पर रोडवेज की केवल एक बस यदाकदा चलती है जबकि बिलग्राम तहसील मुख्यालय है । क्षेत्रीय जनता को आने जाने में बड़ी ही कठिनाई रहती है जिससे जनता में आक्रोश है ।

अतः लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़ क्षेत्र के कतिपय गांवों में अग्निकांड से पीड़ित लोगों को राहत दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[मान्यवर, बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र की अग्निकाण्ड से दर्जनों ग्राम जलालपुर, बरावां, बाजापुर, मेडिया, बरावां, बेहटा, रुकनुद्दीनपुर आदि में अग्निकाण्ड के कारण किसानों की चल व अचल सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी है । अग्निकाण्ड से पीड़ित काण्ड से परिवार के लोगों को अभी तक राहत नहीं दी गयी है । अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्याम आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

अलीगढ़ के हाथरस निवासी श्री दिनेश चन्द्र अग्रवाल को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें में फंसाने की सी० आई० डी० जांच कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ऊदल–

[मान्यवर, दिनांक 23-2-94 को हाथरस, जिला अलीगढ़ को पुलिस ने एक तथाकथित लड़की के अपहरण में झूठे मुकदमें में द्वेष की भावना से दिनेश चन्द्र अग्रवाल सिकतरा वाले चक्की बाजार हाथरस को उत्पीड़ित व बेइज्जत करने हेतु दिनांक 26-2-94 को गिरफ्तार किया थाना चन्दुआ, जिला अलीगढ़ में शकुन शर्मा नाम की लड़की के अपहरण की रिपोर्ट 6 बजे दिन की दर्ज है और उसमें अपहरण का स्थान हाथरस दिखाया गया है ।

दिनांक 26-2-94 को हाथरस कोतवाली के इन्स्पेक्टर ने सी० ओ० हाथरस के कहने पर गिरफ्तार करके सरे बाजार में हथकड़ी डालकर घुमाया जब कि दिनेश चन्द्र अग्रवाल का नाम रिपोर्ट में नहीं है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सी० ओ० हाथरस श्री यशवन्त सिंह व इन्स्पेक्टर श्री सरन पाण्डेय का तुरन्त ट्रांसफर करके इस मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने की मांग करता हूं दिनेश चन्द्र अग्रवाल ने माननीय मुख्य मंत्री को 2-3-94 को प्रार्थना पत्र भी दिया है ।

इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री जी से सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के माधोगंज और मल्लावां विद्युत उपगृहों के अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के माधोगंज और मल्लावां विद्युत उपगृहों के अन्तर्गत अनेक गांवों में कई वर्षों से खम्भे गाड़कर बिना तार बिछाये छोड़ रखा गया है ।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये उक्त उपगृहों के सभी अधूरे कामों को कराये जाने की मांग करता हूं]

सिद्धार्थनगर जनपद के सृजन के बाद भी जिला मुख्यालय नौगढ़ में होने से अनेक कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनराज यादव–

[महोदय, सिद्धार्थगर जनपद सृजन के समय नौगढ़ को ही सिद्धार्थनगर के नाम से नया जनपद बनाया गया है । जिला मुख्यालय नौगढ़ में ही पूर्णतया कार्यरत है । किन्तु तहसील का नाम नौगढ़, रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़, नगरपालिका का नाम तेतरी बाजार, पुलिस थाना का नाम तेतरी बाजार, राजस्व ग्राम का नाम तेतरी पिछनी बुजुर्ग, पिठनी खुर्द, वेलसड़ भीमापार, साडी मूडिला तथा थरोली है ।

एक स्थल पर विभिन्न संस्थानों के स्थल के विभिन्न नामों से आम जनता, अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है । बाहर से जो कोई व्यक्ति सिद्धार्थनगर आता है, तो उसे उपरोक्त विभिन्न नामों (जबकि एक स्थल ही है) के कारण भ्रान्ति होती है और भारी असुविधा होती है । इस प्रश्न का संबंध बहुत बड़ी संख्या में जन समुदाय से है ।

अतएव इस लोक महत्व से सुनिश्चित प्रश्न को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उपरोक्त राजस्व ग्रामों, नगरपालिका, पुलिस थाना, तहसील का नाम सिद्धार्थनगर कर दिया जाये, तथा रेलवे स्टेशन नौगढ़ का नाम सिद्धार्थनगर करने हेतु रेलवे विभाग को प्रस्ताव भेजने की कृपा करें ।]

श्री अध्यक्ष–

इन 301 की सूचनाओं के बाद प्रतीक्षा सूची में जिनकी हैं, उनको पढ़े देता हूं । पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल की नगरपालिका बहराइच द्वारा संचालित मान्टेसरी स्कूल के छात्रों से 40 रु० प्रतिमाह फीस वसूले जाने एवं अध्यापिकाओं को न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में तथा दूसरी सूचना श्री बरफिया लाल जुवांठा की उत्तरकाशी में विगत वर्ष आये भूकम्प से विद्युत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लाइन एवं पोल अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण समस्त उत्तरकाशी में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और अन्तिम सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । यह सभी सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं ।

नियम 311, 56 एवं 300 के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

पिछले दिनों महा महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, इसलिये यह तय किया गया था कि नियम 311 और 56 की सूचनायें नहीं ली जायेंगी । कुछ औचित्य के प्रश्न नियम 300 में दिये गये थे । मैंने कह दिया था कि सारी सूचनाओं को अगले दिन, जिस प्राथमिकता के आधार पर सूचनायें आयी हैं, उन्हें मैं लूंगा । उसके पहले मैं माननीय सभी सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि वह 5 मिनट में अपनी बात कहेंगे तो मुश्किल से 5 बजे तक समाप्त हो पाये, इसलिये यदि माननीय सदस्य 3 मिनट में अपनी बात कह लें तो ज्यादा उत्तम होगा, इससे सबकी बात भी सामने आ जायेगी और सरकार की तरफ से भी कुछ न कुछ उत्तर आ जायेगा । गुप्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन्हें किस प्रकार लिया जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस क्रम से आपको सूचनायें मिली हैं, उसी क्रम से शुरू करें । पहले दिन की पहले ले लें, उसके बाद आज की शुरू कर लें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग व्याकुल न हों । मैं सबकी सूचनायें लूंगा ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं आगे बढ़ गया हूं । माननीय हरेन्द्र सिंह जी, आपकी भी सूचना है, आप कह लीजियेगा । अब मैं सुनने जा रहा हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी तथा श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आज की सूचनाओं से प्रारम्भ करने का अनुरोध करने पर कई सदस्य खड़े होकर कहने लगे कि पहले प्राप्त सूचनाओं को पहले लिया जाय । पहले 3 मार्च, फिर 4 मार्च और उसके बाद आज की सूचनायें ली जायें)

जरा संसदीय कार्य मंत्री जी की राय भी आ जाये, गुप्त जी की आ गयी और अग्रवाल जी की आ गयी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पहले आप 3-4 तारीख की लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसा नहीं होना चाहिए । आज की सूचना पहले ली जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहता हूं कि आप लोग ही तय कर लें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, जो आप वहां से निर्णय देंगे, वह शिरोधार्य होगा ही, लेकिन अगर आप पिछले 2-3 दिनों की सूचनायें 311, 56 की आज लेंगे तो मैं समझता हूं कि एक नई परम्परा होगी । मुझे जहां तक याद आ रहा है आपने आदेश दिया होगा कि हम कल देख लेंगे । वैसे मान्यवर, सभी सूचनायें आज तक कभी ग्राह्य ही नहीं हुई हैं । श्रीमन्, आप जो महत्वपूर्ण समझें उसे ले लें ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी मेरी बात सुन लीजिये, नियम की बात तो अलग है । मेरी बात सुन लीजिये फिर नियम सुन लेंगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने पहले ही निर्णय दे दिया है कि जो नियम में आते हैं, महत्वपूर्ण हैं उनको लूंगा तो फिर लेना ही है । केवल 3-4 लोगों की सूचनायें हैं । अगर आप चाहें तो 3-4 लोगों को सुन ले उसके बाद आज की ले लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उसी क्रम से लें, पहले 3-4 तारीख की लें उसके बाद आज की लें । उल्टा चलेंगे तो फिर ठीक क्रम नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, आपकी राय क्या है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृपा पूर्वक एक निर्णय पर पहुंचने के पहले मेरी भावनायें जाननी चाही हैं, उसके संदर्भ में इतना जरूर चाहूंगा कि 311 का उपयोग तभी होता है जब तात्कालिकता हो, तुरन्त महत्व की हों । मान्यवर, आज की सूचनायें तुरन्त महत्वपूर्ण होंगी, तात्कालिकता वाली होंगी । दो सूचनायें हमारी भी हैं, पाल जी की हैं, नरेश जी की हैं, उसको देख लें उसमें अगर ऐसा लगता है कि उसकी अति आवश्यकता है तो सरकार को भी बता दें । सरकार के पास उसकी सूचना आ जाये, सरकार के पास अगर सूचना नहीं होगी तो सरकार क्या जवाब देगी ? उनको इतना समय देना पड़ेगा कि उसके संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर लें । तब तक आज की आप ले लें । तब तक जवाब सरकार का आ जायगा, तब उसे भी ले लीजियेगा ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की आदत बहुत खराब है, ये दो-तीन खड़े हो गये हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें, तिवारी जी को बोलने दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं आपका सहयोग करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं तो कहना चाहता हूं कि 311 की सूचना महत्वपूर्ण होती है और इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि नियमों को निलम्बित करना पड़ जाये यह तो आज की सूचना हो सकती है । मान्यवर, कदाचित होगी या नहीं होगी यह आपका विवेक है । अगर अपने दल में आवश्यकता नहीं रह सकती है, यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री तिवारी जी, अपनी बात समाप्त करें ।

(शोरगुल होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सभी को सुन लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कल परसों, नरसों की जो प्रश्न एवं सूचनायें हैं वह तो पुरानी हैं, जो तात्कालिक प्रभाव की सूचनायें हैं उनको सुन लिया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो पिछली सूचनायें हैं उसको बाद में ले लें । जो सदन के सामने हैं उनको ले लें, यही सदन की परम्परा रही है । मान्यवर, जो पिछली सूचनायें थी, स्थगित कर दी जाती थीं उन्हें आज की सूचनाओं को वरीयता देते हुए बाद में ले लिया जाता था, यही सदन की परम्परा रही है । इसलिये उस परम्परा से हटकर निर्णय न दें । कोई नई परम्परा पड़ जाने पर उसे बाद में परिवर्तित करना मुश्किल है । आज जो तात्कालिक प्रभाव की सूचनायें हैं उनको आप सुन लें उसके बाद जिन तीन-चार मार्च की सूचनाओं को स्थगित किया था उनको बाद में ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें और सुन लें । आज दिनांक 7-5-94 को नियम 311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं :— पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल की 3 मार्च, 1994 को किसान कुटीर महाविद्यालय, जौनपुर में छात्रसंघ के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक छात्र की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज न रह जाने के बारे में है । तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की राजकीय दीक्षा विद्यालय, झड़ीपानी, देहरादून की लीज भूमि को बेचने से रोकने के संबंध में । चौथी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जगदम्बिका पाल की हरदोई जिले के थाना सुरसा के ग्राम आदरा नेवलिया में दिनांक 3 मार्च, 1994 को 12 लोगों की हत्या कर दिये जाने के बारे में है । अभी सभी को सुनूंगा । तात्कालिक प्रभाव के बाद अन्य सूचनायें कर दी हैं, उन पर बाद में सुनूंगा । इन पर अभी सुन रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस बात की जानकारी देते समय पुरानी सूचनायें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह नियम की बात बता रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम क्या है ? आपने व्यवस्था दी थी कि सुनूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी को सुनूंगा । केवल चार सूचनायें हैं, मैं ले रहा हूं ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के खड़े होने पर)

माननीय चौधरी साहब आप बैठ जायें । मैं सुन लूंगा । जो चारों सूचनायें हैं उसमें आपकी भी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

आपको देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, घटनायें महत्वपूर्ण होती हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य करते हैं, मान्यवर, जो कुछ भी हुआ उससे हमें और हमारे दल को पीड़ा है, आपका निर्णय शिरोधार्य है, तकलीफ जरूर है ।

किसान कुटीर महाविद्यालय, जौनपुर में छात्रसंघ के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में एक छात्र की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब आप बोलिये, तीन मिनट में बोलिये, तीन मिनट का समय देते हैं, तीन मिनट में सुनेंगे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमारे दल द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत जो विषय आज इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा गया है, मैं समझता हूं कि जब से यह सत्र चल रहा है तब से लेकर आज तक, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण व गम्भीर विषय कोई हो ही नहीं सकता । कदाचित् आप स्वयं भी इसको महसूस कर रहे होंगे । इसलिये हमारे दल ने यह निश्चय किया है कि आज सारे नियमों को निलम्बित करते हुए आप इसकी ग्राह्यता पर अवश्य सुनें । पिछले दिनों जब बनारस में घटनायें हुई थीं, तो उससे हम सब चिन्तित थे कि पूरे प्रदेश में जातीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । बनारस में जो हुआ वह प्रदेश के राज्य मंत्री की गलत बयानी के कारण हुआ । प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोई जातीय घटनायें नहीं हुई हैं । महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण उत्तर में भी उन्होंने यह बात कही थी । श्रीमन्, 3 मार्च, को जौनपुर में घटना हुई । किसान कुटीर महाविद्यालय में घटना हुई । यह एक गम्भीर घटना है । बनारस में जो घटना हुई, उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है । किसान कुटीर महाविद्यालय के छात्रसंघ के चुनाव को लेकर, इस प्रदेश के मंत्री परिषद् के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री के भाई ने वहां पर प्रधानाचार्य के सीने पर बन्दूक रखकर चुनाव की तारीख घोषित कराई । ये सब चीजें तथ्यों में है जब इस घटना की न्यायिक जांच हो जायेगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी अब आप बैठ जायं । आपका समय समाप्त हो गया है । श्री नरेश अग्रवाल जी खड़े हो गये हैं । अब आप जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर हमारे दल की नीति स्पष्ट है कि हम जातिवाद व साम्प्रदायिकता के विरोध में लड़ेंगे। नियम 311 में जो विषय उठाया गया है, वह इसलिये महत्वपूर्ण हो गया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रदेश में कोई जातीय दंगे नहीं हुए और न ही साम्प्रदायिक दंगे हुए। पुलिस महानिदेशक ने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रदेश में जातीय दंगे हुए और साम्प्रदायिक दंगे हुए। जिन पर मैंने काबू पा लिया। इससे एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई, नतीजा यह हुआ कि जौनपुर में घटना हुई। एक अशोक लड़का मारा गया। जो भी व्यक्ति मरने वाला है, यदि उसे कोई जाति से जोड़ दिया जाय या सम्प्रदाय से जोड़ दिया जाय, तो उचित नहीं है। सत्ता पक्ष के लिये तो यह और उचित बात नहीं है। यह आरोप इसलिये लगाया गया है कि बनारस में जो हुआ, उसमें एक राज्य मंत्री जी का हाथ था, परन्तु जौनपुर में जो हुआ, उसमें मंत्री जी के भाई का हाथ है। सत्तापक्ष के गठबन्धन के एक दल के द्वारा जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक जातीय दंगों के नाम पर नंगा खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, वह समाज के लिये अच्छा नहीं है और न इस प्रदेश के लिये अच्छा है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी दल से ऊपर उठकर, प्रदेश की भावना को देखते हुए इस सदन में घोषणा करें, कि जो भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं या दंगे हो रहे हैं, उनकी न्यायिक जांच करायेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनायें व दंगे न होने पायें। इसलिये आप इस विषय की अविलम्बनीयता को स्वीकारते हुए, सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी को धर्म व जाति से ऊपर उठकर समान गारन्टी दी है। बनारस में जो जातीय दंगा हुआ, उसकी गम्भीरता को देखते हुए सरकार को न्यायिक जांच के आदेश देने पड़े। अभी बनारस की आग बुझने भी न पायी थी कि उससे लगे क्षेत्र जौनपुर में ऐसी घटना हो गयी। जाति पूछ-पूछ कर लोगों को मारा गया, पीटा गया। उनके जीने के अधिकार को खत्म किया गया। वहां के लोगों की सुरक्षा करने में वहां का प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है। जो लोग उधर से जा रहे थे, उनकी जातियां पूछ-पूछ कर उन्हें मारा गया। 14 घण्टे ट्रेनों को रोका गया, मोटर साइकिलों को तोड़ा गया तथा उन पर सवार लोगों को मारा गया। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घटना के पीछे एक राज्य मंत्री के परिवार के लोगों का हाथ है। यदि आरोप गलत है, हो सकता है गलत हों तो उसका एक ही रास्ता है कि इस सारी घटना की न्यायिक जांच करा दें जिससे दोषी सामने आ जायेंगे और निर्दोष बच जायेंगे। इसलिये मैं बल देना चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो जाय अथवा सी० बी० आई० से करा दें। इससे पूर्व इसी प्रकार की घटना बनारस में हुई थी। हमारे संविधान में जाति के आधार पर कोई गारन्टी नहीं है। जहां पर जाति पूछ-पूछ कर एक-एक को मारा जाय इससे दुखद बात कोई और नहीं हो सकती है। इस दुर्घटना में जो निर्दोष की हत्या हुई उसके प्रति मैं और मेरा दल श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जो विगत दिन जौनपुर में घटना हुई वह जातीय संघर्ष नहीं था। छात्र संघ का चुनाव हुआ और उसमें एक छात्र मारा गया। एक दिन वहां पर अशांति का वातावरण भी रहा पूरे जनपद में, यह सही है। लेकिन तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने के लिये उनका भी सहयोग अपेक्षित है। सहयोग उनका मिल ही रहा है। मृतक छात्र के परिवार को एक लाख रुपया दे दिया गया है। यह दुखद प्रकरण है। जांच के घेरे में लाने से अशांति बढ़ेगी ही। इसमें जांच

की आवश्यकता नहीं है स्थिति पूरी तरह से सामान्य है । दुखद घटना न हो हमें प्रयास करना चाहिए इसलिये पुलिस को खासतौर से निर्देश दे दिये गये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरी पुष्ट सूचना है वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे सूचित किया कि जो घटना वहां हुई वह उस विद्यालय तक ही सीमित नहीं थी । 18 घंटे वहां ट्रेनें और बसें रोक दी गयीं । लोगों को उतार-उतार कर जाति पूछ कर मारा गया । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से इस सम्पूर्ण घटना की जांच सी० आई० डी० से या न्यायिक जांच कराने का आश्वासन देंगे । अन्यथा यही होगा कि यह दोषी लोगों को बचाना चाहते हैं । मेरा स्पष्ट सवाल है कि इस घटना की सच्चाई सामने आ जाय इसलिये इसकी जांच सी० बी० आई० से अथवा न्यायिक जांच करायेंगे, क्या इसकी स्पष्ट घोषणा वह करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, वहां पर स्थिति सामान्य है इसलिये मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाने के बाद जो रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर यह 311 में नहीं आता है मैं इसे निरस्त करता हूं । दूसरी सूचना माननीय सुन्दर लाल दीक्षित जी की है उसे ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आज भी मान्यवर, स्थिति तनावपूर्ण है लोगों को उतार-उतार कर मारा गया, मंत्री जी दोषियों को बचाना चाहते हैं । इसलिये इनके कथन के विरोध में मैं और मेरा दल सदन त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

बाराबंकी जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । कानून का राज्य समाप्त हो चुका है और जंगल राज की स्थापना हो गयी है । प्रदेश का प्रत्येक वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है चाहे वह किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो और चाहे वकील हो । कानून व्यवस्था पर सरकार को राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए । अपनी कमियों को स्वीकार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए । अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है तो उसे स्वीकार करें । प्रतिपक्ष के लोगों ने अमूल्य सुझाव रखे है उनका सहयोग लेकर आमूलचूल परिवर्तन करें और राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने में प्रभावी कदम उठायें । मान्यवर, बाराबंकी जिले जहां का मैं जन प्रतिनिधि हूं वहां कानून राज नहीं रह गया है बल्कि वहां आजकल इमरजेन्सी लागू है । पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के कार्यों को उजागर किया जाता है तो उन्हें धमकी दी जाती है और इस संबंध में जब हैदरगढ़ क्षेत्र के दैनिक अखबार के रिपोर्टर

हरी शंकर शर्मा ने पुलिस के काले कारनामों को आज उजागर किया तो उनके विरुद्ध फर्जी केस बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया और बन्द किया गया । इसी प्रकार दैनिक जागरण के संवाददाता श्री सरोज कुमार वर्मा को भी पुलिस के क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ ने धमकी दिया है कि यदि आप पुलिस की खिलाफत करेंगे तो आपके परिवार को जान से हाथ धोना पड़ेगा । इसकी सूचना गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और डी० आई० जी० एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को दी गयी । इस संबंध में हम लोगों का एक शिष्ट मण्डल बाराबंकी के जिला प्रशासन से मिला तो वह कहते हैं कि सरकार बेनी प्रसाद वर्मा जी की है, यदि तुम सरकार की खिलाफत करोगे तो हम क्या करें ? मान्यवर, इस प्रकार न हम जनप्रतिनिधि लोग सुरक्षित हैं और न पत्रकार ही सुरक्षित हैं । जबकि यहां आश्वासन दिया गया है कि पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की जायेगी लेकिन इसमें सरकार विफल हो रही है । इस प्रकार मान्यवर, आज ग्राम प्रधान पं० रामकृष्ण त्रिपाठी को प्रताड़ित किया जा रहा है । उनकी बंदूकों के लाइसेंस निरस्त किये जा रहे हैं और उन पर प्राणघातक हमले हो रहे हैं । मान्यवर, 26 फरवरी को हैदरगढ़ में एक समऊ नामक हरिजन और श्री राम प्रकाश त्रिवेदी, ग्राम प्रधान पर हमला किया गया । जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवायी गयी । अभियुक्तों को कोतवाली में बैठे क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक ने छोड़ दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें और बैठ जाएं ।

सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, मेरा कहना है कि कानून व्यवस्था की गम्भीरता को देखते हुए सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा कराई जाए ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, इस सूचना में कई घटनाओं का उल्लेख है । फिर भी कानून व्यवस्था पर निरन्तर दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है । मैं श्री दीक्षित जी की बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, इसलिये जो उन्होंने पत्रकार के संबंध में कहा है या प्रधान की बाबत कहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सम्मान के खिलाफ कोई कार्यवाही होगी तो उसमें हमारा दृष्टिकोण साफ है गलत कार्य करने वालों के प्रति कोई रियायत करने का हमारा इरादा नहीं है । इसलिये इस संबंध में लिखकर दे दें तो हम यहां मुख्यालय से अधिकारी से जांच करवा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अग्राह्य की जाती है ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय झड़ीपानी, देहरादून की लीज भूमि को बेचने के संबंध में उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

तीसरी सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की है, वह अपनी बात रखें ।

श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय दीक्षा विद्यालय, झड़ीपानी, देहरादून की लीज भूमि को बेचा जा रहा है। मान्यवर, फेयर लान पैलेस मसूरी के भू-स्वामियों एवं महामहिम राज्यपाल महोदय उ० प्र० के माध्यम से शिक्षा विभाग, उ० प्र० के पक्ष में सन् 1958-59 में लगभग 12 एकड़ भूमि और 60-62 कमरों के विशाल भवन को लीज डीड हुई थी और जिसका बेसिक शिक्षा विभाग बराबर किराया दे रहा है लेकिन विद्यालय की बाकी भूमि जो है, जो डीड से हटकर है, उसको बेचना शुरू कर दिया गया है। एक संस्था ने उसे खरीदा है और वहां अब आवासीय काटेज उसने बनाना शुरू कर दिया है। और अब जिले से संबंधित अधिकारियों से मिलकर उनको प्रभावित करके जो बेसिक शिक्षा अधिकारी पर दबाव डाला जा रहा है वह यह सब घपला करा रहे हैं। 1958 में 12 एकड़ भूमि और 60-62 कमरों वाले विशाल भवन की लीज डीड हुई थी और सन् 68 से उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। अब वर्तमान भू-स्वामी द्वारा स्कूल के कब्जे से हटकर अपने भूभाग पर एक व्यावसायिक निर्माण कमल काटेज के नाम से करने के उपरान्त विद्यालय की भूमि को भी खाली कराने के तमाम प्रयास लगातार किये जा रहे हैं और यह कार्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अवैध रूप से कराया गया है। चर्चा है कि पूरे जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर काटेज का निर्माण किया गया। जिस काटेज के एक-एक कमरे की कीमत 50-50 लाख रुपया है। एक-एक काटेज अधिकारियों को दे दिया जाएगा। बिना किसी राजकीय स्वीकृति के या इंजीनियर या किसी अधिकारी के बगैर चार पांच कमरों का एक भवन बनाकर उसके बदले शिक्षा विभाग को एक भवन दे देंगे।

वहां क्षेत्र की जनता की मांग है कि राजकीय हाईस्कूल और कन्या हाईस्कूल वहां पर खुलवाया जाये। मेरी सरकार से मांग है कि उस क्षेत्र में उस स्थान को बिल्डर्स लोगों को न बेचा जाए। क्योंकि यह माफिया लोग हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं और उसका उपयोग भी ऐसे अवैध और गलत कार्यों के लिये किया जाएगा। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मंसूरी जैसी जगह पर कोई विद्यालय इस तरह का नहीं है। यह होना आवश्यक है, इसलिये वहां पर कोई राजकीय इण्टर कालेज खोल दिया जाए और भविष्य में डिग्री कालेज भी खुल सकता है। आप ऐसे दोषी अधिकारियों की जांच कराने की कृपा करें, कि कैसे उन्होंने उन गलत लोगों के साथ ऐसा समझौता किया है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसमें माननीय सदस्य ने जांच की मांग की है, वह ठीक है, हम जांच करा देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

जनपद हरदोई के थाना सुरसा, ग्राम आदरा नेवलिया में 12 लोगों की हत्या किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 3 मार्च की शाम को लगभग पौने 6 बजे हरदोई जनपद के थाना सुरसा में 12 लोगों के खून करने की जघन्य घटना घटी। यह घटना दो अपराधी गिरोहों की आपसी रंजिश का परिणाम थी, लेकिन उसके बाद घटना की जिम्मेदारी, जिन लोगों ने इस घटना में हाथ बंटाया, उनके ऊपर न लादकर, गिरोह के सदस्यों के जो नाते और रिश्तेदार थे उन पर डालकर, उन भले परिवारों के लोगों

को रात में सोते हुए पकड़-पकड़ कर लाया गया, नाबालिग बच्चे तक उसमें शामिल किये गये थे । उसके बाद एफ० आई० आर० में सबको नामजद कर दिया गया । सारा जनपद जानता है कि इस घटना में कौन लोग जिम्मेदार थे और किसकी सांठगांठ से यह घटना घटी थी । उसी सांठगांठ से यह इतनी बड़ी भयानक घटना घटी । उस गिरोह के लोगों को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, उनको नामजद नहीं किया गया, किन्तु जो उनके नातेदार और रिश्तेदार थे, जिनको यह भी पता नहीं था कि कोई ऐसी घटना घटी है, उनको रात में ही पकड़ कर लाया गया । यह मेरे जिले के थाना सांडी के ग्राम कुन्दरौली की घटना है । इस घटना के संबंध में जब मैं बाद में उक्त गांव जाता हूं, तो वहां मुझे जनता के लोग घेर लेते हैं और उन्होंने कहा कि गांव का एक-एक बच्चा गवाही देने के लिये तैयार है । जिन लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गयी है उनकी जानकारी में ही नहीं था कि किसी तरह की कोई घटना घटी है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी घटना घटी है, जनता के ऊपर उस घटना की कोई छाप नहीं है । घटना घटती है तो जनता के ऊपर उसकी एक छाप होती है । लेकिन यह आपराधिक गिरोहों के बीच का आपस का मामला था इसलिये वहां पर जनता मूक दर्शक है । कोई इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं समझता है । यह घटना घटी है जो गुनाहगार है, उसे सामने लाया जाय । हर व्यक्ति यही चाहता है । कानून किसी को माफ नहीं करता है और माफ भी नहीं किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, इसके लिये यह व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि गुनहगार छूटे नहीं और बेगुनाह पर हाथ लगे नहीं । जो भी बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं उन्हें बचाना चाहिए गुनहगारों को पकड़ने के लिये कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए । पुलिस जानबूझकर गुनहगार लोगों के नाते रिश्तेदार लोगों के नाम लिख लेती है जिनका घटना से दूर-दूर तक का कोई सम्बन्ध नहीं होता है । लोग रंजिश की वजह से ऐसा करते हैं । जैसा कि मालूम हुआ है किसी गिरोह से 50 हजार रुपये देकर यह घटना कराई गई है । उस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको इस घटना के लिये जिम्मेदार ठहराया जाय । उनके नाते रिश्तेदारों के घरों में छापे डाले जा रहे हैं । असल गुनहगार अभी तक नहीं पकड़े गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि निष्पक्ष भाव से इस घटना के दोषी लोगों को पकड़ना चाहती है तो सरकार सी० आई० डी० से इसकी जांच कराना सुनिश्चित कराये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, घटना तो आपके जिले की है और बहुत ही दुःखद है । चार लोग गोलियों से मारे गये, आठ जिन्दा जला दिये गये और जो जिन्दा जले हैं उनमें 8, 9 और 12 साल के मासूम बच्चे भी हैं । इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिये हैं । मृतक, मृतक ही होता है और हमलावर, हमलावर है । मृतक के प्रति सहानुभूति सभी को हो जाती है । इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिये हैं, यदि पुलिस चाहती तो यह घटना टल सकती थी । पप्पू और गौस, इनका बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है । दूसरे दल का भी आपराधिक इतिहास होगा । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह पप्पू और गौस का आपराधिक इतिहास है इन्होंने 88 में अपने चाचा की हत्या के संबंध में जब पुलिस पकड़ने आयी थी तो सी० ओ० को भी मारा था, पीटा था । मीसा लगा था, वह क्यों वापस ले लिया गया ? यह सच नहीं है कि इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है । वहां की पुलिस इनकी चेली बनकर रह गयी थी ।

मान्यवर, जहां पर यह घटना घटी वह थाने से मात्र तीन किलोमीटर की दूरी पर है । पड़ोस के गांव में दावत हो रही थी यह पुलिस वाले भी दावत पर गये थे । घटना घटने के पश्चात् इतने समय बाद पुलिस वहां गई । उस रात के अंधेरे में पुलिस ने घटना को नहीं समझा ।

यही कारण है कि मुख्यालय को जानकारी प्रातःकाल मिली । बारह लोग मार दिये जाएं लोमहर्षक दुर्घटना हो जाए और खबर न मिले ? माननीय वर्मा जी ने सी० आई डी० की जांच की मांग की है और यह भी कहा कि निरपराध लोग फंस जाए तो सजा नहीं मिलनी चाहिए । मान्यवर, उनको राजनीतिक संरक्षण क्यों था ? पुलिस विलम्ब से क्यों गई ? पूरा थाना गिरोह के हाथ में क्यों था ? कंजर गिरोह के साथ गौस और पप्पू गोरखपुर से फर्रुखाबाद तक अपराध करते थे, क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त था । पुलिस कहती है कि घटना घटी पुलिस को पता लगा था बीट के लोगों ने जानकारी दे दी थी कि हादसा कभी भी हो सकता है । फिर इसमें कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मान्यवर, इस मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए । उच्च स्तरीय सी० आई० डी० जांच कराकर उन लोगों को दण्डित किया जाए जिनकी कुताही से, जिनकी शह पर, घटना घटी है । सरकार की हालत आप जानते ही हैं, सरकार कैसी है, अपराध बढ़ रहे हैं । पुलिस का दबाव खत्म हो गया है । पुलिस बदमाश लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है और इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है । इस घटना से इस बात को बल मिलता है । मान्यवर, सभी पहलू मिलाकर, सभी बिन्दु मिलाकर इसमें सी० आई० डी० की जांच कराई जाए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, हरदोई की लोमहर्षक घटना के संबंध में मैंने नियम–51 के अन्तर्गत दिया था । यह जो इतनी दुखद घटना हुई है इसमें सरकार का वक्तव्य आ जाए जिस पर हम लोग चर्चा कर सकें । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसके बैठने के बाद सामूहिक हत्या की यह पहली घटना है । इस घटना के बारे में, गुण दोष के आधार पर या आपसी रंजिश के आधार पर यह घटना हुई इन सारी चीजों को मैं शासन से वक्तव्य के माध्यम से जानना चाहता हूं । यह पहली उद्वेलित करने वाली घटना सामूहिक हत्या की हुई है । मासूम बच्चे घुट-घुट कर मर गये । औरतों के कत्ल हो गये । यह घटना जनमानस को उद्वेलित करती है । इसमें पहले से रंजिश चल रही थी । समय रहते हुए ऐसी घटना से बचने के लिये प्रशासन ने कोई उपाय क्यों नहीं किया ? इसमें पहले से कोई उपाय किया जा सकता था । प्रशासन ने लापरवाही की या नहीं ? इसमें शासन की तरफ से वक्तव्य आ जाएगा तो मंत्री जी से जो हम जानना चाहेंगे और पूरा प्रदेश जानना चाहेगा वह हम पूछेंगे, कानून व्यवस्था को चुनौती का प्रश्न मानकर आप सामान्य बनाने का कार्य कर रहे हैं इस सामूहिक हत्याकांड से पूरा प्रदेश अचम्भित है चाहे वह रंजिश के ही कारण क्यों न हुई हो ? इस सामूहिक हत्याकांड से जनमानस और पूरा उत्तर प्रदेश मर्माहत हुआ है । इस घटना के संबंध में सारी स्थिति क्या है ? सरकार की तरफ से उत्तर आ जाएगा । इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए । इस संबंध में अन्य जनपदों के बारे में प्रशासन को सचेत किया जाना चाहिए । जिस तरह से पुलिस व्यवस्था की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ठहराने की बात कही गयी है उसमें पहले से भी विवाद चले आ रहे हैं । जहां हत्यायें होती हैं उसमें स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको देखने की आवश्यकता है ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मामला मेरे क्षेत्र का है, इसलिये इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि यह जो हत्या काण्ड हुआ और जो इसमें मरे उनके प्रति संवेदना है। इस संबंध में माननीय गुप्त जी ने जो कहा कि इसमें राजनीतिक संरक्षण किन लोगों का था तो इस संबंध में मुझे दुख है कि आदरणीय गुप्त जी इतने वरिष्ठ होते हुए भी इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे जीवन में रोजाना हत्याकाण्ड हो जाते हैं। कोई भी आपराधिक काण्ड हो इसमें यह रटी रटाई बातें कही जाती हैं कि उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अगर हम अपराधियों की लड़ाई को राजनैतिक संरक्षण की बात करें तो मुझे दुख होता है। आपके दल में काला बच्चा जैसे लोगों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त होता है। यह दो परिवारों की आपसी लड़ाई थी, बल्कि दो सगे भाइयों की लड़ाई थी। यह भी कहना गलत है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची वह वहां पर सुबह पहुंची। आपके दल के गंगा भक्त भी थे। पुलिस वहां आधे घंटे के बाद पहुंची। इस घटना की सी० आई० डी० जांच का भी मैं विरोध करता हूं। 18 अभियुक्तों में से ज्यादातर अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर यह मामला सी० आई० डी० को सौंपा जाएगा तो इसमें अनावश्यक विलम्ब होगा। मैं इस संबंध में सभी दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि इस घटना को राजनीतिकरण न करें। और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के हत्याकाण्ड केवल हरदोई ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में न हों।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह घटना लोमहर्षक और दुखद भी है। लेकिन जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कदाचित एक जिम्मेदार नेता होने के नाते ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए कि सब्र का बांध टूटा और यह घटना घटी यह दो आपराधिक गिरोहों का आपसी टकराव था यह कोई महीने दो महीने या एक साल की दुश्मनी नहीं बल्कि यह 15–16 वर्ष की दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी में 3 हत्यायें पहले भी हो चुकी हैं। जैसा कि नरेश अग्रवाल और श्री राम आसरे वर्मा ने उल्लेख किया है, उनकी चिन्ता सही है। किसी निरपराधिक व्यक्ति के घर पर अनावश्यक छापे डालकर उसको परेशान नहीं किया जाना चाहिये। इसको हम मालूम कर लेंगे। जो सी० आई० डी० जांच की बात कही गई है तो इसमें सी० आई० डी० जांच की क्या आवश्यकता। सी० आई० डी० उन मामलों की जांच करती है जहां हत्या के अभियुक्तों का पता नहीं चल रहा हो, या सन्देह कोई दिखाई पड़ रहा हो। जो पुलिस संरक्षण की बात कही गई है वह भी सही नहीं है, क्योंकि आधे घण्टे के अन्दर पुलिस वहां पहुंच गई थी जैसा कि श्री वर्मा जी व नरेश अग्रवाल जी ने भी कहा है। यह मामला पारिवारिक दुश्मनी का था। यह सही है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये पुलिस को कठोर कदम उठाने चाहिए इस संबंध में हम आज ही पुलिस को निर्देश दे देंगे वैसे तो पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इस मामले के अभियुक्तों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाय, इससे वर्मा जी भी सहमत होंगे, लेकिन इसमें सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। आप चाहें तो इसमें वक्तव्य देने के लिये हमको निदेश दे सकते हैं। हम इस पर वक्तव्य दे देंगे।

(1 बजकर 20 मिनट)

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर वक्तव्य के लिये निर्देश दे दीजिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह था कि जिन लोगों का इस घटना में हाथ था वह लोग एफ० आई० आर० में नहीं आ सके हैं। जिन लोगों का इस घटना में हाथ नहीं था उनके नाम एफ० आई० आर० में आ गये हैं। तो जिन लोगों का हाथ था उनके नाम एफ० आई० आर० में जोड़ने तथा जो बेगुनाह नामजद किये गये हैं उनका नाम निकालने के संबंध में कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 311 में जो 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं उसमें से पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की थी इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। चौथी सूचना माननीय राम आसरे वर्मा, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की और जगदम्बिका पाल की थी इस पर मैं शासन को वक्तव्य देने का निर्देश देता हूं। शेष सूचनायें नियम 311 में नहीं आती हैं इसलिये अस्वीकार करता हूं।

वीसा की अवधि समाप्त होने पर भी पाकिस्तानी लोगों के उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से रहने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

3 मार्च को जो नियम 311 की सूचनायें प्राप्त हुई थीं उसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना को मैं ले रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में विधि व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। विधि व्यवस्था की एक गम्भीर घटना की ओर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में आये और उत्तर प्रदेश में आये 10 हजार लोगों की वीसा की अवधि समाप्त हो गयी है लेकिन वह लोग यहां पर अनधिकृत तरीके से निवास कर रहे हैं। जो लोग यहां पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग अलीगढ़, लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी में रह रहे हैं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

सीतापुर अभी नहीं पहुंचे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इनकी संख्या 10 हजार होगी, संसदीय कार्य मंत्री को जानकर आश्चर्य होगा, पुलिस से सूचना प्राप्त कर लें, बाराबंकी में अनधिकृत रूप से रहने वालों की संख्या सर्वाधिक है। बाराबंकी में 870, वाराणसी में 860, मुरादाबाद में 835, मथुरा में 600, इस तरह से हजारों लोग उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। जब यह लोग आते हैं तो पुलिस को अपनी रिपोर्ट करते हैं कि मैं आ गया हूं, इस तारीख को जाना है उसके बाद जब आते हैं तो उसकी सूचना दे देते हैं। इसके अलावा पिछले वर्षों में पर्यटक वीसा लेकर करीब-करीब 10 लाख लोग हिन्दुस्तान आये, जिसमें से 45 हजार लोग यहीं रह रहे हैं। मेरी जानकारी का स्रोत समाचार पत्र है। इसके अलावा लोक सभा में टाइटलर जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग वीसा अवधि समाप्ति के बाद रह रहे हैं।

हमारे प्रदेश में पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की जड़ें गहरी हैं। जो लोग यहां आये और नहीं गये यह लोग यहां पर खुफिया के तौर पर रह रहे हैं और विधि व्यवस्था को सत्यानाश कर रहे हैं। हमारी

सरकार की दोषपूर्ण नीतियों और सरकार की तुष्टिकरण नीति के कारण इनको पाकिस्तान वापस भेजने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है । यह स्थिति खतरनाक है इससे विधि व्यवस्था बिगड़ेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यह लोग जो अनधिकृत तौर से यहां रह रहे हैं इनको पाकिस्तान भेजने के कार्य को युद्धस्तर पर किया जाय जिससे हमारे प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक रहे और प्रदेश में अस्थिरता करने के कुप्रयास को नियंत्रित किया जा सके । मैं अपनी सूचना पर बल देता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अब इसकी जानकारी तो मेरे पास नहीं आ पायी है । गुप्ता जी ने तो आंकड़े दिये हैं, उसको तो मैं सही या गलत नहीं कह सकता हूं, लेकिन अनधिकृत रूप से जो भी लोग रह रहे हैं, उनको अपने स्वदेश जाने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए । इसके संबंध में आवश्यक आदेश कर दिये गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब इस सूचना को अस्वीकार किया जाता है ।

(श्री जगदम्बिका पाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

कौन सी सूचना है, मान्यवर ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रदेश सरकार द्वारा जातिवाद तथा साम्प्रदायिक बढ़ावा देने के बारे में आपकी सूचना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

ढूंढ रहा हूं, मान्यवर ।

श्री अधिष्ठाता–

3 मार्च को आपने जो नियम 311 में सूचना दी थी, उसके बारे में है । आप बैठ कर देख लें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सूचना तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास भी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्थान ग्रहण करें ।

(कई सदस्य अनुपस्थित थे, अतः उनकी सूचना नहीं ली गयी)

जनपद वाराणसी के सैयदराजा के आसपास से गाय व बैलों की तस्करी किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

श्री रंगनाथ, आपकी सूचना गायों और बैलों की तस्करी के बारे में है ।

* श्री रंग नाथ –

मान्यवर, अभी जैसी आपको सूचना मिली है, इस उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और जब से स०पा० ब०स०पा० की सरकार आयी है, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिये जाने कुछ इस सरकार से बन रहा है, उसको करने में रंचमात्र संकोच नहीं कर रही है। पिछली बार जिस प्रकार से जातिवाद को उभाड़ कर बहुसंख्यक हिन्दू समाज को तोड़ने की साजिश सरकार कर रही है, उसी की साजिश के तहत काला बच्चा की हत्या करवाई गयी, तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिये गायों और बैलों की तस्करी सरकार करवा रही है और यह गाय और बैल जो हिन्दू समाज की धार्मिक भावना से जुड़े हुए हैं, उन्हें बध कराने के लिये तस्करी के माध्यम से बंगाल भेजा जा रहा है तथा सैय्यद राजा के आसपास के गांवों से पशु तस्कर ले जाते हैं, तो गांव के लोगों के विरोध करने पर उनकी हत्या करवा देते हैं। इसमें प्रशासन ने जैसा स्टेटमेंट दिया था कि माननीय राज्य मंत्री के प्रतिनिधि, माननीय दीनानाथ भास्कर के प्रतिनिधि की हत्या हुई थी, उसमें पशु तस्करों का हाथ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय आसपास के क्षेत्र में लगने वाले पशु मेले पर अंकुश लगाया था तथा [× × ×] से जुड़े जो लोग यह काम करवाते हैं, उस समय उन पर छापे मारे गये, न्यायालय के कटघरे में खड़ा किया गया, जेल भेजा गया, किन्तु यह सरकार जब से आयी है, चूंकि [× × ×] के लोग ही उस तस्करी में लगे हुए हैं, इसलिये पूरा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, उनके यहां पर न छापे मारे जा रहे हैं और न ही उन पर कोई अंकुश लगाया जा रहा है। इस तस्करी से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, बल्कि प्रदेश की पशुधन सम्पदा को क्षति उठानी पड़ रही है तथा हिन्दू जनता जो गायों को माता के रूप में पूजती है, उसकी धार्मिक भावना पर कुठाराघात पहुंचा रही है, जिसके कारण गम्भीर साम्प्रदायिक द्वेष उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गयी है, उसके धर्म और भावना पर कुठाराघात करने का इस सरकार ने प्रयास किया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 175 गायें पकड़ी गयी हैं और मुलायम सिंह यादव इस सरकार के जो मुख्य मंत्री हैं, इनके जिले इटावा से तस्करी करके गायें लायी गयी थी। [× × ×] क्योंकि जिस तरह से गायें आ रही हैं, उससे लगता है कि यह शासन निश्चित रूप से.....

(व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, जो इन्होंने आरोप लगाये हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी कार्यवाही देखकर निकाल दें। सपा–बसपा पर आरोप लगाया गया है और मुख्य मंत्री जी पर आरोप लगाया गया है, इसलिये आप उसको निकाल दें।

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, मेरे पास प्रमाण है।

श्री अधिष्ठाता–

जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रंगनाथ –

मान्यवर, इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए.....

(व्यवधान)

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, गायों की तस्करी का मामला हो रहा है । यह मेरी जानकारी में है और मेरे पास उसके प्रमाण मौजूद हैं ।

(एक पेपर का पृष्ठ दिखाते हुए)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं, उनको निकाल दिया जायेगा ।

श्री प्रणत पाल सिंह–

मान्यवर, आरोप सही है और उसके मेरे पास प्रमाण हैं । तस्करी हो रही है । (पेपर का पृष्ठ दिखाते हुए) यह प्रमाण है मेरे पास । आप मुझे सुन लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आरोप लगाना तो सरल है । हम लोग भी गूंगे नहीं हैं । हम लोग भी आरोप लगा सकते हैं । फिर कार्यवाही किस तरह से चलेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी कि कोई आरोप होगा तो उसे आप देख लेंगे और निकाल देंगे । माननीय सदस्य ने मुलायम सिंह यादव का नाम लिया था ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात को सुन लें । आपके पास जबान है, आप कुछ भी कह लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है । अब यह सूचना अस्वीकार की जाती है ।

(व्यवधान)

सदन में आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अधिष्ठाता का निर्देश

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है । यह खेद प्रकट करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि एक प्रकरण यहां पर आया कि माननीय सदस्य ने आरोपात्मक एक टिप्पणी की और आपने उस पर व्यवस्था दे दी कि आरोपात्मक जो बात होगी, निकाल दी जायेगी । उसके बाद सत्तापक्ष की ओर से इस तरह का काम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हो कि सदन की कार्यवाही आगे न चले, यह बड़ा दुखद है । सदन की कार्यवाही आगे चले क्योंकि आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं रह जाती है । कोई आरोपात्मक बात है तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन के ऊपर अनर्गल आरोप लगाये गये हैं, माननीय सदस्य खेद व्यक्त करें कि इन्होंने बगैर पुख्ता प्रमाण के आधार पर आरोप लगाये हैं । यह इनकी आदत है अनर्गल आरोप लगाकर चरित्रहीन करने की । इसलिये मैं स्पष्ट रूप से व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाये हैं, सदन में खेद व्यक्त करें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि अपनी बात कहते समय किसी भी माननीय सदस्य के प्रति और माननीय नेता सदन, जो पूरे सदन के नेता हैं उनके प्रति जो आरोप लगाये, यह आपत्तिजनक है ।

यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप की भाषा में कोई बात नहीं कहेगा । मैंने पहले ही व्यवस्था दे दी है कि जो आपत्तिजनक बात है वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी ।

जनपद इलाहाबाद में प्रशासन द्वारा 26 मकानों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किये जाने विषय नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी 311 की सूचना पर बोलेंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, एक तरफ जहां इस सरकार में साम्प्रदायिक और जातीय विद्वेष बढ़े हैं वहीं दूसरी तरफ हमारे विधान सभा क्षेत्र इलाहाबाद में 14 फरवरी को शासन और प्रशासन ने वहां पर 26 लोगों के मकानों को बुल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया । मैं बताना चाहता हूं कि उसमें गरीब लोगों और सामान्य परिवारों के लागों के मकान थे और जिस समय यह घटना घटी उस समय वहां एक भी पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं ही बची थीं, महिलाएं बच्चे रो रहे थे लेकिन प्रशासन ने किसी की बात नहीं सुनी और इसमें लगभग 50 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है । इस संबंध में मैं स्वयं जिलाधिकारी से मिला, आयुक्त इलाहाबाद मण्डल से मिला और वहां के निवासियों से मिला । मैंने उनसे अनुरोध किया था कि जो भवन गिरा दिये गये हैं उनका कम्पनसेशन दिया जाय और लोगों को पुनः मकान बनवाने की अनुमति दे दी जाय । मैं सरकार का ध्यान, 311 की सूचना द्वारा आकर्षित करते हुए अनुरोध करूंगा कि इन लोगों की क्षतिपूर्ति की जाय तथा इस तरह की भविष्य में कोई घटना न हो, इसके लिये निर्देश देने की कृपा करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता जैसा गौर साहब ने बताया, वैधानिक मकान रहे हों और उनको गिराया जाय । अवैधानिक मकान बने रहे होंगे और उनको गिराया गया होगा तो प्रतिकर देने का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक माननीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी दी थी और यह निवेदन किया था (व्यवधान) मैं कुछ माननीय नेता सदन की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अभी नियम 311 के संबंध में सूचनायें चल रही हैं। अब यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

जनपद लखीमपुर में दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आरोप प्रत्यारोप की बात पर रोज पीठ से निर्णय होता है लेकिन उसके बावजूद सदन में इसकी पुनरावृत्ति होती है। मैं समझता हूं कि इसकी परिणति सदन के बाहर भी हो रही है। जो चीजें हम यहां करते हैं, वह प्रतिबिम्बित होती हैं पूरे समाज में। आज जिस तरीके से सत्ता और राजनीति के लिये, वोट के लिये, जातीयता को बढ़ाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों द्वारा होगी, सामूहिक रूप से उसका लाभ मिल सकता है, तात्कालिक लाभ राजनीतिक पार्टियों को मिल सकता है लेकिन उसके दूरगामी परिणाम जो होंगे वह गम्भीर होंगे। अगर हम सदन में समय रहते हुए इन बिन्दुओं पर गम्भीरता से नहीं सोचेंगे, आपस में विचार करके सम्यक् रूप से पूरे प्रदेश को संदेश नहीं देंगे तो निश्चित तौर से गड़बड़ी बढ़ेगी।

मान्यवर, जो 311 के अन्तर्गत हमने सूचना दी है यह लखीमपुर की घटना है। हम लोगों ने सहयोग दिया है यह समझकर कि साम्प्रदायिकता के विरोध में लड़ने के लिये और यह दलितों और गरीबों, पिछड़ी और अल्पसंख्यकों की यह सरकार बनी है। इस सरकार में किसी जगह में अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हो उनके साथ अत्याचार हो, उनके साथ अन्याय हो, पापाचार हो और उसमें शासन के मंत्री द्वारा संरक्षण दिया जाय तो अपने आप में इससे ज्यादा कोई गम्भीर घटना नहीं हो सकती है। लखीमपुर में दो हरिजन लोगों की हत्या हुई उन हत्याओं में एक प्रधान भी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री राज बहादुर ने पुलिस से कहा कि गिरफ्तारी न हो। एक तरफ तो दलितों, गरीबों का दम भरने वाली और उनकी रक्षा करने वाली यह सरकार है दूसरी तरफ मंत्री जी अगर इस तरह से संरक्षण देंगे तो इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण दूसरा विषय 311 में नहीं हो सकता है। मेरा आग्रह है कि नियमों को निलम्बित करके इसे ग्राह्य कर लें ताकि पूरी बात आ जाय दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

3 मार्च को 311 के अन्तर्गत जो प्राप्त हुई है, 311 में नहीं आती हैं, अतः अस्वीकार की जाती हैं।

(व्यवधान)

दिनांक 3 मार्च, 1994 की अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा पत्र देख लें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, 3 मार्च को एक सूचना दी है। विधान भवन के सामने लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं 311 में सुन रहा हूं 4 मार्च की जो सूचना है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मेरी सूचना तीन तारीख की है।

श्री अधिष्ठाता–

अब अगर अस्वीकार हो गयी है तो नहीं सुन पायेंगे।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, देवरिया जनपद के 26 अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों के 254 लोगों के भविष्य का सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

अब माननीय सदस्य कल दे दीजियेगा। किसी दूसरे नियम में दे दीजियेगा। अब मैं चार मार्च की सूचना जो श्री प्रमोद तिवारी व श्री जगदम्बिका पाल की प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में है, ले रहा हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह हरिजन उत्पीड़न का मामला है, सारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, कल इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा तो फिर कैसे उठायेंगे। मा० मंत्री जी के पास इसका उत्तर आ गया है 18 महीने का वेतन बाकी है वे लोग विधान भवन के सामने अनशन पर बैठे हैं आत्मदाह की धमकी दिये है आप भुगतान सुनिश्चित करा देंगे यह उत्तर आ जाये कि कब तक इन अध्यापकों के बकाये का भुगतान करा दिया जायेगा ? पैसा भी है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि 3 मार्च की सूचनाओं को निरस्त करता हूं।

आप कल इसे दे दीजियेगा, कल विचार कर लिया जायेगा। कल दें आप, जो जिज्ञासा आपकी है वह शान्त हो जायेगी।

मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद इस सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण तीन फैसले लिये थे जिसका सभी लोगों ने स्वागत किया था। एक तो नकल विरोधी अध्यादेश था उसकी समाप्ति की घोषणा, दूसरे पूरे प्रदेश के किसानों को टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना और तीसरा ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य के लिये 16 घंटे विद्युत की आपूर्ति कराना। ये तीन लोकप्रिय निर्णय थे जिसकी

सभी ने स्वागत किया था । लेकिन मान्यवर, आज वास्तविकता इसके बिलकुल परे है । तीन महीने हो गये हैं इस सरकार को बने । दिसम्बर में इनकी सरकार गठित हुई । इस महीने निश्चित रूप से विद्युत आपूर्ति हुई और उत्पादन भी बढ़ा । दिसम्बर, 93 में जो प्लान्ट लोड फैक्टर था वह 59 प्रतिशत हुआ जबकि दिसम्बर, 92 में यह 55 प्रतिशत था । दिसम्बर में इस सरकार ने बड़े जोश खरोश के साथ काम किया और विद्युत का उत्पादन भी बढ़ा लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? जनवरी, 92 में पी० एल० एफ० 59 प्रतिशत था मगर जनवरी, 94 में 51 प्रतिशत रह गया अर्थात् विद्युत उत्पादन घटा तब से लगातार घट ही रहा है ।

मान्यवर, यह सरकार इसके लिये चिन्तित नहीं है । मान्यवर, इनकी प्राथमिकता कानून और व्यवस्था को सुधारने की है, भारतीय जनता पार्टी की साम्प्रदायिकता से निपटने की है मगर इनकी प्राथमिकता किसानों को बिजली देने की नहीं है, यह सरकार किसानों के प्रति चिंतित नहीं है । मान्यवर, आज जनवरी, 94 में पी० एल० एफ० 51.53 प्रतिशत है, फरवरी, 94 में यह 53.27 प्रतिशत था,जबकि पिछली साल फरवरी, 93 में यह 57.27 प्रतिशत था । तो इस तरह से पिछले सालों की तुलना में यह घटा । दिसम्बर में यह जरूर बढ़ा । यह आंकड़े में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के ही बता रहा हूं । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं सर पर हैं और छात्रों को पढ़ने के लिये कम से कम 6 बजे से 10.00 बजे तक बिजली अवश्य मिलनी चाहिए मगर वह नहीं मिल पा रही है । पूरे प्रदेश के गांवों में आप जाकर देखें वहां पर इतनी बिजली वह उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, किसान का बेटा किस तरह से पढ़ेगा जब उसको बिजली उपलब्ध नहीं हो पायेगी । ग्रामीण अंचलों में मिट्टी का तेल भी उपलब्ध नहीं है और इस पर भी सदन में चर्चा हो चुकी है । आज इस सरकार को इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर सोचना होगा और यह सुनिश्चित कराना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 6.00 बजे से 10.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति करावें । दूसरी बात यह है कि जो 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात कही गयी है वह कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं करायी जा रही है । सरकार इस बिन्दु पर क्या विचार कर रही है ? इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा । इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं हो सकता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सभी लोग आज इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् इस प्रदेश में सफेद हाथी के समान है । मान्यवर, अगर आप आज आंकड़े देखें उसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में 200 करोड़ रुपये प्रति माह की आमदनी होती है और खर्चा 250 करोड़ रुपया प्रतिमाह है । ऐसी स्थिति में हम इससे उम्मीद करें कि यह प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति होगी तो यह मात्र कोरी कल्पना होगी । मान्यवर, सिर्फ राजनीति में वाह-वाही के लिये यह घोषणा करना कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे व शहरों में 22 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । मान्यवर, इस संबंध में आपके भी लेखे आज चुके हैं और हम सब भी इस बात से सहमत हैं कि आज उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अपनी उत्पादन क्षमता का पचास प्रतिशत कार्य भी नहीं कर रहा है । हमारी जो उत्पादन लागत है उसमें निश्चित रूप से कमी आयी है और उत्पादन क्षमता पूरी न करने के कारण हमें एन० टी० पी० सी० से बिजली लेनी पड़ती है और उसका भुगतान करना पड़ता है यह भी एक बहुत कारण है । उसके बाद भी माननीय मंत्री जी यह घोषणा करें कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं तो यह उचित नहीं है । मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आज ग्रामीण अंचलों में 6 घंटे से अधिक बिजली नहीं पहुंच रही है अगर पहुंच रही है तो जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं वह फर्जी हैं और झूठे हैं एवं सत्यता से परे हैं । मान्यवर, आज बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं गांवों में

कटाई-मड़ाई थोड़े दिनों में शुरु होगी । मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, इसलिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करिये और कम से कम वह समय निश्चित कर दीजिये, जिससे ग्रामों और शहरों में रहने वाले लोग इस बात के लिये तैयार रहें कि उनको इतने घन्टे बिजली मिलेगी । इस महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों ने नियम–311 में दिया है । कृपया नियमों को निलम्बित करके, इसकी ग्राह्यता को स्वीकार कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री से स्पष्ट उत्तर दिलवाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, जिसे दलों के बंधन में नहीं बांधा जा सकता । 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी थी, संभवतः उन्हें यह नहीं मालूम था कि हमारी इन्स्टाल कैपेसिटी क्या है ? यदि हाइड्रो और थर्मल दोनों जोड़ लिये जायें तो कुल मिलाकर 5200 मेगावाट कैपेसिटी होती है, लेकिन जब 51 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर होगा तो इसका मतलब 2600 मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है, ऐसे में 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और जो घोषणा की गयी थी वह पूरी नहीं हो सकती । हम तब तक 16 घन्टे बिजली नहीं दे सकते, जब तक हम इन्स्टाल कैपेसिटी न बढ़ायें । हम जब तक इन्स्टाल कैपेसिटी प्लान्ट लोड फैक्टर 80 तक नहीं ले जायेंगे, तब तक 16 घन्टे बिजली नहीं दी जा सकती, यह एक राजनैतिक घोषणा तो हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं हो सकती । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि विद्युत उत्पादन बढ़ाया जाय अथवा सरकार को कुछ क्षेत्रों में कटौती करनी होगी, जिसकी सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की है, इसके अतिरिक्त फीडरों की लम्बाई बहुत अधिक है, जब तक इनकी लम्बाई को घटाया नहीं जायेगा, तब तक अंतिम छोर तक बिजली नहीं पहुंच सकती । सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आनपारा में जो दूसरी यूनिट है, उसने 500 मेगावाट का उत्पादन तो प्रारम्भ कर दिया, परन्तु गत सरकार ने सबसे बड़ी भूल यह की कि ट्रांसमीशन का कोई प्राविधान नहीं किया गया, जिस कारण उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है । मार्च के महीने में छात्रों की परीक्षायें होनी वाली हैं, खेत में किसानों को सिंचाई के लिये बिजली नहीं मिल पा रही है । यह विषय अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है, तात्कालिकता भी है इसलिये सारे नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिये, जिससे कोयले की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके क्योंकि कोयला निगम ने कोयला देने से मना कर दिया है और ऐसी स्थिति में कुछ दिनों में सारे ताप विद्युत गृह बन्द हो जायेंगे । इसलिये मेरा पुनः अनुरोध है कि इस तात्कालिक महत्व के विषय पर नियमों को शिथिल करके चर्चा करायें ।

* श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, हमारे माननीय नेता कांग्रेस, भाई नरेश जी, माननीय पाल जी ने बिजली का मामला नियम–311 में उठाया है ।

मान्यवर, यह सरकार आदरणीय लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह के सपनों की सरकार बनने का दावा करती है मेरा आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि बिजली की व्यवस्था दुर्व्यवस्था में परिवर्तित हो रही है । मेरे यहां लोग आठ घण्टे से ज्यादा बिजली प्राप्त नहीं कर पा सके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं। मान्यवर, हमारे यहां 33 व 11 के० वी० ए० का सब स्टेशन निर्माणीधीन था, वह आज भी वहीं पर पड़ा है। जब तक ट्रांशमीशन का काम ठीक नहीं होगा, जनरेशन का काम नहीं होगा। जब तक बिजली की चोरी नहीं रोकी जाती, उसकी व्यवस्था नहीं की जाती आप किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे सकते। किसान बरबाद हो रहा है, हमारे साथी जो बैठे हुए हैं इनके यहां भी बुन्देलखण्ड का बुरा हाल है। आप सहमत होंगे अब मड़ाई का कार्य आ रहा है और हमारे तरफ तो गन्ने की सिंचाई का समय भी आ रहा है। इसलिये मान्यवर, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिये। आपकी तरफ से कड़े निर्देश जाने चाहिये ताकि किसानों को 16 घण्टे बिजली मिल सके।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(संसदीय कार्यमंत्री को बुलाये जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरी भी बत सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का वक्तव्य हो जाये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने तो सीमा तोड़ दी।

श्री अधिष्ठाता–

आप तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार की तरफ से खोखली घोषणायें की जा रही हैं कि प्रदेश को 16 घण्टे की बिजली दी जा रही है वह खोखली घोषणा है और किसान को 7-8 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। विद्युत परिषद् की स्थिति बहुत दयनीय है। पूरे प्रदेश में कहीं पर भी सरकार 16 घण्टे बिजली नहीं दे पा रही है। जैसा कि माननीय नरेश जी ने कहा कि यह एक सफेद हाथी बन गयी है। मान्यवर, कहीं पर भी अगर खम्भे गाड़े गये तो वह अधूरे ही छोड़ रखे हैं। मैंने कई बार निवेदन किया लेकिन मेरे क्षेत्र में कई सालों से खम्भे गड़े पड़े हैं, तार बिछाया नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि विद्युत की आपूर्ति हो रही है, विद्युतीकरण में गांव आ गया, तार लगे ही नहीं। यह सारी दुर्व्यवस्था विद्युत विभाग में है। जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार कर रहे हैं वह घोषणा खोखली है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7-8 घण्टे से ज्यादा यह बिजली पूरे प्रदेश को नहीं दे पा रहे हैं। यह जनजीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल है, इस पर चर्चा करने की आप अनुमति दें।

(श्री राम प्रसाद टम्टा के खड़े होने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

आपके दल के तीन लोग बोल चुके हैं, आप बैठ जायें । मैंने संसदीय कार्यमंत्री जी को बुला लिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे यहां पहाड़ों में पानी की भी समस्या है । यदि सरकार पर्वतीय क्षेत्र में बन्द पड़े लघुजल विद्युत गृहों को चालू करें तो वहां की बिजली की समस्या का समाधान हो सकता है पर्वतीय क्षेत्र बिजली पेयजल की मुख्य समस्या हल करती है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि पहाड़ों में 22 घण्टे लगातार बिजली रहनी चाहिये । पर्वतीय क्षेत्र की विद्युत कटौती न की जाय, विद्युतीकरण छूटे हुए ग्रामों का शीघ्र विद्युतीकरण किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जब आपने उदारतापूर्वक इस मामले पर कई दलों के लोगों को सुन लिया है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक-आध लोगों को सुनना अनुचित नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, वर्तमान सरकार की गांवों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा "मुंगेरी लाल के हसीन सपने" के समान है । मान्यवर, आज प्रदेश में केवल 6-8 घण्टे बिजली लोगों को दी जा रही है अभी कल मैं देवरिया शहर में था, वहां पर 3 घण्टे से बिजली नहीं थी । विद्युत परिषद् की हालत बहुत ही खराब हो गयी है । लाईन लासेस 52 प्रतिशत तक पहुंच गया है । जैसाकि तिवारी जी ने कहा आनपारा के बारे में आनपारा परियोजना में करोड़ों रुपये का घपला चल रहा है । 11 के० वी० ए० से लेकर 400 के० वी० ए० स्टेशनों का राजनीतिकरण करा दिया गया है । शिलान्यास करके छोड़ दिया गया है । मान्यवर, इस नाते मैं चाहूंगा कि इतने लोक महत्व के विषय पर चर्चा करा करके सरकार को इस बात के लिये आदेशित करें कि वह अपने वायदे के अनुसार काम करे तथा 16 घण्टे की विद्युत की आपूर्ति करे । क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मड़ाई करनी है, खरीफ फसलों, सब्जियों की सिंचाई करनी है, छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में भाग लेना है । इसलिये यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से बहुत दायित्वपूर्ण अपेक्षायें की जाती हैं, नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होती ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

* आचार्य जगदीश मुनि–

मान्यवर, मैं हरिद्वार जिले से विधायक हूं। विद्युत के संबंध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले के गांवों के अन्दर मोमबत्ती जलती है, विद्युत व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात हमारे जिले के अन्दर यह है कि जिनको विद्युत कनेक्शन मंजूर होता है वह कागजों और फाइलों तक ही सीमित रहता है। वास्तव में कनेक्शन नहीं दिया जाता है और उन गांव के लोगों के पास बराबर बिल आते हैं, बिल का पैसा नहीं भरा जाता है तो नोटिस दी जाती है। मान्यवर, वहां पर गांव वालों से यह भी कहा जाता है कि बिल का पैसा जमा करो नहीं तो विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया जाता है तो बिल क्यों भेजा जाता है और बिल भेजकर कनेक्शन काटने की धमकी दी जाती है। अभी समाचार-पत्रों में सूचना छपी थी कि वहां पर विद्युत की चोरी पकड़ी गयी। मान्यवर, यह मसले गम्भीर मसले थे, लेकिन सब रफा-दफा कर दिया गया। विद्युत चोरों को कोई सजा नहीं मिली, जांच नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस मसले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। विद्युत व्यवस्था में सुधार किया जाय। सरकार अपने को दलितों की हितैषी बताती है। मान्यवर, वहां पर बहुत सी हरिजन बस्तियां हैं, सरकार से निवेदन करूंगा कि दलित बन्धुओं के गांवों में बिजली के प्रकाश की व्यवस्था तत्काल करायें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, अनुरोध करूंगा कि विद्युत विभाग पर जब सामान्य चर्चा चले उस पर बहस करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात मान ली जाय। मैंने इस संबंध में अपने दल के सदस्यों को समझा लिया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, तिवारी जी ने, पाल साहब ने, वर्मा जी ने और हमारे साथी हरेन्द्र मलिक जी ने जो यहां विषय उठाया है, ये विद्वान हैं, लोगों के भड़काने में नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण समस्या प्रदेश के संबंध में है, की ओर आकर्षित किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली पहुंचाई जायेगी, सूचना जो हमारे पास आती है उसे उपलब्ध करा देंगे, उसमें लगभग 16 घंटे बिजली की सूचना आती है लेकिन उस सूचना को हम अभी सही नहीं मान रहे हैं, हम कितने प्रयत्नशील हैं इस ओर, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिजली उत्पादन आपकी सरकार के कार्यकाल से बेहतर है, तो वितरण भी बेहतर होगा। हमारी मंशा भी यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायेगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस संबंध में माननीय सदस्यों को किसी भी समय अवगत करा देंगे। रबी फसल की मड़ाई आने वाली है। सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किसानों को बेहतर तरीके से विद्युत की आपूर्ति की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगी। पिछली बार भी जब हम सरकार में थे तो उस समय भी हमने किसान को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति की थी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया और विद्युत आपूर्ति कैसे करेंगे, इसके लिये कोई कार्यक्रम नहीं बताया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने बताया तो कि जब विद्युत विभाग का बजट आयेगा तो उस समय सारी बातें बता दी जायेंगी। यह सूचना अस्वीकार की जाती है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, लगता है कि उनके साथ ही इनके जाने का समय भी आ गया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

हां, तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया और न ही कोई कार्यक्रम बताया। जब इनका पी० एल० एफ० 51 प्रतिशत है और ये उत्पादित कर रहे हैं 2600 मेगावाट और मांग है 4 हजार मेगावाट की तो यह कैसे विद्युत उपलब्ध करा पायेंगे, इसलिये यह सरकार किसानों को बिजली देने में उतनी ही लापरवाह है जितनी कि बी० जे० पी० की सरकार थी, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्यागकर चले गये)

प्रदेश में महिला उत्पीड़न तथा उन्नाव जिले के कलंदर खेड़ा गांव में दलित जाति की महिला के साथ बलात्कार व हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जब से उत्तर प्रदेश में यह वर्तमान सरकार आई है, तब से प्रदेश में हत्यायें, डकैती और छिनैती तमाम अपराधिक घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। मैंने 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है उसका विषय अत्यन्त गम्भीर और चिन्ता का है। आज हमारे प्रदेश में जो महिला वर्ग है, जो सम्माननीय होती है और प्रदेश की आबादी का 50 प्रतिशत है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं के उत्पीड़न के विषय में लोक सभा में राज्य सभा में सभी दलों के नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश में हो रही महिला उत्पीड़न पर चिन्ता व्यक्त की है। यह सरकार दलितों व पीड़ितों के होने का दावा करती है लेकिन जब से यह सरकार आई है तब से दलित वर्ग के महिलाओं के साथ ही अधिक अत्याचार हो रहे हैं। इस प्रकार की दर्जनों घटनायें हुई हैं। 5-6 घटनाओं का जिक्र मैंने अपने सूचना में किया है। आज महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती हैं। उन्नाव जनपद के अन्दर एक घटना होती है। एक हरिजन महिला के साथ, जब वह अपनी उदरपूर्ति के लिये खेत में काम कर रही थी तो पांच यादव युवकों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। दूसरी घटना मुजफ्फरनगर की है। यहां पर एक अल्पसंख्यक महिला सबनम के साथ, जो उदरपूर्ति के लिये खेत में घास काट रही थी, तीन युवकों ने कट्टे की नोंक पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, जब उसने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। उसके साथ एक सहेली, उसके साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की जाती

है, जब उसने भी विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी जाती है । दोनों को अस्पताल में भरती कर दिया जाता है । वहां पर शबनम दम तोड़ देती है और दूसरी की हालत बहुत गम्भीर है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप संक्षेप करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आज ऐसी घटनाओं से सारा देश चिन्तित है । प्रतापगढ़ के अन्दर एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार होता है । मान्यवर, एक अभी लेटेस्ट सहारनपुर में बलदेवा धनगढ़ में महिला के साथ बलात्कार किया और घिनौना कृत्य करने के बाद उसके नग्न शव को पेड़ से लटका दिया गया । इन सारी घटनाओं को आप देखें तो जाहिर है कि यह सपा और बसपा की आपसी खींचतान में जो दलित महिलायें हैं उनको सपा के समर्थकों द्वारा अपमानित किया जा रहा है और इस प्रकार की घिनौनी घटनायें की जा रही हैं । इस प्रकार बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है जिससे आज प्रदेश की महिलाओं में विशेषकर जो दलितों से संबंधित हैं उनके अन्दर एक चिन्ता व्याप्त है । यह सरकार जो दलितों और पिछड़े वर्ग को संरक्षण देने का दावा करती है विवेचना से साबित हो गया है कि दोनों सपा और बसपा के आपसी खींचतान में सपा के समर्थक जो लोग हैं वह दलितों का उत्पीड़न कर रहे हैं यह मेरा आरोप है इसकी जांच करा लिया जाय तो आप देखेंगे कि सपा के लठवाले लाठी के बल पर उन लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं । अभी तक जितनी सूचनायें नियम 311 में आती हैं उसमें आप अन्त में कह देते हैं कि नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जितनी सूचनायें अभी तक आई हैं उनमें यह सबसे महत्वपूर्ण है, अबला जाति के उत्पीड़न का उसमें भी जो दलित वर्ग से संबंध रखती है उनका है इसे भी आप अनसुनी कर देंगे तो मैं समझूंगा कि इस पीठ से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, यह गरीब महिलाओं का मामला है इसलिये अतिलोक महत्व का विषय है इस पर निश्चित रूप से चर्चा करा दें और सरकार को निर्देशित करें कि दलित वर्ग की महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जाय ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय हरेन्द्र सिंह जी की जो महिला उत्पीड़न की सूचना है उसको भी इसी के साथ जोड़ ले और उनको सुन लें तो आपको निर्णय देने में आसानी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय विकल जी को बुलाया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, माननीय श्यामदेव राय चौधरी ने विस्तार से महिला उत्पीड़न और उनके साथ होने वाले अत्याचार, अनाचार का वर्णन किया है मान्यवर, विशेष रूप से उन्नाव जिले में जो घटना हुई वह बहुत ही लोमहर्षक है । कलंदर खेड़ा गांव में 23-2-94 को एक हरिजन युवती सावित्री के साथ जिस प्रकार 5 लोगों ने जबरदस्ती उसका अपहरण करके अत्याचार व बलात्कार किया एक ही जाति के यह लोग थे जो उसे उठा कर ले गये । उसका पिता दुर्गा प्रसाद थाने में रोता रहा कहता रहा कि मेरी बेटी को यह लोग उठा कर ले गये हैं लेकिन उसे थाने से भगा दिया गया । 25 तारीख को उस अभागी युवती

सावित्री का शव अरहर के खेत में पड़ा हुआ मिला । उसके साथ सामूहिक बलात्कार ही नहीं किया गया बल्कि अमानुषिक ढंग से उसकी लोमहर्षक हत्या भी कर दी गयी । इससे ज्यादा हरिजन और दलित उत्पीड़न का कोई शर्मनाक मामला दूसरा नहीं हो सकता है । जिन लोगों ने यह कृत्य किया वह बड़े दबंग और असरदार एक विशेष जाति के लोग हैं जिन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है । लज्जा की बात तो यह है कि उस दिन जब यह काण्ड हुआ एक मंत्री भी वहां थे उन्होंने घटना को दबाने की कोशिश की और अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो इस बात का प्रयास किया । बाद में दूसरे मंत्री जब वहां गये तो संभवतः तब पुलिस हरकत में आई । लाश मिलने के बाद जब जन रोष बढ़ा तब रिपोर्ट दर्ज की गयी। 5 लोगों को उसमें नामजद भी किया गया परन्तु अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं जिससे वहां दहशत है हरिजन उत्पीड़न की इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई और हो नहीं सकती है । यही स्थिति महिला उत्पीड़न की हर जिले में हो रही है खासतौर से हरिजन वर्ग की महिलाओं के साथ जिस प्रकार अत्याचार और बलात्कार हो रहा है उन्हें सुनकर लोग थर्रा उठते हैं । मैं मांग करता हूं कि आप नियम 311 में सुनने के बाद शासन को निर्देशित करें कि वह जांच ही न कराये परन्तु सदन में तथ्यों के बारे में पूरे तौर पर वक्तव्य भी दें । इन शब्दों के साथ मैं इस घटना को उठाते हुए शासन के संज्ञान में लाते हुए चाहता हूं कि इस पर वक्तव्य दिलाये जाने की व्यवस्था दी जाय ।

श्री सुन्दर लाल लोधी–

मान्यवर, यह घटना वास्तव में हमारे जिले उन्नाव की है जो 23 तारीख को कलन्दरखेड़ा में घटी । इस मृतक महिला का पिता जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने गये तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी क्योंकि उस महिला को दो दिनों तक बहला फुसला कर रखा गया था । इस परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं वहां गया और जो जानकारी मिली उसको सदन को मैं दे रहा हूं । वैसे तो इस प्रकार की रोजाना हरकतें हो रही हैं लेकिन वास्तव में यह घटना सरकार के कारनामों में एक और कड़ी जोड़ती है । इस घटना में 5 व्यक्तियों के नाम भी हैं । वे नाम इस प्रकार हैं –श्री राम बालक यादव, श्री दिनेश यादव, श्री हरखू यादव, श्री सूबेदार और श्री गिरजा शंकर यादव हैं । यह उसी गांव के निवासी हैं । घटना इस प्रकार है कि चक्की पर वह बालिका आटा पिसाने 2 बजे गयी तो इन मुल्जिमों ने उसे बहला फुसलाकर बाहर ले गये । जब उस बालिका का पता उसके पिता को नहीं लगा तो वह थाने में रिपोर्ट लिखाने गया लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गयी । फिर दो दिन बाद उस बालिका की लाश उसके पिता को जब मिली तो पुनः थाने वह गया तो रिपोर्ट लिखी गयी । इस संबंध में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसके साथ परिवार और बलात्कार करने वाले के परिवार के घरों पर सपा के झंडे लगे थे । चूंकि माननीय मंत्री जी का यह क्षेत्र है इसलिये मैंने उनसे मिलकर निवेदन किया कि दोनों परिवार के घरों पर सपा के झंडे एक ही प्रकार के लगे हैं और बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही हमारे हैं । इसलिये सरकार से निवेदन किया कि सरकार की छबि को बचाने और पश्चाताप करने के लिये कम से कम गरीब को एक लाख रुपये का मुआवजा सरकार दे । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कि मेरी उस मांग पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

मान्यवर, मेरे जनपद उन्नाव में ऐसी अनेक घटनायें होने को हैं जिनके बारे में समय कम होने के कारण मैं यहां उल्लेख नहीं कर सकता, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं ।

श्रीमती रेखा छागला–

मान्यवर, काफी देर से मैं बैठे बैठे सुन रही हूं कि आज का एक ही मुद्दा हमारे विरोधी सदस्यों के पास चर्चा का रह गया है और वह है अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार का । लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूं कि इस सम्मानित सदन में जो विरोधी दल का एक विशेष स्थान होता है उसको दृष्टि में रखते हुए कुछ रचनात्मक सुझाव देने चाहिये कि देश को अमन-चैन के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आजकल विरोधी दल सिर्फ महिलाओं पर ही राजनीति कर रहे हैं । और वह भी हरिजन महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है इसके लिये मुझे दुख है कि हमारी महिलाओं के साथ यह हो रहा है । लेकिन इसको यह तमाशा बनाने लगते हैं । मान्यवर, यह लोग समाज की अपनी बहनों के लिये कोई सम्मानजनक स्थान नहीं रखते हैं और सदन में यहां बैठकर यह उपाय नहीं बता सकते हैं कि इस परेशानी से कैसे छुटकारा मिल सकता है ? मान्यवर, चाहे जवान भाई हों या बुजुर्ग भाई हों ।

[2 बजकर 20 मिनट]

एक ही मुद्दा है–अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ अनाचार, बलात्कार । मुझे इस बात का दुःख है । ऐसा नहीं होना चाहिये । यह सब वही लोग कह रहे हैं, जिन्होंने अपने समय में उनके साथ क्या कुछ नहीं किया था । मान्यवर, वह सब कहते मुझे शर्म आती है । मैं पूछती हूं कि उन्हें हरिजन महिलायें ही क्यों दिखाई देती हैं ? मैं यह कहना चाहती हूं जो विरोधी दल का काम होता है, जो भी परेशानियां आती हैं, जो दिक्कत आती हैं, उनका सही ढंग से समाधान कराये । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें पूरी तरह से राजनीति खेली जाय । इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती है ।

(व्यवधान)

(संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उत्तर देने से पहले हमारी सदस्या राज लक्ष्मी जी को भी आप एक मिनट सुन लीजिये ।

* श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में व्याप्त महिला उत्पीड़न से यह प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश चिन्तित है और इसी कारण राज्य सभा और लोक सभा में भी इसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है । और इस पर प्रत्येक दल के सदस्य बोले हैं और उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न व्याप्त है । इनमें से उन्नाव की घटना तो सबसे बड़ी और सबसे गम्भीर घटना है । इसको प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने भी यह कहकर स्वीकार किया है कि उसके परिवार वालों को एक लाख रूपया दे दिया गया है और बलात्कार करने वाले लोग भाजपाई हैं । यह एक तरफ तो स्वीकार करते हैं कि अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि यह करने वाले भाजपाई हैं । इनके शासन में आज महिलाओं के साथ भीषण अत्याचार हो रहा है । श्रीमती उमा जी ने जो एक हरिजन महिला के साथ हुए बलात्कार की घटना की रिपोर्ट लिखे जाने और जांच का आदेश दे दिया था, तो उस ईमानदार, कर्मठ और पढ़ी-लिखी महिला को, आतताइयों के इशारे पर वहां से स्थानान्तरित करने में इस सरकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को कोई हिचक नहीं हुई थी । सपा-बसपा के गठबन्धन की सरकार होने के बाद यह अनुसूचित जातियों और महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं और उल्टी सीधी बातें करके गलत आरोप लगाते हैं । इसके बारे में यह कुछ नहीं बताते हैं कि जो यह अपराध हो रहे है, उनकी यह रोकथाम किस प्रकार करेंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, नियम 311 को आप सुन रहे हैं– चाहे आप नियम 311 को सुन रहे हों चाहे नियम 56 को सुन रहे हों, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि नियमों का बिल्कुल पालन नहीं होगा तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमें मुश्किल हो जायेगी मान्यवर, नियम 311 में नियम को निलम्बित करने की सूचना होती है, लेकिन यहां तो सारी चर्चा हो गई है पूरे प्रदेश की तमाम इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख करके उन पर चर्चा हो रही है । श्याम देव राय जी की दलित महिलाओं और पुरुषों के साथ जो हमदर्दी है, वह राजनैतिक हमदर्दी है । उन्होंने उसका राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से यहां पर यह प्रश्न उठाया है । आप दलितों और पिछड़ों के लिये कोई चिन्ता न करें, वे अब आपके जाल में फसने वाले नहीं है । गुप्त जी से हम यह जरूर कहेंगे कि अब व्यापारियों को बचाइये, वह भी अब आपके साथ रहने वाले नहीं हैं, हमारा बिक्री कर का विकल्प आने के बाद । राजनैतिक दृष्टि से जो मनगढ़न्त घटनायें गाई जाती हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसका थोड़ा तथ्यात्मक विश्लेषण करना सीखें । यह घटनायें हुई हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करता लेकिन जितनी कठोर कार्यवाही और जितनी त्वरित कार्यवाही इस शासन ने की है उससे कुछ सीख लेनी चाहिए । अगर यह भी झलकता तो खुशी होती कि हमारे इस प्रकार की कार्यवाही करने से कुछ सन्तोष तो है । दलित और पीड़ित जो कि हजारों साल तक गुलामी करते रहे हैं उनके सहयोग से यह सरकार बनी है इसलिये हमारा संकल्प है कि कहीं पर दलितों का उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होती है तो दोषी लोगों के विरुद्ध पहले से ज्यादा सख्ती से कार्यवाही होगी । अभी हमारे ही जिले की सदस्या कह रही थी कि बी० जे० पी० पर आरोप लगाया गया है, अखबार में छपा है ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, मैं बता रही थी कि एक मंत्री का बयान छपा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप को खुश होना चाहिए । हमने आपकी बात का समर्थन किया है । जब आपकी सरकार थी उस समय की एक घटना थी उन्नाव की । एक दलित का मकान जला दिया था और हमलावर भागने लगे तो वह जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, अब नहीं मालूम कि वह किस पार्टी के लोग थे । आप ही बताइये वह कौन लोग थे ? हम दलितों के लिये पूरी तरह से सचेत हैं । प्रशासन को अलग से निर्देश दे देंगे कि प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरते । यदि किसी के साथ किसी तरह का अन्याय होता है तो पहले से ज्यादा कठोर कार्यवाही करने का हमारा संकल्प है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मुझे बड़ी आशा थी कि इस गम्भीर मामले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया है और मंत्री जी उसके संबंध में उचित जानकारी देंगे । लेकिन माननीय मंत्री जी ने बहुत हल्के ढंग से इस हादसे को ले लिया । मंत्री जी को उस समय में बताना चाहिए था कि उन्होंने उस विषय में क्या कार्यवाही की । मुल्जिम पकड़े गये कि नहीं बजाय इसके इधर-उधर अनाप-शनाप अप्रसंगिक बातें बताईं।

महिलाओं के विषय में इस तरह की घटना बताते हुए हमारा मस्तक शर्म से झुक जाता है । यह शोभाजनक बातें नहीं हैं । हम भावनाओं से कर्तव्य को ऊंचा समझकर ही इन बातों को यहां रखते हैं । यह जो घटना हुई है, यह बहुत शर्मनाक है । इसके उत्तर में यहां पर अच्छी खासी चर्चा की गई । सरकार ने यह नहीं बताया कि मुल्जिम पकड़े गये या उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? इस बारे में कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है । इतना हृदयहीन और संवेदनहीन शासन इससे पहले कभी नहीं रहा होगा । सूचना 10.00 बजे मिल गयी थी अब तो 2.30 बज गये हैं अभी तक सही उत्तर देने के लिये सूचना नहीं है आपके पास । हमने क्या किया ? क्या नहीं ? यह यहां पर कोई मतलब नहीं है । लेकिन यह जो कुकृत्य किया गया है इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? मैं यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने राम आसरे वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अगर सरकार के पास नाजुक गम्भीर मसले पर कोई जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि बहुत चिन्ता की बात है । आप हम सबके संरक्षक हैं । संगत उत्तर दिया जाना चाहिए । यह घटना उस जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश के लिये चिन्ता का विषय है ।

श्री अधिष्ठाता–

गुप्ता जी आपने 311 में जो सूचना दी है उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कहना था कह दिया है । 311 के अन्तर्गत सरकार पर इसके लिये कोई दबाव नहीं डाला जा सकता है । जो उत्तर था वह दे दिया । आपकी सूचना इसके अन्तर्गत नहीं आती है । अतः अस्वीकार की जाती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं आपकी व्यवस्था से असहमत हूं । मैं सरकार के इस रवैये पर, महिला उत्पीड़न के मामले में सरकार के पास जानकारी नहीं है, इन्होंने कड़ाई नहीं की है मैं इनके रवैये के खिलाफ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन किया ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, यह विरोध राजनीतिक नाटक है । उन्नाव की घटना के संबंध में सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं । उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की गयी है, सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी गई है । वहां अब कोई अशांन्ति नहीं है, सब तरह से शान्ति है ।

(शोर)

श्री प्रमोद तिवारी–

उस घटना में जो [× × ×] नाम आये हैं उसमें क्या कर रहे हैं ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

उसको भी जांच में शामिल कर लिया जायेगा ।

कानपुर देहात के भोगनीपुर मुख्यालय पुखरायां में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना की मांग विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

श्रीमन्, कानपुर देहात जिले में भोगनीपुर तहसील में मुख्यालय पुखरायां में मुंसिफी कोर्ट की स्थापना को लेकर धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन चलते रहे हैं । अभी हाल ही में रेल को जाम करने का आन्दोलन चला, यह जन व्यापक हो गया है । दो महीने से वकील काम काज नहीं कर रहे हैं । हड़ताल पर हैं । जनता पर इसका बहुत असर पड़ा है, जनता आन्दोलित है तमाम आश्वासन दिये गये। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा राज्यपाल को, मुख्य मंत्री को, ज्ञापन दिये गये । पुखरायां में मुंसिफी कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए ।श्रीमन्, एक राकेश कुमार अधिवक्ता हैं इन्होंने आत्मदाह के लिये संकल्प किया है । मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि पुखरायां में मुंसिफी कोर्ट की स्थापना की घोषणा यह सरकार करे । और वहां के आन्दोलन को समाप्त करने के लिये कदम उठाए ।

पिछड़ा वर्ग आयोग के लिये भवन तथा स्टाफ उपलब्ध न कराये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

इसमें कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह सूचना निरस्त की जाती है ।

(श्री मोहर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामदास–

मान्यवर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया .....

श्री अधिष्ठाता–

आप मा० मोहर सिंह हैं ।

श्री राम दास–

जी नहीं ।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी अपने छद्म रूप से सदन को बाहर भी गुमराह कर रही है और यहां भी गुमराह कर रही है ।

श्री मोहर सिंह–

मान्यवर, सितम्बर, 1993 में जो आयोग का गठन किया गया है.....

* डा० सरजीत सिंह डंग–

यह छद्म रूप की चर्चा के बारे में कह रहे हैं तो—

"तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई"

एक तरफ विरोध और एक तरफ सपोर्ट । यह दूसरो पर व्यंग्य कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसको समझने के लिये आदमी का दिमाग चाहिए, वह डंग साहब के पास नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मुझे पूरा विश्वास है और उसे सर्टीफाई कर सकता हूं श्री तिवारी जी मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं मगर दिमाग की मात्रा इनकेपास बहुत कम है । यही गड़बड़ है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

लेकिन दिमाग की मात्रा जितनी 176 के पास है, उससे दुगुनी 28 के पास है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह 28 से आठ रह जाने वाले हैं । अक्ल का दिवाला न निकला होता तो यह 56 से 28 क्यों रह गये होते ।

श्री प्रमोद तिवारी–

हम लोग 28 इसलिये रह गये क्योंकि हमने साम्प्रदायिकता का साथ नहीं किया और लाशों की रोटी नहीं सेंकी इसलिये 28 रह गये ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

45 साल तक इन्होंने ही साम्प्रदायिक तत्वों का साथ दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दोनों ही वरिष्ठ सदस्य हैं दोनों ही संयम बरतें । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हम 28 रह गये क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में विश्वास नहीं रखते हम लोग क्वालिटी में विश्वास रखते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अतः इनकी बातों पर सदन का समय बरबाद न करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, आपने ज्यादती की डंग साहब को 12.00 बजे मौका नहीं दिया गया, वह अब मौका दे रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा तो 12 एक बार बजेगा लेकिन इनके तो बार-बार 12.00 बजते रहते है इसलिये इनके प्रति मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

डा० डंग के रोज 12.00 बजते है यह पूरा सदन जानता है ।

श्री मोहर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सितम्बर, 1993 में किया गया । इस आयोग के पास पर्याप्त भवन नहीं है । अभी तक इस आयोग के पास पूरा स्टाफ नहीं है और न सचिव, न तो फोर्थ क्लास के और न ही थर्ड क्लास के कर्मचारी हैं । इस आयोग ने अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया

है तो यह आयोग पिछड़ी जातियों की पहचान किस प्रकार करेगा मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है । अभी तक 45 आवेदन पत्र इस आयोग के पास पहुंच चुके हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । पूर्णरूपेण आयोग का गठन सरकार कराने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम 311 के अन्तर्गत 9 सूचनायें प्राप्त हुई यह 311 के अन्तर्गत नहीं आती हैं इसलिये इनको निरस्त किया जाता है ।

सपा व बसपा के गठबंधन के झगड़े से उत्पन्न विभ्रम तथा फैजाबाद में एक विधायक को पीटे जाने विषयक पत्र के संबंध में जानकारी (जारी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अधिष्ठाता महोदय, सपा और बसपा का जो झगड़ा हो रहा है, उससे बड़ा विभ्रम हो रहा है, इस संबंध में मैंने कल अध्यक्ष जी को एक पत्र लिखा था इसमें मैं कुछ जानना चाहता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, गुप्ता जी किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ? मान्यवर, सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार चलती है । गुप्त जी ने कोई आपको पत्र दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह पत्र किस नियम के अन्तर्गत दिया गया । अगर आप इजाजत दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन यह पत्र किस नियम के अन्तर्गत दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने यह पत्र किस नियम के अन्तर्गत दिया है ? यह बताने का कष्ट करें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तत्काल कोई जानकारी प्राप्त करने के संबंध में मैंने पत्र दिया है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के एक आदरणीय सदस्य को फैजाबाद में पुलिस द्वारा पीटा गया है और वह गम्भीर रूप से घायल हैं । उनकी स्थिति क्या है ? हमलावर के खिलाफ कार्यवाही की गयी है या नहीं ? इस घटना से पूरा सदन चिन्तित है । चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सबको माननीय सदस्य से सहानुभूति है ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह बात नियमों में उठायी गयी हो या न उठायी गयी हो लेकिन हम इसे गम्भीर घटना मानते हैं ।

संसदीय नियमों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से बिना नियम सदन कैसे चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुला लिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें । आप संसदीय कार्य मंत्री को सुनें ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, [× × ×] । हम लोगों को नहीं सुन रहे हैं। यह परम्परा नहीं चलेगी। मैं पीठ का अपमान नहीं कर रहा हूं जिस तरह से आप बैठिये, आप बैठिये कहते हैं वह ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूं कि इधर से माननीय सदस्य बोलते हैं तो सुनते रहते हैं, उधर से माननीय सदस्य बोलते हैं सुनते हैं लेकिन हम लोगों में से कोई बोलता है तो हमारी बात सुनते नहीं हैं। हम अगर अपनी बात नहीं कह पायेंगे तो हम यहां क्यों आये हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना आज औचित्य के प्रश्न के रूप में मिली है।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मेरी सूचना का संदर्भ नहीं है। जिस प्रकार से आप माननीय वर्मा जी को डांट रहे हैं इसे मैं अपना और सदन का अपमान मानता हूं। आप जिस पीठ पर बैठे हैं, यह शोभा नहीं देता है।

श्री अधिष्ठाता–

यह भी शोभा नहीं देगा कि संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है और वह अपनी बात कहने न पायें। यह भी शोभा नहीं देता है। जब कोई मामला उठाया जाता है तो संसदीय कार्य मंत्री को पक्ष सुनने के लिये बुलाया जाता है, तो उस समय बैठ जाइये कहने के अलावा और क्या तरीका है ?

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)

मान्यवर, यह तरीका नहीं है कि आप इस तरह से कहें, बैठिये, बैठिये, डांट कर कहें, कि आप बैठिये। आपने अभी वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री राम आसरे वर्मा जी को बार-बार कहा कि बैठिये, बैठिये, डांट कर आपने कहा, बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। माननीय गुप्त जी खड़े हो गये, प्रश्न करने लगे, प्रश्न रखने की आपने अनुमति नहीं दी, तो संसदीय कार्य मंत्री जी को उसका उत्तर देने के लिये प्रश्न ही नहीं उठता और जो माननीय सदस्य श्री हरेन्द्र सिंह जी ने यहां पर बात कही है। मुझे भी आघात पहुंचा और आघात इसलिए पहुंचा कि उस पीठ पर बैठने वाले किसी भी अधिकारी से अपेक्षा यह की जाती है कि वह संसदीय मर्यादाओं को, परम्पराओं को ध्यान में रखकर सदन को संचालित करें। जिस तरह का व्यवहार मुझे मिला, वह मेरे लिए बर्दास्त के बाहर है। किसी भी सदस्य को समझाने-बुझाने, निर्देशित करने के तरीके होते हैं। इस तरह से [× × ×] उस पीठ से कोई बात कहना, [× × ×] उसकी मर्यादा को बढ़ाना नहीं होता है। मैं संसदीय मर्यादाओं के साथ, परम्पराओं के साथ अपने को बांधकर चलना चाहता हूं और पीठ से भी अपेक्षा करता हूं कि उसी तरह का व्यवहार करें और पूरा सदन भी उसी तरह का व्यवहार करे, जिस तरह से व्यवहार पीठ पर बैठने वाले अधिकारी करते हैं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सपा० व बसपा पार्टी के गठबन्धन में झगड़े से उत्पन्न विभ्रम तथा फैजाबाद में एक विधायक को पीटे जाने विषय पत्र के संबंध मे जानकारी (क्रमागत)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, यह बात समाचार पत्रों में आज सुबह आ चुकी है और माननीय गुप्त जी ने भी इस प्रश्न को यहां पर उठाते तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्तव्य था कि इस बारे में जो सही स्थिति है, उसकी जानकारी देती । एक दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक घटना हुई । कल फैजाबाद में हमारे सदन के माननीय सदस्य के साथ पुलिस (फायर) के दो सिपाहियों ने दुर्घटना की और उनको चोट भी आयी है। वह यहां मेडिकल कालेज आ गये हैं । वहां भर्ती हैं । हम सबको इस मामले में निर्विवाद रूप से एक मत होना चाहिए कि सदन के जो निर्वाचित प्रतिनिधि एक तरह से सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त लोग हैं और उनके सम्मान को ठेस लगता है, तो एक तरह से लोकतंत्र को ठेस पहुंचने वाली बात समझना चाहिए । हमारी सरकार इसको सर्वोच्च मान्यता देती है । विधायकों के सम्मान के साथ जिन दो सिपाहियों ने दुर्व्यवहार किया था, उन दोनों सिपाहियों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और स्टेशन अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 7 मार्च, 1994 को नियम 300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल और श्री जगदम्बिका पाल की है । दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है । तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की है और चौथी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) की है ।

दिनांक 4 मार्च, 1994 को श्री अध्यक्ष द्वारा दिये गये आश्वासन पर नियम 300 की सूचनाओं को लिये जाने की मांग

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, दिनांक 4 मार्च 1994 को जो सूचनाएं थी, उसको आज लेने के लिये कहा था, उसके बारे में क्या हुआ, यह मान्यवर, बता दीजिये । मेरा निवेदन है कि जो 4 तारीख की सूचनाएं थी, उसको ले लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी जानकारी कर लेंगे । इसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने यदि कोई निर्देश दिये होंगे, तो उसे देख लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसके संबंध में उस पीठ से उस दिन निर्णय हुआ था, मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

आज की नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं और प्रमोद तिवारी जी को बुलाया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस तरह का निर्णय हुआ था । उसे मैंने आपके समक्ष रखा ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं उसको दिखवा लूंगा ।

दि० 5 मार्च, 1994 को इलाहाबाद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कांशी राम द्वारा प्रदेश के मुख्य मंत्री को चेतावनी दिये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 163 में प्रदेश के मंत्रि परिषद का गठन होता है, मुख्य मंत्री को सलाह देने के लिये और अनुच्छेद 164 (2) में है कि मंत्रि परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । मान्यवर, 5 तारीख को इलाहाबाद में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मौजूदगी में बसपा के अध्यक्ष माननीय कांशीराम जी ने अखबार वालों से यह कहा कि इस सरकार के तीन मंत्रियों के आदेशों की सुनवाई नहीं होती है और अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम सरकार को चलने नहीं देंगे । सरकार के प्रत्येक मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है कि अगर उन मंत्रियों को नेता सदन में विश्वास नहीं रह गया है तो या तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिये या नेता सदन को चाहिये कि वह उनको मंत्रि परिषद से अलग कर दें । माननीय कांशीराम जी ने अपने विधायकों की बैठक में यह बात कही है कि अगर उनके विधायक लोगों का कार्य नहीं हुआ, तो वह उनसे बात करें, वह मुलायम सिंह यादव जी से उसका उत्तर लेंगे । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के अन्तर्गत माननीय मुलायम सिंह यादव जी सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, इस सदन के प्रति न कि एक व्यक्ति विशेष के प्रति । मान्यवर, एक ऐसी बात हो गयी है और वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी में हुई और उन्होंने मना भी नहीं किया, तो मान्यवर इससे अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है और यह प्रश्न चिह्न लग गया है कि सरकार चलेगी या नहीं ? तो ऐसा माहौल पैदा ही गया है । मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं बसपा के सदस्य इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं कि जाति तोड़ों या समाज जोड़ों के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करते हैं । मान्यवर, बहुत दिनों के बाद मान्यवर, उनको यह अधिकार मिला है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि एक व्यक्ति का नाम लेकर समाज के अन्य व्यक्तियों को पीड़ा पहुंचायें । मैं इस प्रश्न के माध्यम से जो संवैधानिक स्थिति पैदा हो गयी है, तो मैं उचित समझूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुये हैं, उनके अधिकारी उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनको भी आप अपनी बात कहने का अवसर दें । माननीय कांशीराम जी ने यह बात कही है, शिक्षा मंत्री जी आप साहस करें और अपनी बात कहें, आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जिस प्रश्न को उठाया गया है, वह गंभीर इसलिये है कि सीधा सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यह पहली घटना ही नहीं है । माननीय कांशीराम जी ने स्पष्ट तौर से सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि मुख्य मंत्री और मौजूदा सरकार को उनके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा । अगर मैं गलत कह रहा हूं, सत्य से परे है तो अभी तक 5 मार्च के बाद सरकार की तरफ से

कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया है कि माननीय कांशीराम जी की मंशा यह नहीं थी ? कांशीराम जी ने अपने प्रति जवाबदेह नहीं कहा है मान्यवर, यह सरकार सदन के प्रति और संविधान के प्रति जवाबदेह है । 163 में मान्यवर, राज्यपाल को सलाह देने के लिये सरकार के गठन का उल्लेख है और 164 (2) में है कि सम्पूर्ण मंत्रि परिषद् इस प्रति सदन के प्रति जिम्मेदार होगी । मान्यवर, बी० एस० पी० की मायावती जी ने लखनऊ में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि हम उत्तर प्रदेश के इस सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे और उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में आयेंगे और इस सरकार की मानीटरिंग करेंगे । लेकिन मान्यवर, इस सरकार के कार्यों की समीक्षा केवल यह सदन कर सकता है, केवल सदन के जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, वह जनता से सीधे चुनकर आये हैं और अगर यह सरकार किसी के लिये जवाबदेह है तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जवाबदेह हो सकती है लेकिन एक पार्टी के महामंत्री के बयान के बाद सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है । उन्होंने कहा है कि हम कामों की समीक्षा करेंगे, मुख्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे, कर्मचारियों और अधिकारियों की निगरानी करेंगे तो मान्यवर, लोक सेवक जो हैं जो अधिकारी है, कर्मचारी हैं वह सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे । मैं कोई अखबारों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से, प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की थी कि वे अधिकारियों के कामों की निगरानी करेंगी, उससे अधिकारियों में अफरातफरी का माहौल हो गया है, पूरे प्रदेश के अधिकारी भयाक्रान्त हैं और एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । मान्यवर, संविधान में जो सरकार को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं, आज मान्यवर, उस शक्ति का प्रयोग माननीय कांशीराम जी और आदरणीय मायावती जी करना चाहती हैं । इससे उत्तर प्रदेश के सामने एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि काशीराम जी किस तरह संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति कर रहें हैं ?

इससे पूरे प्रदेश में आज अस्थिरता का वातावरण बन गया है । 14 करोड़ लोगों के सामने इस तरह के वक्तव्य आने से, बयान आने से सरकार के सामने एक प्रश्न-चिह्न नहीं है । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विकास करना चाहते हैं । मान्यवर, बयान में यह कहा गया कि उनके तीन मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है । उन्होंने कहा कि बांदा में एक घटना घटी और उसके संबंध में हमारे मंत्री ने पत्र लिखा लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की । इससे स्पष्ट है कि उनके मंत्रियों की जब यह हालत हैं तो विधायकों का क्या हाल होगा ? मान्यवर, बहन मायावती जी के वक्तव्य और माननीय कांशीराम जी के वक्तव्य जो सार्वजनिक रूप से आ रहें हैं वह कहां तक उचित है ? इस पर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट होनी आवश्यक है । इससे उपयुक्त विषय आज औचित्य के प्रश्न के लिए कोई नहीं हो सकता तो इसे कृपा पूर्वक ग्राह्य करें, इस पर चर्चा हो जाय । सम्मानित सत्ता पक्ष और दूसरे पक्षों के सदस्यों की बात आ जाय जिससे आप निर्णय लेने में सक्षम हो सकें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन होने पर यह औचित्य का प्रश्न यहां लगाया गया है, यह संवैधानिक रूप से ग्राह्य है । इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 172 को देखने की कृपा करें । प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से (पांच वर्ष) तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं और (पांच वर्ष) की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा । इसके साथ ही आप 163 और 164 भी देखने का कष्ट करें । मान्यवर, 163 (1) में है–"राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिये

मंत्रि-परिषद्''–जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्य मंत्री होगा । '' इसी तरह से 164(2) में है–मंत्रि परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । ''

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रि परिषद् का गठन कर लिया, उसमें कुछ मंत्री बन गये । इसमें कुछ मंत्री ऐसे हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन की शपथ ली है, वे सिर्फ उसका पालन करेंगे । तीन मंत्रियों के लिये यह बात आयी कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुनते । मान्यवर, जब सरकार के अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं तो मंत्री लोग जो सदन में जवाब देते हैं उन अधिकारियों के बताये हुए जवाब ही तो दे रहे हैं जो उनकी सुनते ही नहीं । यदि ऐसी स्थिति है तो वह जवाब सदन को गुमराह करने वाले हैं, सत्यता पर आधारित नहीं है । सदन का एक-एक मिनट कीमती है । इसी तरह से अनुच्छेद 172 का भी उल्लंघन हो रहा है । माननीय कांशीराम जी कहना है यदि नहीं मानेंगे तो हम उनको रफा दफा कर देंगे । अगर माननीय मुलायम सिंह जी को रफा कर देंगे तो सबकी क्या स्थिति होगी एक बार सरकार 15 महीने चली एक बार 17 महीने चली है । उसमें फिर मा० बेनी प्रसाद वर्मा जी भी तत्काल रफा दफा हो जायेंगे फिर पूरा सदन ही रफा दफा हो जायेगा । यह रफा दफा वाली धमकी भारत के संविधान की भावना के प्रतिकूल दी गयी है । मेरा आपसे सिर्फ यह कहना है कि इस औचित्य के माध्यम से मैं और मेरे साथी यह बात उठाना चाहते हैं कि सरकार का उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हो सकता है । अगर होगा तो वह संविधान की भावना के विरुद्ध होगा । दल के कार्यक्रमों के प्रति उत्तरदायित्व दल के नेता का हो सकता है । सरकार का उत्तरदायित्व सदन के प्रति होगा । यह जो कहा जाता है कि हमारी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं तो जो विधान सभा में जवाब देते हैं वह कहां से आते हैं क्या वे अपने विवेक से जवाब देते हैं ? तभी रोज लड़खड़ा जाते हैं इस तरह से तो यह सदन का कीमती समय जाया करते हैं । यह जो बाते हो रही है यह अनु० 163, 164 और 172 का उल्लंघन है । संविधान के अनुसार एक मुख्यमंत्री हो सकता है, 2-3 नहीं हो सकते हैं । यहां एक मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं जो संविधान के अनुरूप हैं हमारे दल का समर्थन उन्हीं को है किसी अन्य व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता है । इस तरह से जो सरकार को धमकी दी गयी है, सरकार को ब्लेक मेल करने की कोशिश कर रहे हैं । सरकार के मंत्रियों में इस बात का साहस होना चाहिये कि उनकी बात सुनी जाय । अगर मंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो फिर इस सरकार के जवाब यहां कैसे सही हो सकते हैं, जनता के प्रति कैसे सही जवाबदेही हो सकती है ? मान्यवर, कृपया सरकार से इसमें स्थिति स्पष्ट करायें । वह क्या कारण है कि उनके मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते हैं ? या तो उन अधिकारियों को नहीं रहना चाहिये या फिर वे मंत्री नहीं रहने चाहिये । मंत्री में नैतिक बल होना चाहिये कि उसकी बात सुन जाय । नहीं तो वे कृपा करके 15 दिन कोचिंग क्लास ले लें । अगर फिर भी दिक्कत हो तो जो हमारे यहां के मंत्री रह चुके हैं वे बता देंगे । मान्यवर, प्रदेश के सिर्फ एक मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं जो नियमानुसार और संविधान के अनुसार हैं जो उत्तर प्रदेश के विधान सभा है, परिषद् है, उनका उत्तरदायित्व उन तक सीमित है, किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है ?

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर और बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपके इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः आप कृपया न बोलें। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को उत्तर के लिए आमंत्रित करता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मिश्रा जी खड़े हैं कृपया उन्हें भी एक अवसर दे दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, लगता है कि मंत्री जी को अभी तक अधिकारियों से निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं इसलिए वह इन्तजार कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, तिवारी जी हमारे मित्र हैं और ये विरोधी हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

लेकिन मान्यवर, यह छद्मवेषी मित्र हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी और हमारे और साथियों ने बड़े ही संसदीय कौशल से अपनी बात को यहां पर रखने का कौशल दिखाया और मौका भी दिया सरकार को स्थिति स्पष्ट करने का। श्रीमन् आप भी जानते होंगे कि पूरे सदन में संसदीय दलों और दलों के नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मान्यवर, इस गठबंधन के माननीय कांशी राम जी वरिष्ठ नेता हैं उनको मार्गदर्शन देने का और हमें मार्गदर्शन लेने का पूर्ण अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में और हमको इस अधिकार से कोई वंचित भी नहीं कर सकता है। श्रीमन् जहां तक मंत्रिमण्डल में झगड़े का सवाल है, हमारे सभी सहयोगी साथी यहां पर बैठे हैं, वरिष्ठ मंत्री श्री राजबहादुर जी भी यहां पर बैठे हैं, हमारे आपसी सामंजस्य और सौहार्द में कहीं कमी नहीं है। जैसे कि एक दल की सरकार होती है, तो दो दलों के मंत्री होते हुए भी हम एक दल की सरकार की तरह कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, इनकी सरकार जो थी वह पूर्ण बहुमत की सरकार थी मगर वह जल्द ही खत्म हो गयी है। और हमारी अल्पमत की थी और हमने सहयोग लिया है और मैं यह कह सकता हूं कि हमारी गठबंधन की यह सरकार पूरे पांच साल तक राज्य करेगी। माननीय कांशी राम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनसे बड़े हैं, वे उनसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बसपा और सपा० के सभी सदस्य उन पर अपनी आस्था रखते हैं और उन्हें उन पर पूर्ण विश्वास भी है। यह सरकार पूरे पांच वर्ष तक रहेगी। माननीय तिवारी जी ने जिस तरह से समय-समय पर मार्गदर्शन दिया है उसी तरह से वह देते रहेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

संविधान के 73वें संशोधन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में पंचायती राज की नयी व्यवस्था हेतु कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त जी की ले रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा वह नियय–300 की शर्तों को पूरी करता है। मान्यवर, इसकी पहली शर्त यह है कि वह मामला सदन के संज्ञान में होना चाहिए। तो यह सदन के संज्ञान में है। तीन तारीख को इस आदरणीय सदन में मैंने एक सवाल उठाया था न्याय पंचायतों और गांव सभाओं में चुनाव कराने के संबंध में। मान्यवर, जो भारत के संविधान का 73वां संशोधन हुआ है जिसकी वजह से 243 धारा बन गयी अर्थात् न्याय पंचायती राज कानून लागू हो जाना चाहिए था एक वर्ष के अन्दर, 24 अप्रैल, 1994 तक यह लागू हो जाना चाहिए था। यह मामला सदन में उठाने पर माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने यह कहा कि इस बारे में मंत्रिमण्डल में सब कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए थी मगर वह नहीं आयी है। दूसरी बात यह है कि माननीय नेताओं के परामर्श से लेंगे तो मेरे मन में जिज्ञासा यह है कि यह अधिनियमित होना चाहिए था 23 अप्रैल, 1994 को, मगर जो सदन का कार्यक्रम हमने पढ़ा है 18 अप्रैल तक का, उसमें इसकी चर्चा नहीं की गयी है, क्योंकि उसमें यह जानकारी दी है कि कौन-कौन से विधेयक आयेंगे मगर इसकी कोई चर्चा उसमें नहीं की गयी है और 18 तारीख तक यह विषय नहीं आ पायेगा और फिर हमारे पास चार-पांच दिन बचते हैं, तो 18 तारीख को अध्यादेश जारी करना होगा यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें प्रशासनिक और सामाजिक गुणात्मक परिवर्तन होना है, अच्छा हो कि सभी दल इसको सर्वसम्मति के आधार पर बनावें, यही मैं चाहता हूं। यह दलीय राजनीति तो बाद में आयेगी, हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन इसमें चिन्ता का विषय यही है कि अत्यन्त अल्पकाल हमारे सामने है और उसकी कार्य योजना क्या है, कब वह पेश किया जायेगा, कब दलों की बैठक बुलाई जायेगी, कब पास होगा। अभी तो मंत्रिमण्डल की सब कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आ पाई है, उसके बाद उसका परीक्षण होगा, तब उसका विधेयक बनेगा तो इस संबंध में जो स्थिति है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर इस मामले को टालकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है, जिसमें इस महत्वपूर्ण मामले में प्रभावी कार्य न हो सके। मैं इस बारे में सरकार की नीति जानना चाहता हूं। दोनों ही विषय मान्यवर, दोनों शर्तें पूरा करते हैं। मामला सदन के संज्ञान में है और आपके संज्ञान में भी है और इसमें संविधान का इन्वाल्वमेंट भी है। यह इतने अल्पकाल में कैसे अधिनियमित किया जायेगा, इस पर मैं बल देता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय गुप्त जी की जिज्ञासा मुनासिब है। संविधान में 73वां, 74वां संशोधन भी हुआ है और दोनों के संबंध में प्रदेश सरकार की यह बाध्यता है कि एक वर्ष के अन्दर अधिनियम बना ले। हम समझते हैं कि गुप्त जी ने पढ़ा होगा, राज्यपाल के अभिभाषण में, कि इसी सत्र में हम यह अधिनियम प्रस्तुत करेंगे, उसमें जो संविधान संशोधन है, उसके अनुरूप करना पड़ेगा, लेकिन प्रदेश सरकार को अलग से भी कुछ करना है, उसका प्रारूप तैयार हो रहा है और 18 तारीख तक का जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, यह उसमें नहीं है, लेकिन उसके बीच में ही हम किसी भी दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इसको सम्मिलित करवायेंगे और इसी सत्र में उस विधेयक का पारण कर दिया जायेगा। आप लोगों के भी विचार ले लिये जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो माननीय नेताओं से परामर्श करेंगे, उसके संबंध में कोई तिथि तय करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

विधेयक जब सदन के समक्ष आयेगा, उसमें सबके विचार आ जायेगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पंचायती राज मंत्री ने कहा था, 3 तारीख को जब चर्चा चल रही थी और भी वरिष्ठ सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था कि उसमें हम लोग भी विचार करें, जिससे सर्वसम्मति से कोई चीज बनकर सामने आ जायें, यही अच्छा भी होगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

गुप्त जी, विद्वान सदस्यों में से हैं और एक मंत्री की कही बात की पुष्टि करवा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

संसदीय कार्यमंत्री जी मैं बहुत गंभीरता से बात करना चाहता हूं, आप उसमें घालमेल पैदा न करें, मंत्रि परिषद् की ज्वाइंट रिसपांसबिलिटी होती है, मैं समझता हूं कि पंचायती राज मंत्री जी से आपकी बात हो गयी होगी । जिन मंत्रियों को मैं पहचान रहा हूं, उनमें माननीय पंचायती राज मंत्री जी यहां पर नहीं है । फिर भी संसदीय कार्यमंत्री जी के नाते आपका दायित्व है कि जो बात मैंने रखी है, यह सूचना आपको मिल गयी होगी । यह ऐसा विषय है कि प्रतिपक्ष भी चाहता है कि सर्वसंम्मति से कोई चीज हो, जिससे प्रशासनिक, सामाजिक और गुणात्मक सुधार करने में सफल हो सके । लेकिन इसमें आप गंभीर नहीं है । मेरे लिये बहुत चिन्ता का विषय है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं गुप्ता जी से परामर्श करने के लिये तैयार हूं, वह अगर चाहें तो मैं अभी चल सकता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नगत मामला नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये अस्वीकार किया जाता है ।

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–118 का अस्पष्ट एवं मनगढ़न्त उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जब हम कोई प्रश्न देते हैं तो अपेक्षा शासन से यह करते हैं कि उनका स्पष्ट और सही उत्तर शासन से मिले । लेकिन कुछ एक सिलसिला ऐसा बनता जा रहा है कि मनगढ़न्त और अस्पष्ट उत्तर सदन के सामने आ रहे हैं । शासन और प्रशासन स्तर पर प्रश्नों के बारे में यह भी देखा जाता है कि प्रश्न अल्पसूचित है, तारांकित है या अतारांकित है । अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे-तैसे जवाब दे दिया जाता है । अतारांकित प्रश्न संख्या–118 जो कि आज के एजेण्डे में है । इस प्रश्न में मैंने अपने क्षेत्र के तीन सड़कों का उल्लेख किया था और यह आरोप लगाया था कि इन तीन मार्गों का जीर्णोद्धार विगत कई वर्षों से नहीं हुआ । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है क्योंकि यह मेरे क्षेत्र की सड़कें हैं और इन सड़कों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण है । लेकिन आज जब उत्तर देखते हैं तो प्रतिवर्ष लाखों रुपया इन सभी सड़कों पर खर्च दिखाया जा रहा है, कोई भी वहां जाकर के देख ले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विगत तीन सालों से उन सड़कों की मरम्मत, उनका जीर्णोद्धार नहीं

किया गया है । मान्यवर, मैं अपनी बात रखते हुये शासन से अपेक्षा करूंगा कि जो भ्रमित करने के लिये उत्तर दिया गया है, गलत उत्तर दिया गया है, मनगढ़न्त उत्तर दिया गया है उसकी भी छानबीन करा लें और उन सड़कों का भौतिक सत्यापन करा लें । विगत कई वर्षों से उन मार्गों की मरम्मत नहीं की गयी है । मान्यवर, उचित होगा यदि उसकी जांच टी० ए० सी० से करा लें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

टी० ए० सी० से इसकी जांच करा लें, मान्यवर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रीमती ब्रह्मवती निवासी कृष्णापुरी मुजफ्फरनगर को पुलिस द्वारा थाने पर पीटने तथा निर्वस्त्र घुमाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना अस्वीकार की जाती है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन में, पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, उनके भाषण और श्री राज्यपाल के अभिभाषण में लिखे गये विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, इस सम्मानित सदन में समय-समय पर कहा गया है कि सरकार महिलाओं और दलितों पर अत्याचार नहीं होने देगी । मान्यवर, हमारे संविधान में महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है इसके साथ ही समाज की परम्परा रही है कि मातृशक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाये । मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में 2 मार्च, 1994 को मोहल्ला कृष्णापुरी की 50 वर्षीय महिला श्रीमती ब्रह्मवती को पकड़कर थाना–कोतवाली ले गये । महिला कांस्टेबिल और महिला सब इंस्पेक्टर के होते हुये उनको न बुलाकर, क्षेत्राधिकारी और पुलिस इंसपेक्टर ने महिला के सिर के बाल को पकड़कर 100 मीटर की दूरी कोतवाली तक खींचा गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे आप गंभीरता से लेंगे और जो अधिकारियों से रटा–रटाया हुआ उत्तर आया होगा उसको न देखकर इसकी गंभीरता को समझेंगे । महिला के बाल पकड़कर खींचने पर उसके सीने के वस्त्र ब्लाउज फट गया था । लेकिन पराकाष्ठा उस समय टूट गयी जब क्षेत्राधिकारी और पुलिस इन्सपेक्टर उस महिला के वस्त्र घुटनों से ऊपर उठाकर सिपाहियों से कहा कि आओ इसके मुंह में [x x x] इसके साथ [x x x] करो ।

मान्यवर, इस प्रकार एक जाति-विशेष की महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में एक घृणित काण्ड किया गया वह शर्म के काबिल है । मान्यवर, 6 तारीख को जब मुझको जानकारी हुई तो मैंने डी० एम० और एस० पी० से सम्पर्क किया ।

(3 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, यह जो घटना हुयी वह बहुत ही शर्मनाक है, मान्यवर, इस संबंध में डी० एम० को बताया गया । संविधान की कौन सी धारा में यह लिखा हुआ है कि पति के जुर्म की सजा पत्नी को दी जाय । छः तारीख को जो यह घटना घटी उसमें उस महिला के पति का नाम किसी केस में था, मान्यवर, उस धारा का नाम बता दें जिसके अनुसार क्षेत्राधिकारी और इन्सपेक्टर ने उस महिला को मारा-घसीटा और बड़ी बेइज्जती की । मान्यवर, यही नहीं पांच तारीख को चौधरी चरण सिंह कालोनी की इन्दरपाल चौधरी

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की पत्नी श्रीमती बाला के साथ भी यही घटना घटी । श्रीमन् जब उक्त महिला को क्षेत्राधिकारी द्वारा पकड़ा गया तब उसका हाथ का जोड़ टूट गया, वहीं पर उसका लड़का खड़ा था, उसने क्षेत्राधिकारी से विरोध भी किया । मान्यवर, तीसरी घटना योगेन्द्रपुरी कालोनी निवासी श्री महीपाल के यहाँ हुयी । ये तीनों ही परिवार बहुत ही संभ्रान्त हैं लेकिन उनके साथ ऐसा पुलिस द्वारा सलूक किया जा रहा है । सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं को चकनाचूर किया जा रहा है । प्रेस के लोगों से मुजफ्फरनगर में मैंने इन संभ्रान्त परिवार की तीनों महिलाओं के बारे में जिक्र किया है ।

मेरा राजनीतिक लाभ उठाने की कोई मंशा नहीं है । मान्यवर, यह जो घटनायें घटी उनमें दोषी व्यक्तियों को संविधान के तहत दण्डित किया जाय और पूरे मामले की न्यायिक जांच करायी जाय मैं यह पुनः मांग करता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उन्हें दण्डित किया जाय और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करायी जाय । साथ ही साथ यह नियम–300 के अन्तर्गत प्रश्न बनता है । यह सत्य संज्ञान में भी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि न्यायिक जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह जो घटना है वह गंभीर घटना है । सूचना मेरे पास अभी पूरी नहीं आयी है । लेकिन जो यह न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है । किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाकर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

सी० आई० डी० से जांच करा ली जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतः अस्वीकार की जाती हैं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में 25 फरवरी, 1994 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को विखण्डित किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

दिनांक 4 मार्च, 1994 को नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें ले रहा हूं । पहली श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री जगदम्बिका पाल जी की है । दूसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की है । माननीय सदस्य इस समय उपस्थित नहीं हैं । अतः तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा जी की ले रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

विगत माह 25 व 26 की रात्रि में लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में बाबा भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा को विखण्डित किया गया । विखंडन के उस कार्य में विश्वविद्यालय के उप कुलपति का हाथ है । जब इसकी जानकारी छात्रों को हुयी और रोष पैदा हुआ तब बड़े नाटकीय ढंग से उसी मूर्ति के ऊपर दूसरी मूर्ति लगा दी गयी । मान्यवर, इस मुद्दे को लेकर छात्रों में रोष व्याप्त है । दलित और पिछड़े छात्रों ने कई दिनों तक अनवरत रूप से धरना दिया । धरना देने वाले छात्रों को बेरहमी के साथ दमन किया गया और वहां से भागने के लिये मजबूर किया गया ।

मान्यवर, यह एक गम्भीर विषय है । संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को विखण्डित किया गया । बाबा साहब बुद्ध धर्म को मानने वाले थे । यदि प्रतिमा को विखण्डित भी किया गया था तो कम से कम बौद्ध धर्म के अनुसार उसका विसर्जन किया जाना चाहिये था । यदि ऐसा कर दिया जाता तो कम से कम छात्र तो इससे संतुष्ट हो जाते । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण की भी पूरी छान-बीन सरकार कर ले और जिन लोगों ने भी संविधान निर्माता के प्रति इस तरह की उपेक्षा का रवैया अपनाया है, उनको दण्डित करने के लिए शासन उपाय करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, श्री वर्मा जी ने जो प्रकरण यहां पर उपस्थित किया है, बाबा साहब के प्रति हम सभी लोग सम्मान रखते हैं, इस घटना के बारे में पूरी कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब यह सूचना निरस्त की जाती है ।

दि० 2 मार्च, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या–4 का प्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्रीमन्, दूसरे बुद्धवार के तारांकित प्रश्न संख्या–4 के प्रथम भाग के उत्तर में, जिसमें मैंने जिज्ञासा व्यक्त की थी कि क्या तेंदू पत्ता स्वयं प्राकृतिक रूप से पैदा होता है या उसकी खेती की जाती है, यह उत्तर आया कि प्राकृतिक उत्पादन है । उसके दूसरे भाग में यह कह दिया गया कि मण्डी अधिनियम की धारा–2(3) के अन्तर्गत यह विर्निदिष्ट कृषि उत्पाद है । दोनों उत्तर सत्य नहीं हो सकते । मण्डी अधिनियम के जो उद्देश्य हैं, जो विधान लागू किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृषि उत्पादकों को सही मूल्य मिले, कृषि में सहभागी हो सके । इसे सरकार स्वयं स्वीकार करती है कि यह प्राकृतिक उत्पादन है और वहीं पर दूसरे भाग में कहती है कि यह मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत विर्निदिष्ट कृषि उत्पाद है, स्पष्ट रूप से मण्डी अधिनियम का उल्लंघन है। इसके उद्देश्यों का उल्लंघन करके, इस विधान का उल्लंघन करके सरकार ने तेंदू पत्ते पर मण्डी टैक्स लगा दिया है । मान्यवर, सच्चाई क्या है ? यह मैं आपको बताना चाहता हूं । आज तेंदू पत्ते से लाखों परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है, जिससे वह बीड़ी बनाते हैं । तेंदू पत्ता स्वयं प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, इसमें कृषि कहीं भी इन्वाल्व नहीं है । यह सदन नियमों के अनुसार चलता है । इस सदन द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन हो रहा है । इसलिए आपसे मांग करता हूं कि तेंदू पत्ते पर जो मण्डी टैक्स लगाया गया है, उसे तत्काल बंद करने का आश्वासन सरकार देने की कृपा करे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बदन सिंह जी आप अपनी बात कहें ।

माननीय मंत्री जी इस समय नहीं हैं, जब वह आयेंगे, उत्तर दे देंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मंत्री परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी है । इतने मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे उत्तर दिलवा दें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं आ गया हूं। डा० डंग जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसलिये इसको निरस्त कर दिया जाय।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सीधे मण्डी अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, उसके उद्देश्यों का उल्लंघन हो रहा है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि यह औचित्य का प्रश्न है। आप अपनी व्यवस्था तो दें।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए इसको अस्वीकार किया जाता है।

प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं में तैनात अधिकारियों के स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय को इस माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगे हुये अधिकारी वरिष्ठ और उच्च पदों पर हैं उनके ट्रांसफर और पदोन्नति के संबंध मे है। इस सरकार ने कई बार यह घोषणा की है कि अप्रैल, से पहले कोई भी ट्रांसफर नहीं किये जायेंगे लेकिन अभी जो ट्रांसफर किये गये हैं उसके कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों और भारतीय सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों में बड़ा तनाव पैदा हो गया है जिससे पूरे प्रदेश का प्रशासन प्रभावित होगा। इस ट्रांसफर में अनुभव और वरिष्ठता को न देख कर जातीयता के आधार पर और सत्ताधारियों के नजदीकी देखे जाने के कारण मापदण्ड रखा गया है। ऐसे बहुत से कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च पदों पर यहां तक सचिव के पदों पर विद्यमान कर दिया गया है जहां पर बहुत पुराने और अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रखे जाते हैं या तो उनको अधीनस्थ विभाग मे तैनात कर दिया गया है या निगमों में लगा दिया गया है। इतना ही नहीं सरकार जो अनुसूचित जाति की दुहाई देती है उसमें भी अनुसूचित जाति के प्रशासनिक अधिकारियों, जो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के हैं उनकी भी उपेक्षा की गयी है उसमें भी पंजाब और हरियाणा के इस श्रेणी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको वरीयता दी गयी है। अभी 45 पी० सी० एस० अधिकारी ट्रांसफर किये गये हैं उसमें भी अनुसूचित जाति के अधिकारियों के स्थान पर पिछड़ी जाति के एक जाति विशेष के अधिकारियों को लगा दिया गया है और कुछ प्रशासनिक सेवा के जो उच्च अधिकारी हैं, अनुभवी हैं जो वरिष्ठता सूची में आते हैं उनको सुपर टाइम स्केल में नोटिफाई नही किया गया है, उनकी लिस्ट को दबा दिया गया है। उनके अनुभव का फायदा शासन को नहीं मिल रहा है और उनको घर बैठा दिया गया है और तनख्वाह दी जा रही है। उनमें निराशा की भावना पैदा हो गयी है, कुण्ठा पैदा हो गयी है जिससे उनमें बड़ा तनाव और निराशा पैदा हो गयी है जिससे उत्तर प्रदेश के विकास और उन्नति में बाधा पड़ेगी।

जब सरकार ने एक तरफ घोषणा की है कि अप्रैल से पहले ट्रांसफर नहीं होंगे और उसमें भी जो महत्वपूर्ण पद हैं उसमें एक जाति विशेष के लोगों को या सत्ताधारी लोगों के नजदीकी होने के कारण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनको प्रदान कर दिये गये हैं उसमें योग्यता और अनुभव को अनदेखा किया गया है, वरिष्ठता और अनुभव को ताक पर रख दिया गया है, तो स्पष्ट है कि यह प्रदेश के विकास से संबंध है इसलिये औचित्य का प्रश्न बनता है। इस पर सदन में चर्चा की मांग मैं करता हूं। सरकार की जो स्थानान्तरण नीति है उसके विपरीत है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न ही नहीं है। स्थानान्तरण नीति जो सरकार की है उसके अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जा रहे हैं उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति को रखा गया है। अब यह सरकार कम से कम जो सांप्रदायिक जहर घोला जा रहा है स्थानान्तरण में उसे साफ कर रही है।

श्री बदन सिंह–

मेरा साफ औचित्य का प्रश्न है सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल से पहले स्थानान्तरण नहीं होंगे लेकिन वह हो रहे हैं जो अनुभवी और उच्च अधिकारी हैं उनकी सेवाओं का फायदा नहीं लिया जा रहा है वह प्रतीक्षा सूची में रख दिये गये हैं उनके पास कोई काम नहीं है वह घरों में बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

जनपद बहराइच के जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार आवंटित विकास कार्यों में विधायकों की संस्तुति के विपरीत परिवर्तन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मयंकर सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, औचित्य के प्रश्न के रूप में जो बात हमने उठायी है उसमें हम सभी विधान मंडल के सदस्य अपने क्षेत्रों के विकास कार्य के लिये भी उत्तरदायी हैं। शासन से जो बजट विधान सभा क्षेत्रवार जाता है उसमें सभी मा० सदस्य विकास कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, कार्य निर्धारित करते हैं और मैं समझता हूं कि लगभग 10-12 वर्षों में पहली बार यह अनुभव आया है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने, विधायकों ने जो कार्य दिये थे उसकी प्राथमिकता में परिवर्तन कर दिया है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से अपने जनपद बहराइच में हमारे क्षेत्र का ही नहीं सपा और बसपा के क्षेत्रों का भी कार्य परिवर्तन कर दिया गया है। साथ ही साथ बैठकों मे हम लोगों ने आपत्ति किया था, कुछ विभागों के कार्य को लेकर, कि जिला परिषद् के अन्तर्गत हमारे विधान सभा क्षेत्र मे अलीपुर दरौना में एक पुलिया का निर्माण होना था लेकिन सारा पैसा इंजीनियर और ठेकेदार ने मिलकर निकाल कर खा गये लेकिन वह पुलिया आज तक नहीं बन पायी है। इसके बावजूद हमने जिस इंजीनियर और ठेकेदार की शिकायत किया था उसी को फिर विभाग ने यह कार्य दे दिया है। मान्यवर, सभी जानते हैं कि क्षेत्र के विधायक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप बहस करा लें क्योंकि सभी जिलों में और विशेषकर बहराइच जनपद का जिसका हमने उदाहरण दिया है वहां के लिये शासन का निर्देश जाना चाहिए कि जो कार्यदायी संस्थायें क्षेत्र में ठीक से काम नहीं कर रही हैं और विधायक शिकायत कर रहा है तो उसका निरीक्षण कराया जाय। शिकायत के बावजूद उसी से निर्माण कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया जाय तो इससे ज्यादा गलत काम और कोई नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां से कोई निर्देश जाये। मान्यवर, यह मेरा निश्चित औचित्य का प्रश्न है, इसलिये इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं लेकिन नियम–300 के अन्तर्गत यह नहीं आता है, इसलिये यह सूचना अस्वीकृत की जाती है।

(श्री बच्ची सिंह रावत का नाम पुकारे जाने एवं उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

शेष सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 के अन्तर्गत आज कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें 5 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं और जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत हुई हैं, वे इस प्रकार हैं–पहली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की, दूसरी श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की, तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की, चौथी सूचना श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर) की और पांचवीं सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान भारत की औद्योगिकी नगरी मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की समस्याओं की ओर आकर्षित करते हुए सदन को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी कलकत्ता गये थे और वहां उन्होंने उद्योगपतियों को अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया था।

मान्यवर, प्रधान मंत्री श्री राव जी विदेश गये थे, वहां पर उन्होंने विदेशी उद्योगपतियों को देश में उद्योग लगाने के लिए आमन्त्रित किया, प्रोत्साहित किया, लेकिन इस प्रदेश में आज इसके बिलकुल विपरीत स्थिति हो गई है। यहां दूसरी स्थिति हो गई है, जो उद्योग पहले से लगे हैं उनके सामने भारी संकट पैदा हो गया है और वह बन्दी के कगार पर पहुंच गये हैं।

उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक शहर, औद्योगिक नगर मोदी नगर हैं, वहां पर औद्योगिकीकरण का एक जाल बिछा हुआ था, जिसे मोदी परिवार के लोगों ने स्थापित किया था। मान्यवर, वर्ष 87-88 की स्थिति का आप अवलोकन करें, वहां पर 35 हजार मजदूर काम करते थे, जो उद्योगों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे उनकी संख्या और भी अधिक है और अपनी प्रदेश सरकार को 70 करोड़ रुपये का राजस्व वहां की इंडस्ट्रीज से प्राप्त होता था। लेकिन इस बीच में उस औद्योगिक घराने का विभाजन हो गया, तो वहां का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। सन् 89 के बाद जब मालिकों ने वर्तमान उद्योगों से अपनी सम्पत्ति को निकालना प्रारम्भ किया और उस सम्पत्ति से अपनी दूसरी कम्पनियों को खड़ा करने का प्रयास किया, जिससे वहां की इण्डस्ट्रीज को भारी घाटा होने लगा। आज की स्थिति देखें तो वहां पर मोदी स्टील बन्द हो चुका है, जिससे उसके 2600 कर्मचारी बेकार होकर सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई तैयार नहीं है कि कैसे उनका पिछला भुगतान हो। मोदी की एक दूसरी कम्पनी मोदी सोप भी बन्द हो चुकी है। मोदीशुगर और मोदी डिस्टलरी भी आज बन्द होने के कगार पर खड़ी है। मोदी नगर में आज जो 12 हजार मजदूरों को काम मिल रहा है, उनका काम कब समाप्त हो जाय, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मोदीस्टील पर बिजली बोर्ड का 5 करोड़ 65 लाख का बकाया है, वह भी वसूल हो

सकना मुश्किल है । किसी को चिन्ता नहीं है कि सरकार का यह करोड़ों रुपया कैसे वसूल होगा यह इतना बड़ा बिजली का बकाया एक दिन में तो हो नहीं गया, वर्षों से चला आ रहा होगा । (इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए ।) अब तक यह रुपया क्यो नहीं वसूला गया । इन उद्योगों के कारण जो यह मोदीनगर विकसित और पल्लवित हुआ था, आज उजड़ रहा है । अनेक उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र सरकार ने विकसित किये हैं, लेकिन कोई भी क्षेत्र मोदीनगर का स्थान नहीं ले सकता है । मोदीनगर की इन इन्डस्ट्रीज को ठीक करने के संबंध में चिन्ता करने की कोई बात शासन की तरफ से नहीं हो रही है, न कोई कार्यवाही हो रही है । जिस तरह से फैक्ट्ररियों की सम्पत्ति मालिक बेच रहे हैं और कचरे के नाम पर सम्पत्ति बेचकर दूसरी इन्डस्ट्रीज लगा रहे हैं, उसका कारण है मोदी परिवार का बंटवारा । जिस समय वर्ष 1989 में इस परिवार में बंटवारा हुआ था, उस समय श्री आर० पी० खोसला, वरिष्ठ आई० ए० एस० अधिकारी को मोदी इण्डस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, विभाजन करवाने के लिए, किन्तु वह इसे नहीं करा सके और उस बंटवारे के लिए उन्होंने कोई कार्रवाई भी नहीं की और जब इण्डस्ट्री घाटे की तरफ जाने लगी और मालिकों को लगा कि बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है । तो मालिकों ने सोचा जितना रुपया निकाल सकें, निकाल लें ।

आज मजदूर बेकार हो रहे हैं, वे भुखमरी के कगार पर खड़े हैं । यही स्थिति चलते जब इण्डस्ट्रीज वहां बर्बाद हो जायेगी तो वह मोदीनगर नहीं रहेगा फिर से बेगमाबाद गांव हो जायेगा । इसमें अपने पूरे उत्तर प्रदेश का हित निहित है, अपने प्रदेश की इण्डस्ट्रीज बचाने का हित है, प्रदेश के हजारों-लाखों मजदूरों को कार्य पर रखने का हित है, इसलिए इस संबंध में मेरे दो तीन सुझाव हैं । यह इंडस्ट्रीज जो बर्बाद हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं, उस इण्डस्ट्रीज को बचाना चाहते हैं, जिसमें प्रथम यह मोदी शुगर मिल है, जिसमें जनपद के बहुत सारे किसानों का गन्ना जाता है । मुझे लगता है कि अगले सत्र में यह मिल चल ही नहीं पायगी, इसलिये आवश्यक है कि सरकार कोई कदम उठाये । पंजाब की जो-जो इण्डस्ट्रीज उजड़ी, उन उजड़ी हुई इन्डस्ट्री का जो इनफ्रास्ट्रक्चर था उस पर दूसरी कम्पनियों को आमंत्रित किया और इण्डस्ट्रियां लगवाईं । आज मोदीनगर की स्थिति भी ऐसी ही है वहां पर दूसरी कम्पनियों को आमंत्रित करके उसे बचाया जा सकता है । जिस तरह से यू० पी० एस० आई० डी० सी० औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है उसी तरह से सरकार कर सकती है । मोदी नगर के बन्द कारखानों के बड़े-बड़े गोदामों व शेडों को अपने कब्जे में लेकर अन्य उद्योगों को बेचकर नये उद्योग स्थापित करा सकती है । दूसरा रास्ता यह हो सकता है । यह वहां की जो हालत है उसे तो वहां के रहने वाले, वहां पर छोटा-मोटा काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग ही महसूस कर सकते हैं । अगर मोदीनगर को औद्योगिक नक्शे पर बने रहना देना चाहते हैं तो मोदीनगर को किसी रूप में पिछड़ा घोषित करके वहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं । उसे बी श्रेणी को घोषित कर दिया जाय । इस प्रकार इन्डस्ट्रीज को बचाया जाय तो उन्हें इस तरह से सहारा मिल सकता है । इसके बारे में श्रम विभाग कोई चिन्ता नहीं करता है कि मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं । उन्हें वेतन दिया जा रहा है कि नहीं । ऐसा लगता है कि पुलिस भी मानों मोदी के निर्देश पर कार्यवाही करती है । जब मजदूर अपनी जायज मांगें लेकर आन्दोलन करते हैं तो पुलिस डन्डे से मार-मारकर उनके आन्दोलन को कुचल देती है । मजदूरों को हवालात में बन्द कर दिया जाता है । मुझे लगता है और आवश्यकता भी यही है कि तीन अधिकारियों का पैनल बनाया जाय । यह अधिकारी प्रशासनिक, पुलिस और श्रम विभाग के हों तो अच्छा रहेगा । इनकी एक कमेटी बनाई जाय जो बराबर अनुश्रवण करे कि सारे औद्योगिक नियमों का पालन किया जा रहा है कि नहीं । मजदूरों को समय से वेतन दिया जाता है कि नहीं, जहां कहीं कोई कठिनाई हो उसको दूर करे । मैं कहना चाहता हूं कि आज जो 5 करोड़ रुपये बिजली का बकाया है क्या यह एक ही दिन में हो गया । एक ही दिन में पांच करोड़ की बिजली नहीं खर्च हुई होगी । यह काफी समय से बकाया रहा होगा । एक ही दिन में किसी फैक्ट्री में नहीं होता है । यह वसूली की जानी चाहिए लेकिन अगर ये किसी दूसरे उद्योग से वसूल करने का प्रयास किया गया तो वह भी बन्द हो जायेगा । यह प्रदेश के औद्योगिक विकास का मामला है । अगर उद्योग उजड़ गये तो रोजगार नहीं होगा । रोजगार नहीं होगा

तो प्रदेश कंगाल हो जायेगा । प्रदेश का विकास हो, औद्योगिक दृष्टि से तरक्की हो तो इसके लिये आवश्यक है कि रूग्ण होते हुये भी उद्योगों को बन्दी से बचाया जाय ताकि प्रदेश औद्योगिक रास्ते पर तेजी के साथ बढ़े । मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूं कि नियमों का स्थगन करके इस पर बहस कराई जाय ।

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

मान्यवर, मैं मोदीनगर के क्षेत्र का विधायक होने के नाते वहां की समस्याओं के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी रखता हूं । मान्यवर, वहां की बिगड़ती हुई स्थिति की तरफ शासन का ध्यान बिल्कुल नहीं है । मोदीनगर 1932 में बना था । 1987 में मोदी कांटन स्पिनिंग मिल बन्द हुई । दिसम्बर, 1993 में वहां पर स्टील के मजदूरों ने आत्मदाह की धमकी दी लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । मोदी पोन भी बन्द होने की स्थिति में है । मोदी शुगर मिल जनवरी में बन्द होने जा रही थी । किसानों ने धरना देकर उसे फिर से चलवाया । मान्यवर, वहां पर इस तरह से उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहां लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे । जो लोग मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्कूटर आदि चलाते हैं या इस तरह से अन्य कार्य करते हैं उन्हें पुलिस डन्डे मारती है । अतिक्रमण विरोधी कार्य करने वालों को पुलिस मारती है । अगर किसान कोई कर्जा लेता है तो उसको बन्द कर दिया जाता है । इतना बड़ा विद्युत का बकाया एक दिन में ही नहीं हो जाता है यह काफी समय से चल रहा होगा । इसी तरह से इन लोगों ने बैंकों से ऋण लेकर अन्य जगहों पर उद्योग लगा लिये हैं इस तरह से मजदूरों का क्या होगा ? तालाबन्दी और छटनी के माध्यम से रोजगार बन्द हो रहे हैं। नेता लोग जाते हैं और अपने भाषण देकर चले जाते हैं किसी मजदूर से, किसी किसान से कोई संबंध नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे लगाये जायं और मोदियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय किसानों को जो जेल भेज दिया जाता है वह नहीं भेजना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 के अन्तर्गत नहीं आता है । यह महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि इसमें यथा संभव उचित कार्यवाही की जाय ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, जब से यह गठबन्धन की सरकार आई है, गल्ती से आई है। किसानों को और मजदूरों को, सभी को यह धोखा दे रहे हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में अनेक उद्योग धन्धे लगे हैं लेकिन उसकी चिन्ता नहीं है वह इस प्रदेश से बाहर जाकर अपने संगठन को मजबूत करते हैं । उद्योगपतियों के बीच में जाकर उनको छलते हैं कि उत्तर प्रदेश में और बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

कप्तान गंज चीनी मिल के बारे में आपकी सूचना है, उसके बारे में कहें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

देवरिया जनपद में आजादी के बाद से 14 चीनी मिल लगी हैं उनमें से आठ चीनी मिल कारपोरेशन की हैं जिसको वर्तमान सरकार बेचने की साजिश कर रही है । इन चीनी मिलों को दो-दो करोड़ में बेचने की साजिश है जबकि एक-एक चीनी मिल के पास दस-दस करोड़ की जमीनें हैं और इनको बेचने का षड़यन्त्र चल रहा है । पिछली बार यह सत्ता में आए थे तो भी इन्होंने मिलें बेची थीं और आज भी देवरिया जनपद में साजिश के तहत चीनी मिल बेचने की तैयारी चल रही है । दो-दो करोड़ में चीनी मिल बेची जा रही हैं । इसी कारण दो-तीन चीनी मिलें ऐसी हैं देवरिया जनपद में, जो किसी न किसी तरह से वहां के किसानों का शोषण कर रही हैं । कप्तानगंज चीनी मिल विगत एक सप्ताह से बन्द चल रही है वहां के मजदूर चिन्तित थे । इन समस्याओं के लिये एक मांग-पत्र भी दिया गया और कहा गया था कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो धरना करेंगे । 25 से धरना शुरू कर दिया । चीनी मिल के मालिक जो पूंजीपति है, ने उस कारखाने को स्थाई रूप से बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप एक हजार से 12 सौ के करीब मजदूर बेकार पड़े हैं । सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं सीजन में । गन्ना सूख रहा हैं । गांव-गांव के काश्तकार हैं । लगन चल रही है किसी को शादी-बारात में शामिल

होना है । इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार उदासीनता बरत रही है । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार की तरफ से वक्तव्य दिलवा दें । ताकि इस समस्या का तुरन्त निदान हो सके । हजारों मजदूरों को हजारों काश्तकारों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । बैलों को खिलाने के लिये कुछ नहीं है । जानवरों को खिलाने के लिए दाना पानी कुछ नहीं है इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सरकार मिल-मालिकों को आदेश देकर चीनी मिलों को चालू करायें । उस क्षेत्र में गन्ना पड़ा हुआ है ताकि उसकी पेराई हो सके और किसानों को लाभ दिया जा सके ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा)–

मान्यवर, कप्तानगंज की चीनी मिल निजी क्षेत्र की है । यह सही है कि यह मिल दो दिन बन्द रही । अब यह पांच दिन से लगातार शुरु हो गई है । श्रमिकों को किसानों के हितों को हम ध्यान में रखते हुए एवं सम्मानित सदस्य की बातों को ध्यान में रखकर, इसमें जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसको हम निरस्त करते हैं । अब आखिरी सूचना है श्री नरेश अग्रवाल की ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमारी जगह श्री राम प्रसाद टम्टा को अवसर दे दें ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, उत्तराखण्ड क्षेत्र से आता हूं । और अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके बीच रखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है । हमारे उत्तराखण्ड में सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य की जो घोषणा अपने घोषणा पत्र में कर रखी है । मान्यवर, उत्तराखण्ड के लोग प्रथम उत्तराखण्ड की उतनी मागं नहीं कर रहें हैं, जितनी कि वह अपने यहां छोटे छोटे जनपद और तहसीलों, और ब्लाकों की मांग कर रहे हैं । विशेषकर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र बागेश्वर, जो हमारा विधान सभा क्षेत्र हैं । हमारे क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय और अपने जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने में उस क्षेत्र की जनता को 4 दिन जाने में और 4 दिन आने में लगते हैं, जिस कारण उनको जिले की समीपता का लाभ नहीं मिल पाता है और न ही वहां पर विकास कार्य हो रहा है । मान्यवर, उस क्षेत्र की जनता ने अपने जिले की मांग को लेकर आन्दोलन चला रखा था और आन्दोलन अभी भी चल रहा है । बीच में सरकार ने उस आन्दोलन को शांत करने के लिये, बिना उस क्षेत्र के प्रतिनिधि की राय से चुपचाप एक स्थानीय पार्टी के प्रतिनिधि के माध्यम से आन्दोलन को शान्त किया, लेकिन वह आन्दोलन अभी भी शान्त नहीं है । मुख्यमंत्री जी के पास हमारे दल के श्री नरेश अग्रवाल जी के साथ हमने बात की और मांग की कि हमारे क्षेत्र बागेश्वर में जो आन्दोलन चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बागेश्वर क्षेत्र को जिला घोषित कर दिया जाय । लेकिन उन्होंने चुपचाप आन्दोलन को शान्त कराने का प्रयास किया । आन्दोलन अभी भी शान्त नहीं है । वहां करीबन चार विकास खण्डों कांडा, चौडास्टर, खरई, देवलधार, बज्जौला व सोमेश्वर की आवश्यकता है । उत्तराखण्ड में जो एक समिति गठित की गई है उसमें उत्तराखण्ड के 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों की राय कतई नहीं हैं । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा क्योंकि यह सरकार दलितों और गरीबों की सरकार कहलाती है कि क्या आप उन गरीबों की राय लेंगे या उनकी राय कुचलेंगे । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वहां के अनुसूचित जाति के लोग प्रथम उत्तराखंड की मांग के पक्ष में नहीं है उनकी तो यह मांग है कि प्रथम तहसीलों व ब्लाकों का गठन किया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र का समुचित विकास हो सके । उसके साथ मैं हिल कौंसिल की मांग करता हूं क्योंकि उससे केन्द्र सरकार से भी फायदा ले सकें और इतने बड़े प्रदेश से भी जुड़े रह सकें ताकि हमारे पहाड़ का विकास हो, इसके अतिरिक्त तहसील बागेश्वर को शीघ्र जिला घोषित करें । इसके साथ ही गरुड़, कपकोट, काण्डा, देवलधार आदि को तहसील बनाने की कृपा करें ।

* श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, आज सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में, नये जिलों, तहसीलों, ब्लाकों के निर्माण को लेकर जिस तरह से आन्दोलन चल रहा है उससे सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। सारा जनजीवन आज अस्त व्यस्त हो गया है। वहां के नवयुवक, छात्र राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर 8 नये जिले, 18 तहसीलों और 64 ब्लाकों के निर्माण के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कराकर सरकार की तरफ से आश्वासन दिलाने की कृपा करें। वहां पर विशेष रूप से बागेश्वर, चंपावत, रानीखेत गढ़वाल में आन्दोलन हो रहा है और भीषण संकट वहां उत्पन्न हो गया है। इन जिलों का निर्माण, इन नयी तहसीलों और ब्लाकों का निर्माण कब तक होगा इस संबंध में मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, भाई कुंजवाल के इस ग्राह्यता के प्रश्न पर बल देते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार एक ओर, उत्तराखण्ड की बात करती है, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उत्तराखण्ड की बात कही है और मुख्य मंत्री जी रोजाना प्रेस में उत्तराखण्ड की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह महसूस किया है कि वहां की भीषण भौगोलिक परिस्थितियों के नाते वहां का विकास अवरुद्ध हो चुका है। एक ओर उत्तराखण्ड की घोषणा होती है और दूसरी ओर वहां 2 महीने से और उससे पूर्व से 8 जिलों की मांग हो रही है। इसी प्रकार से 18 तहसीलों और 64 ब्लांकों की मांग वहां पर उठ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि एक ओर सरकार यह मानकर चल रही है कि पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा दिया जाय तभी विकास सम्भव है दूसरी ओर वहां पर यह जो मांग उठ रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांग पूरी न किये जाने के कारण वहां पर भीषण स्थिति उत्पन्न हो गयी है। चंपावत में यह हालत है कि 14 तारीख से वहां अनशन चल रहा है, वह अनशन आमरण अनशन में बदल चुका है। वहां गाड़ियां रोकी जा रही है और चक्का जाम होना शुरू कर दिया गया है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं एक ओर नेपाल है दूसरी ओर तिब्बत चीन के बार्डर पर हमारी सेनायें हैं। आज ऐसी परिस्थिति बना रही है कि यदि टनकपुर से जाने वाली गाड़ियां वहां पर रोकी गयीं तो इससे वहां खाद्य सामग्री नहीं पहुंचेगी तो जनजीवन अस्तव्यस्त हो जायगा और भुखमरी की नौबत आ जायगी। वहां पर स्थिति विस्फोटक है इसलिये मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या करने जा रहा है। मान्यवर, मैं इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हमारे दल के सम्मानित सदस्य कुंजवाल और टम्टा जी और माहरा जी ने जो प्रस्ताव रखा है पर्वतीय अंचल की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। उत्तरांचल में 8 नये जिलों की मांग की जा रही है। सरकार ने उत्तराखण्ड के संबंध में एक समिति भी गठित की है। इससे वहां के लोगों को लगा है कि सरकार उत्तराखण्ड राज्य बनाने के संबंध में गम्भीर है। उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में विधेयक लाने की घोषणा अभी कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने पटना में की है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं लोगों के मन में संशय पैदा होता है कि यदि उत्तराखण्ड राज्य बनाने के प्रति सरकार गम्भीर है, तो उसके मूलभूत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकताएं जो जनपद बनाने के लिये होती हैं, उस राज्य की भौगोलिक सीमाएं कितनी होंगी, कितने जनपद होंगे और उसमें आवश्यकतानुसार कितने और जनपदों का सृजन होगा और कितनी नई तहसीलों का सृजन होगा और वहां पर कितने विकास खण्ड होंगे ? तो वहां पर राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व आज जो उस पर्वतीय अंचल में जन आन्दोलन चल रहा है, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, आवागमन ठप है, राहत सप्लाई नीचे से पहुंच नहीं रही है, लोगों को खाने के लिये खाद्य पदार्थ का अभाव हो गया है, ऐसी स्थिति में यदि सरकार राज्य बनाने की बात कह रही है, तो जो जनपदों की मांग चल रहे है, 100-100, डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ किल्लेमीटर की दूरी पर जो है.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या यह जो उत्तराखण्ड को राज्य बनाने की जो सरकार घोषणा कर रही है, क्या उसमें जो नियम, जिन कानून के अन्तर्गत हरियाणा का निर्माण हुआ या अन्य प्रान्तों का निर्माण हुआ ? क्या उसको यह सरकार नहीं लागू करना चाहती है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी जब स्वयं इधर नेता प्रतिपक्ष के रूप थे, जब यह प्रस्ताव आया था, तो.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह जो नियम है, वह जब पूर्वांचल बनने लगे, तो उसी नियम के अन्तर्गत बनेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह सरकार जो प्रस्ताव ला रही है, उस क्षेत्र में उत्तराखण्ड की कौन-सी राजधानी होगी ? कौन-कौन से जनपद होंगे ? कौन-कौन सी तहसीलों और विकास खण्डों का गठन होगा ? वह तो स्वयं पहले इस प्रश्न को उठा चुके हैं और आज जब वह शासन में हैं, मुख्य मंत्री हैं, तो वह जो जनमानस की आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा कर सकते हैं, जैसे मान्यवर, चम्पावत का इलाका हुआ, आज चम्पावत में आमरण अनशन हो रहा है और वे लोग मरणासन्न हैं, चाहे वहां के व्यापारी हों, नवजवान हों या छात्र हों, वहां पर सारे दिन आन्दोलन और सभायें चल रही हैं, 24 घंटे का आन्दोलन चल रहा है । जाम का जहां तक उल्लेख माननीय सदस्य के द्वारा किया गया, वह बहुत संवेदनशील एरिया है, वह नेपाल से जुड़ी हुई सीमा है, उस सीमा के क्षेत्र में ऐसी बात होगी, तो उत्तर प्रदेश के लिये एक गम्भीर चुनौती होगी। वहां पर एक अस्थिरता का वातावरण बन रहा है । वहां पर सरकार को हस्तक्षेप करके इस समस्या का निदान करना चाहिए । मैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसके पूर्व तहसील और विकास खण्ड चम्पावत, बागेश्वर, कर्ण प्रयाग आदि के 8 जनपद बनायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड राज्य को लेकर लोगों के मन में शंका है, उनका आप निराकरण करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, उत्तराखण्ड बनाने के संबंध में एक समिति विचार कर रही है और पूरा मामला सदन में आयेगा और उस समय सभी माननीय सदस्यों के विचार सामने आ जायेंगे । जो हमने घोषणा पत्र में कहा है, उसको लागू किया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसको मैं निरस्त करता हूं । जब इस पर विधेयक आयेगा, तो सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख लेंगे । इस के संबंध में 15 तारीख को योजना भवन में मीटिंग है, मैं सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वह वहां जायें और अपने विचार प्रकट करें ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, पहले वहां की तहसीलों और जिलों का एलान करें ।

(व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)–

मान्यवर, सरकार जिलों और तहसीलों की घोषणा नहीं कर रही है, इसलिये हम पहाड़ के लोग सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई), श्री राम प्रसाद टम्टा और श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल सदन त्याग कर चले गये)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, राज्य बनाने का जो विषय है वह केन्द्र सरकार का है, इसलिये जो भारत का संविधान है,उसमें इसकी व्यवस्था है । उत्तराखण्ड बनाने के विषय में जो हमारे विधिक अधिकार हैं, उनको हम पूरा करेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, ग्रामीण विकास की ओर वर्तमान सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विकास का कार्यक्रम चल रहा है । विकास के लिये वर्गीकरण के आधार पर धन का आवंटन किया जाता है । मान्यवर, धन के आवंटन के पहले डी० आर० डी० ए० के अध्यक्ष को सूचना दी जाती है कि उसको कितना धन उपलब्ध कराया जा रहा है ? मान्यवर, मैं अपने जिले मुजफ्फरनगर के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां के लिये जो धन दिया गया है वह 1362 लाख का आवंटन किया गया है, लेकिन आज तक 801.80 लाख रुपया ही दिया गया है, इस कारण वहां पर सारे विकास कार्य रुके हुए हैं और 31 मार्च समाप्त होने वाला है और विकास के कार्य पूरे नहीं हो पायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि 70 प्रतिशत धनराशि गांवों के विकास के लिये दी जायेगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में ग्रामीण विकास के कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि वहां पर धन नहीं पहुंचा है और एक पैसे का भी काम नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि रुपये के एलाटमेंट के जो मानक बनाये गये हैं और जो केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स हैं और जो प्रदेश सरकार की घोषणायें हैं और जितना रुपया हमारे जिले का बाकी है , उसको दिया जाये । हमारे जिले का पूरा एलोकेशन 1362 लाख रुपये का है और

801-80 लाख प्राप्त हो गया है, इस प्रकार से बकाया 551.20 लाख रुपया निर्गत किया जाये । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह पैसा दिलवायें, जिससे हमारे जिले के ग्रामीण अंचल का विकास हो सके । इसलिये मान्यवर, यह लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है, इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

निर्धारित मानकों के अनुसार जो प्रश्न माननीय हरेन्द्र सिह जी ने उठाया है, उसको देख लें। यह नियम 56 में नहीं आता है, इसलिये इसको निरस्त किया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सरकार कुछ भी दावा कर ले अभी आज ही इस सदन में यह दावा किया गया कि सपा बसपा से बनी हुई सरकार में दल दो हो सकते हैं लेकित समरसता है । मान्यवर, सदन में दावा कुछ भी किया जाय लेकिन पूरे प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि इस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद साम्प्रदायिक विद्वेष और जातीय विद्वेष की घटनायें बढ़ी हैं और जिस घटना के संदर्भ में आज मैं इस सदन में चर्चा चाहता हूं वह घटना तो ऐसी स्पष्ट है कि हम सबके लिये एक चुनौती है और चेतावनी का काम करेगी । मान्यवर, बांदा के नेदुआ ग्राम में 11 हरिजनों की किस तरह से निर्मम पिटाई की गयी ?

एक सदस्य–

यह कब की घटना है तारीख बता दें ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं तारीख बता दूंगा । मान्यवर, केवल इसलिये टोकाटाकी की जा रही है ताकि सत्यता सामने न आ सके ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इसमें हरिजन शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इन 11 अनुसूचित जाति के सदस्यों में से नत्थू, झल्लू, महाबीर और नागेश्वर यह 4 नाम मेरे पास आये हैं इन चारों लोगों को श्यादान सिंह यादव दारोगा ने पेड़ काटने की घटना में पेड़ से उल्टा टांगकर मारने का काम किया है । मान्यवर, इतना ही नहीं यह भी कहा गया जो बहुत ही कष्ट की बात है, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेकर कहा गया कि कांसीराम जी के शासन में आने के बाद तुम लोगों के दिमाग खराब हो गये हैं, तुमको मैं पीट पीट कर ठीक कर दूंगा । यहीं नहीं मान्यवर, उसके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनको बेइज्जत किया । यह घटना हम सब लोगों के लिये बहुत बड़ी चेतावनी है । श्योदान सिंह यादव दारोगा अनुसूचित जाति के बंधुओं को प्रताड़ित करे और एक राष्ट्रीय दल के नेता के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करे । मान्यवर, प्रदेश की स्थिति कहां जा रही है । मैं नहीं समझता, कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए बसपा के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इन अपशब्दों को सुनकर कहां तक बरदाश्त कर सकते हैं ? लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस प्रकार के अधिकारी को अभी तक इस शासन ने दंडित नहीं किया है । इस घटना से वहां रोष

[4 बजकर 20 मिनट]

और भय का वातावरण व्याप्त है । और किसी भी दिन जनता के अन्दर इस घटना की प्रक्रिया हो सकती है । यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है । इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि सदन को स्थगित करके इस पर जरूर चर्चा करायें और सरकार की ओर से आश्वासन निश्चित रूप से दिलायें कि इस प्रकार के अधिकारियों को क्षमा किसी प्रकार से नहीं किया जायेगा । और फिर इस प्रकार की घटना दुबारा नहीं होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये निरस्त करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस पर कार्यवाही करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इन सूचनाओं को निरस्त किया गया शेष बची तीन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित की जनपद बाराबंकी की बिगड़ती कानून व्यवस्था, श्री सत्य प्रकाश विकल की आगरा पुलिस अधीक्षक के गनर एवं पुलिस कर्मियों द्वारा लाखों रुपये की लूट तथा जनपद गढ़वाल में भूकम्प से क्षति से संबंधित

अब मैं अगली मद सं०–8 लेता हूं और श्री हृदय नारायण जी को बुला रहा हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, जिस सूचना पर मैंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया, उसमें अनुसूचित जातियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार और भाषा का प्रयोग किया गया है । सरकार संवेदनहीता का प्रदर्शन कर रही है इसके विरोध में मैं सदन का परित्याग करता हूं ।

(डा० सरजीत सिंह डंग व श्री भैरो प्रसाद मिश्र सदन को त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हृदय नारायण जी को मैं उनकी मद पर बुला रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, वे यहां उपस्थित नहीं है । इसके माने इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है । अब मैं नियम 51 लेता हूं ।

आज दिनांक 7 मार्च, 1994 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की जनपद गाजियाबाद में कोतवाली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय आबादी मोहल्ला कास्सावान में पशुओं को अनधिकृत रूप से काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश के राजकीय अस्पतालों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के शरीक होने की चेतावनी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । तीसरी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत धारी सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं, शासन इस पर त्वरित कार्यवाही करें ।

चौथी सूचना श्री सफदर रजा खां की शासन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों में से कपोल कल्पित एवं जाति विशेष को अपमानित करने वाले अंशों को निकाले जाने के संबंध में, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं । अगली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मुजफ्फरनगर की जनपद मुज्जफरनगर में रायफल एसोसियेशन क्लब की बिल्डिंग पर पुलिस अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बाबरी में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

[दिनांक 25-2-94 को थाना कस्बा बाबरी निवासी शफीक पुत्र फैय्याज ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसके गांव के हुकुम सिंह सैनी रमजान में रोजा अफ्तारी, नमाज व शहरी के समय अपने मकान के पास नीम के पेड़ पर लाउडस्पीकर लगाकर धार्मिक गाने लगाता है जिससे व्यवधान उत्पन्न होता है । इस प्रार्थना पत्र की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी और दोनों पक्षों को बुलाकर समझाया-बुझाया गया । झगड़ा पर अमादा होने की स्थिति में दोनों पक्षों के व्यक्तियों को दिनांक 25-2-94 को ही अन्तर्गत धारा 151/107/116(3) दं० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 26-2-94 को प्रातः 8.05 बजे थाना बाबरी पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन से सूचना दी गयी कि गांव में सैनी व मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है । इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंची । दोनों पक्षों को समझाया, न मानने पर और शान्ति भंग का अंदेशा होने पर दोनों पक्षों के 25 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151/107/116 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाने पर हवालात में बन्दी शफीक अहमद पुत्र फैय्याज खां की लिखित तहरीर में आशुतोष पुत्र धन प्रकाश, विजयपाल पुत्र हुकुम सिंह आदि 11 व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त मामले को लेकर एक रिपोर्ट दी गयी जिसके आधार पर अभियोग अप० सं०–31/94 धारा 147/148/149/307/336/295ए भा० दं० वि० थाना बाबरी पर पंजीकृत किया गया । दूसरे पक्ष की ओर से हवालात में बन्द विजयपाल पुत्र हुकुम

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सिंह की लिखित सूचना पर क्रास केस मुक० अप० सं०–31 ए/94 धारा 147/148/149/307/295 ए भा० दं० वि० के अन्तर्गत शफीक आदि 9 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । उपर्युक्त अपराध संख्या–31/94 के अभियोग में अभियुक्त आशुतोष सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया । शेष की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है । मुक० अप० सं०–31 ए/94 में अभियुक्त मशीउल्ला सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है ।

घटनास्थल का निरीक्षण जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, तहसीलदार एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है तथा इस संबंध में कस्बा बाबरी में सम्भ्रान्त व्यक्तियों की मीटिंग बुलाकर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु वार्ता कर ली गयी है । वर्तमान में कस्बा बाबरी में शान्ति है फिर भी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से थानाध्यक्ष बाबरी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि कस्बा बाबरी में स्वयं निरन्तर दोनों पक्षों के व्यक्तियों से सम्पर्क कर स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखें एवं समुचित पुलिस गश्त व्यवस्था निरन्तर जारी रखें ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान पूर्णतया नियंत्रण में है और घटनास्थल के आस-पास किसी प्रकार का जनरोष जैसी बात नहीं है । दोनों पक्षों की ओर से क्रास केसेज पंजीकृत कराये गये हैं जिसकी विवेचना तत्परता से की जा रही है । जहां तक श्री हुकुम सिंह ने स्पीकर वापस किये जाने का प्रश्न है, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25-2-94 को नीम के पेड़ से उतरवाया गया स्पीकर थाना बाबरी द्वारा हुकुम सिंह को वापस कर दिया गया उसे पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया था, रमजान के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त स्पीकर उतरवाना आवश्यक था । घटना के दौरान थाना बाबरी में कार्यरत एक सब इन्सपेक्टर श्री यादराम द्वारा पूर्वाग्रह के कारण निर्दोष लोगों को प्रताड़ित/दुर्व्यहार करने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया अतः उक्त सब इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण नहीं किया गया । उपरोक्त दोनों पंजीकृत मुकदमों में नामजद शेष अभियुक्तों की ही गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहा हैं । वर्तमान में ग्राम बाबरी जिला मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक तनाव जैसी कोई स्थिति नहीं है ।]

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, ये मेरे जिले का मामला है । मान्यवर, इसमें दो पक्ष है एक पक्ष में प्रधान सेवा राम सैनी जी है एक पक्ष में प्रधान सेवा राम सैनी जी है और दूसरे पक्ष के लीडर श्री आशुतोष हैं जिन अधिकारियों ने यह सूचना भेजी है, मैं कहना चाहता हूं कि ये एक दलीय झगड़ा है, धार्मिक नहीं है, साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है । क्या मंत्री जी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम इसको दिखवा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह दो तरफ मुकदमा चलाया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह नामित व्यक्ति गिरफ्तार किया गया या नहीं और शेष कितने और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरेन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर)–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही होगी या निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, निर्दोष लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में आये भूकम्प से जन स्रोतों के सूख जाने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

* नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

मान्यवर, जनपद टिहरी में कुल 2001 ग्राम हैं । इनमें से 56 ग्राम आबाद हैं ।

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

[1-4-93 तक 1909 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कराई जा चुकी है । इस प्रकार से केवल 36 ग्रामों में ही पेयजल की व्यवस्था की जानी है जिनमें से 23 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है । दिनांक 19-20 अक्टूबर 91 की रात्रि में उत्तरकाशी में आये भूकम्प का प्रभाव उत्तरकाशी एवं चमोली जनपदों के कुछ भागों तथा टिहरी जनपद के जखोली, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर एवं कीर्तिनगर आदि विकास क्षेत्रों में हुआ था किन्तु विशेष रूप से भूकम्प के कारण जलस्रोतों के सूखने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है । स्रोतों के सूखने अथवा श्राव कम होने का मुख्य कारण वृक्षों का कटाव, वर्षा में कमी, सड़कों अथवा भवनों के निर्माण कार्य आदि हैं । राजीव गांधी मिशन सर्वेक्षण के अनुसार टिहरी गढ़वाल में 1-4-93 को 123 ग्राम स्रोत विहीन पाये गये । इस प्रकार से वृक्षों के कटान, सड़कों भवनों के निर्माण एवं कम वर्षा के कारण 87 ग्रामों के स्रोत सूख गये । सर्वेक्षण में यह भी पता चला है कि 710 ग्रामों में जल स्रोतों का श्राव कम होने से आंशिक रूप से ही जलापूर्ति हो पा रही है । गुरुत्व स्रोतों के सूखने की समस्या के समाधान हेतु ऐसी योजनाओं का पुनर्गठन स्थाई स्रोतों जैसे भागीरथी, अलकनन्दा एवं बड़े-बड़े गधेरों से पंपिंग योजनायें बनाकर धन की उपलब्धता के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरोक्त विकास क्षेत्रों की लवाचाका, सिल्काखाल, जवाडी, रौठिया, हिंसरियाखाल, कैलापीर एवं सूर्यकुण्ड रानीताल की लिफ्ट पंपिंग योजनाओं का निर्माण कराये जाने के संबंध में यह स्थिति है कि लवाचाका की योजना का विस्तृत प्राक्कलन बनाया जा रहा है । शेष योजनाओं पर सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । इनकी पंपिंग योजनायें पेयजल की कमी की स्थिति का आकलन करके धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी ।]

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि भूकम्प 20 अगस्त, 1991 में आया और आज स्थिति यह है कि बीस-बीस किलोमीटर दूर से लोग पीने का पानी लाते हैं । हमने शासन से यह अनुरोध किया था कि लिफ्ट पेयजल योजना बनायी जाये परन्तु धनाभाव के कारण उक्त योजनायें नहीं बन पायी । मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है । लोग एक महीने में नदी में नहाने के लिये जाते हैं अतः वहां के निवासियों को लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की सुविधा दी जाये ।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, मैंने पहले ही अपने प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया था । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रही है ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो लिफ्ट पेयजल योजनायें हैं उसका आगणन पहले किया जा चुका है । जैसे लवाचाका है, सूर्यकुण्ड रानीताल हैं यह पहले से तैयार पड़ी हैं, जो धनाभाव के कारण रुकी हुई हैं अतः इन्हें तुरन्त चालू कराया जाये ।

श्री सन्त बख्श रावत–

मान्यवर, धन की उपलब्धता के अनुसार इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

(अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं) ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

7 मार्च, 1994

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11-12 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तारांकित प्रश्न सं०-3 के उत्तर का संलग्नक ।

पैड़ी गढ़वाल मण्डल में उन राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची जहां नियमित प्रधानाध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

क्र०सं०	विद्यालय का नाम
1.	राजकीय कन्या उ० मा० वि०, रायपुर, देहरादून ।
2.	राजकीय कन्या उ० मा० वि०, घमन्डपुर, कोटद्वार ।
3.	राजकीय कन्या उ० मा० वि०, मलेथा कीर्तिनगर (टिहरी) ।
4.	राजकीय कन्या उ० मा० वि०, नौटी, कर्णप्रयाग (चमोली) ।

पौड़ी गढ़वाल मण्डल में उन राजकीय इण्टर कालेजों की सूची जहां नियमित प्रधानाचार्य कार्यरत हैं :-

1. राजकीय इण्टर कालेज,	नई टिहरी
2. रा० इ० का०-,	पौड़ीखाल टिहरी ।
3. रा० क० इ० का०-,	लैन्सडाउन, पौड़ी ।
4. रा० क० इ० का०-,	देहरादून ।
5. रा० क० इ० का०-,	ऋषीकेश, देहरादून ।
6. रा० क० इ० का०-,	श्रीनगर, पौड़ी ।
7. रा० क० इ० का०-,	कोटद्वार, पौड़ी ।
8. रा० क० इ० का०-,	दुगड्डा, पौड़ी ।

वर्षवार रिक्त पदों की सूचना

प्रधानाध्यापक, रा० उ० मा० वि० बालक/बालिका

वर्ष 1988	-	2
वर्ष 1989	-	23
वर्ष 1990	-	16
वर्ष 1991	-	19
वर्ष 1992	-	33
वर्ष 1993	-	29
योग-		122

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या रा० इ० का० बालक/बालिका

वर्ष 1982	-	1
वर्ष 1986	-	2
वर्ष 1988	-	16
वर्ष 1989	-	51
वर्ष 1990	-	42
वर्ष 1991	-	45
वर्ष 1992	-	36
वर्ष 1993	-	33
योग -		226

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14–15 पर)

सूची–1

जनपद बलिया में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में स्वीकृत कार्यों की सूची

वर्ष–1989-90

1–जयप्रकाश नगर से लक्ष्मण छपरा मार्ग ।

2–गंगा पाण्डेय टोला से पिपरौदा दुधैला मार्ग ।

3–सीताकुण्ड से चैनछपरा मार्ग ।

4–तुर्तीपार श्रीनगर बंधा कि० मी० 11 से 20 तक ।

5–धरहरा धरमपुरा मार्ग ।

वर्ष–1990-91

1–लखनऊ बलिया से रौरौचवर मार्ग ।

2–नीरूपुर से बिगही मार्ग ।

3–सिकन्दरपुर से देवकली नहर की पटरी ।

4–कपूरी चेरुइया मोहान की मठिया ।

5–छितौना कैम्प से पन्द्रह माइनर इन्दौली कमरौली होते हुए इकइल मार्ग ।

6–सिकन्दरपुर से देवकली मार्ग का भाग ।

7–नीरूपुर से विकहीं मार्ग ।

8–प्रधानपुर हरदासपुर घाट पर टोंस नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग की अतिरिक्त लम्बाई ।

वर्ष 1991-92

1–गाजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिमपट्टी मार्ग के अधूरे भाग को पूर्ण करना मऊ सीमा तक ।

2–इब्राहिमपट्टी से बमरा होते हुए बरौली नहर मार्ग तक ।

3–इब्राहिमपट्टी से भिण्ड खुटा तक सम्पर्क ।

4–इब्राहिम पट्टी ने नेमडांड होते हुए सेमरी भीमपुरा मार्ग ।

5–सीयर पशुहारी मार्ग का निर्माण ।

6–देवकली से सुजनापुर सिकन्दरपुर रजवाहा का भाग ।

7–ढेकवारी भीमपुरा किशोरगंज मार्ग ।

8–शाहपुर तेलमा जमालुद्दीनपुर से रछौली करनी किशोरगंज मार्ग एवं 3x8 मी० लघु सेतु सहित ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9–रामपुर हजिया से रामपुर मार्ग 2x5 मी० लघु सेतु सहित ।

10–बरौली चकरा हाल्ट से कि० मी० 5 में 3x8 मी० लघु सेतु का निर्माण ।

11–छितौना कैम्प से करनी नरला मार्ग एवं 1x4 मी० लघु सेतु का निर्माण ।

12–मधुवन बेल्थरा मार्ग के कि० मी० 57 से 60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।

13–बैल्थरा बाजार से मालनापार वाया पिपरौली शाहंपुर मार्ग ।

14–हल्दीरामपुर से किशोरगंज मार्ग ।

15–बरौली से इब्राहिम पट्टी मार्ग ।

16–सीयर चरौवां कमसेर भीमपुरा वेलौली ।

17–वेल्थरा बाजार से घाघाराघाट तक मार्ग का निर्माण ।

18–ढेकवारी से ककरी भीमपुरा नं०–2 तक मार्ग का निर्माण ।

19–संवरा गोपालपुर चिन्तामनिपुर नराक्ष वैश्य बोझ मार्ग का निर्माण ।

20–सलेमपुर पीपरी पट्टी वहोरापुर मार्ग का निर्माण ।

21–मन्नोपुर फतेहपुर कल्यानीनाथ मठिया मार्ग ।

22–शिवाली से नेवासा मार्ग ।

23–शेरूपुरा खंडवा से नवासामार्ग ।

24–सुरेमनीपुर डूमरी गढ़ी मार्ग ।

25–ग्राम दौलतपुर के पास मगही नदी पर सेतु का निर्माण ।

सूची–2

प्रारम्भ किये गये कार्यों की सूची

1–जय प्रकाश नगर से लक्ष्मण छपरा मार्ग ।

2–गंगा पाण्डेय टोला से पिपरौटा दुधैला ।

3–तुर्तीपार श्रीनगर बंधा 11 से 20 तक ।

4–घरहरा धरमपुरा ।

5–लखनऊ बलिया से रौरौचवर ।

6–नीरूपुर से बिगही ।

7–सिकन्दरपुर से देवकली नहर की पटरी ।

8–कपूरी चेरुइया मोहान की मठिया ।

9–छितौना कैम्प से पन्द्रह माइनर इन्दौली कमरौली होते हुए इकइल ।

10–सिकन्दरपुर से देवकली नहर का भाग ।

11–प्रधानपुर हरदासपुर घाट पर टोंस नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग की अतिरिक्त लम्बाई ।

12–गाजियापुर मुहम्मदपुर इब्राहिमपट्टी मार्ग के अधूरे भाग को पूर्ण करना मऊ सीमा तक ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

13–इब्राहिमपट्टी से भिंडखंटा भाग ।

14–इब्राहिमपट्टी से वसरा होते हुए बरौली नहर मार्ग ।

15–इब्राहिमपट्टी ने नेमडांड होते हुए सेमरी भीमपुरा मार्ग ।

16–सीयर पशुहारी मार्ग ।

17–देवकली से सुजनापुर सिकन्दरपुर रजवाहा भाग ।

18–ढेकवारी भीमपुरा किशोरगंज ।

19–शाहपुर तेलमा जमालुद्दीनपुर से रछौली करनी किशोरगंज मार्ग एवं (3x8 मी० लघु सेतु सहित) ।

20–रामपुर हिजिया से हजिया रामपुर मार्ग 2x5 मी० लघु सेतु ।

21–छितौना कैम्प से करनी नरला मार्ग एवं 1x4 मी० लघु सेतु का निर्माण ।

22–मधुवन बेल्थरा मार्ग के कि० मी० 57 से 60 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य ।

23–हल्दीरामपुर से किशोरगंज ।

24–बरौली से इब्राहिमपट्टी ।

25–सीयर चरौवां कमसेर भीमपुरा खेलौली मार्ग तक ।

26–बेल्थरा बाजार से घाघाराघाट ।

उपरोक्त क्रमांक 3, 4, 7, 8, 9 व 10 (कुल 6 कार्य) पर अंकित कार्य पूरे किये जा चुके हैं शेष 20 कार्य अपूर्ण हैं तथा ग्राम दौलतपुर के पास मगई नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

सूची–3

शासनादेश दिनांक 30-5-92 द्वारा निरस्त किये गये कार्यों की सूची

1–सीताकुण्ड से चैनछपरा ।

2–नीरूपुर से बिगही ।

3–बेल्थरा बाजार से मोलनापुर वाया पिरौली शाहपुर ।

4–ढेकवारी से ककरी भीमपुरा नं०–2 तक मार्ग ।

5–संवरा गोपालपुर चिन्मणिपुर मार्ग नराक्ष वैश्य बोझ मार्ग ।

6–सलेमपुर पिपरापट्टी बहोरापुर ।

7–मन्नोपुर फतेहपुर कल्यानी नाथ मठिया मार्ग ।

8–सीवाली ने देवासा ।

9–सेखपुरा खंडवा से जवासा मार्ग ।

10–सुरेमनीपुर डमरीगढ़ी मार्ग ।

11–बरौली चकरा हाल्ट मार्ग के कि० मी० 5 से 3x8 मी० लघु सेतु का निर्माण ।

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

संलग्नक–1

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक डी० आ० एफ०–7–5/93 (सी० पी० सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 1993 में उल्लिखित प्रदेश के फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची

(1) महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद ।

(2) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ।

**(3) इण्डियन एजूकेशन कौंसिल आफ यू० पी०, लखनऊ ।

**(4) भारतीय शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, खुला विश्वविद्यालय ।

(5) गांधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग, इलाहाबाद ।

(6) नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलेक्ट्रो काम्पलेक्स, होम्योपैथी, कानपुर ।

(7) नेताजी सुभाष चन्द्र विश्वविद्यालय (खुला विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़ ।

(8) श्रीमती महादेवी वर्मा, खुला विश्वविद्यालय, मुगलसराय, वाराणसी ।

(9) सन्त रविदास विश्वविद्यालय, मुमरेजपुर, बुलन्दशहर ।

(10) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला, मथुरा ।

(11) महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ ।

टिप्पणी : ** ये दोनों संस्थायें एक ही हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(दिखिये अता० प्र० सं० 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

वर्ष 93-94 में डेरापुर विधान सभा क्षेत्र के निर्माणाधीन कार्यों का विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृत वास्तविक लम्बाई कि० मी० में
1	गलुआपुर से नोनारी बुजुर्ग का शेष भाग	2.0
2	डेरापुर-कुढ़ावल मार्ग	2.0
3	झींझक–खम्हैला मार्ग का शेष भाग	1.0
4	झींझक-कंचौसी मार्ग	0.70
5	रतनियापुर-नोनारी बुजुर्ग मार्ग का शेष भाग बिजार तक	0.30
6	रूरा-झींझक मार्ग पर जुरिया सुते से कमालपुर–डिलौलिया मार्ग	1.50
7	सिकन्दरा–झींझक मार्ग के कि०मी० 21, 22 व 25 (500 मी०) का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य	2.50
8	चौबेपुर बेला से ममायूं वाया पहाड़ीपुर रतनपुर खास मार्ग	5.60
9	झींझक रसूलाबाद मार्ग से लक्ष्मनपुर पिलख	3.50
10	रूरा-भिण्डाकुंआ कि० मी० 14 से 19 का निर्माण	5.50
11	कन्चौसी–किशोरा मार्ग कि० मी० 1 से 5	5.00
12	झींझक–रसूलाबाद मार्ग से लक्ष्मनपुर पिलख के कि० मी० 1 का पुनः निर्माण	1.00
	———————— तदैव ———————— कि० मी० 2 (0.75) का पुनः निर्माण एवं सुधार	0.75
13	रतनपुर खास ग्राम के पास सियारी नाले पर लघु सेतु का पहुंच मार्ग	1.00
14	रतनपुर के खास ग्राम के पास सियारी नाले पर लघु सेतु	1 नं०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49–50 पर)

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या–60 का संलग्नक

क्रम सं०	आपूर्ति आदेश संख्या	समग्री का विवरण	मात्रा	धनराशि
1	2	3	4	5
1	नं० 685/ए–15/91, दि० 26-3-91	डीजर्ट कूलर माडल के–120	6 नं०	18,307.80
2	नं० 165/कैम्प–1, दि० 31-3-91	मोदी जीराक्स इन्टालेसन किट	1 नं०	98,200.00
3	–	वोल्टेज स्टेपलाइजर्स	1 नं०	4,987.50
4	नं० 3 कैम्प–12/91, दि० 22-4-91	वर्टिकल पम्प 1/50 एच०पी०	1 नं०	1,918.90
5	नं० 1453/ए–15/91 दि० 1-8-91	कैम्बर टेम्प्लेट	4 नं०	3,680.00
6	नं० 6/एई–4 दि० 22-5-91	टारपोलिन	2 नं०	5,000.00
7	नं० डबूलओ नं० 18/एई–7, दि० 10-4-91	कूलर स्टैन्ड	6 नं०	4,410.00
8	डब्लू ओ नं० 16/एई–7, दि० 8-4-91	कूलर स्टैन्ड	6 नं०	4,410.00
9	नं० 570/कैम्प–12/91 दि० 1-12-91	स्टील चेयर	4 नं०	1,977.15
10	नं० तदैव	स्टील टेबुल	1 नं०	
11	नं० 315/15ए, दि० 15-2-92	टारपोलिन	2 नं०	5,000.00
12	नं० 69/कैम्प–12/92, दि० 4-2-92	स्टील एलमीरा	4 नं०	
		स्टील एलमीरा	1 नं०	7,635.00
13	नं० 612/15, दि० 4-5-92	डीबीडी आपरेटर्स	1 नं०	5,918.00
	नं० 639/ए–15, दि० 5-7-92	अन्य आवश्यक पार्ट के साथ	प्रत्येक —	
14	नं० 711/ए–15, दि० 30-5-92	स्टील एलमीरा	1 नं०	2,131.00
15	नं० 826/एई–5, दि० 2-7-92	एक्जास्ट फैन	2 नं०	1,871.00
16	नं० 79/एस/92, दि० 10-6-92	डबुलबेड	1 पेयर	
		राइटिंग टेबुल	1 नं०	4,800.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
17	नं० 81/एस/92, दि० 11-6-92	डबुल बेड	1 पेयर	
		राइटिंग टेबुल	1 नं०	4,800.00
18	नं० 82/एस/92, दि० 11-6-92	डबुल बेड	1 पेयर	
		राइटिंग टेबुल	1 नं०	4,800.00
19	नं० 82/एस/92, दि० 11-6-92	डबुल बेड	1 पेयर	
		राइटिंग टेबुल	1 नं०	4,800.00
20	नं० 85/एस/92, दि० 15-6-92	ड्रेसिंग टेबुल	2 नं०	4,600.00
21	नं० 86/एस/92, दि० 15-6-92	डबुल बेड	1 पेयर	
		राइटिंग चेयर	2 नं०	4,550.00
22	नं० 87/एस/92, दि० 15-6-92	ड्रेसिंग टेबुल	1 नं०	
		राइटिंग चेयर	4 नं०	4,800.00
23	नं० 88/एस/92, दि० 15-6-92	डबुल बेड	1 पेयर	
		राइटिंग चेयर	2 नं०	4,550.00
24	नं० 89/एस/112, दि० 15-6-92	ड्रेसिंग टेबुल	1 नं०	
		राइटिंग चेयर	4 नं०	4,880.00
25	नं० 678/ए–15, दि० 18-5-92	कुर्सी	10 नं०	
		टेबुल	1 नं०	4,090.00
26	नं० 233/कैम्प–12/92, दि० 19-6-92	स्टील चेयर	4 नं०	
		स्टील टेबुल	1 नं०	1,925.00
27	नं० 233/कैम्प–12/92, दि० 19-6-92	स्टील एलमीरा	2 नं०	4,095.00
28	नं० 1043/ए–15, दि० 12-8-92	आयरन गैंग ठेला	2 नं०	8,348.00
29	नं० 350/कैम्प–12/92, दि० 20-7-92	आयरन गैंग ठेला	2 नं०	4,348.00
30	पीडकूलर नं० 10/एई–9, दि० 28-4-92	टेम्पलेट	2 नं०	1,360.00
31	पीडकूलर नं० 9/एई–9, दि० 28-4-92	टेम्पलेट	2 नं०	1,360.00
32	नं० 782/ए–15, दि० 22-6-92	टारपोलिन 5×4	1 नं०	1,728.00
		टारपोलिन 7×4	1 नं०	

1	2	3	4	5
33	नं० 1261/ए–15, दि० 8-10-92	इन्सपेक्टिंग फिलर किट	1 नं०	4,354.00
34	नं० 102/ए/एई–1/92, दि० 13-10-92	बजाज गीजर	2 नं०	8,200.00
35	नं० कैम्प/106/एई–1, दि० 24-10-92	बजाज गीजर	1 नं०	2,110.00
36	नं० 30/एम/12–93, दि० 5-1-92	टाइपराइटर	1 नं०	3,425.00
37	नं० 188 कैम्प–12/93, दि० 24-6-93	साईट आफिसि कवर	2 नं०	5,000.00
38	नं० 189/कैम्प–12/93, दि० 24-6-93	स्पेड	3 नं०	
		आयरन वेल्चा	10 नं०	
		आयरन दुकेट	5 नं०	1,644.00
39	नं० 187 कैम्प–12/93, दि० 24-6-93	आयरन गैंग ठेला	2 नं०	8,306.00
40	नं० 1434/12एम/93, दि० 1-11-93	डीबीडी आपरेटर्स	1 नं०	
		अन्य सामग्री के साथ	प्रत्येक	4,835.25
41	नं० 55ए–15/92, दि० 31-1-92	स्पेड	8 नं०	
		डीपीएक्स	4 नं०	
		बेल्चा	4 नं०	1,816.00
		आयरन बकेंट	4 नं०	
		पंजी	4 नं०	
42	नं० 823/12एम 93, दि० 29-6-93	वेक्यूम क्लीनर	1 नं०	4,490.00
43	नं० 50 कैम्प एई–1/93, दि० 4-5-93	वेक्यूम क्लीनर	1 नं०	3,950.00
44	नं० 594 ए– 15, दि० 1-5-92	वाटर कूलर 120 ली०	1 नं०	13,650.00
45	नं० 593 ए– 15, दि० 1-5-92	एअर कूलर	3 नं०	9,153.90
46	नं० 91/एस/92, दि० 16-6-92	रिफ्रीजरेटर 300 ली०	1 नं०	13,046.00
47	नं० कैम्प 101 एई 92, दि० 7-10-92	बजाज गीजर	2 नं०	8,200.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

सम्बन्धित अध्यापक का नाम एवं पद	विद्यालय का नाम	विद्यालय संस्था का नाम जहां सम्बद्ध किये गये
1–कु० जयश्री राय चौधरी, प्रवक्ता (रसायन शास्त्र)	राजकीय बालिका इण्टर कालेज, लैसडाउन, पौड़ी गढ़वाल	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
2–श्रीमती शान्ती जोशी, सहायक अध्यापिका (स्नातक वेतनक्रम)	राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय, अल्मोड़ा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
3–श्रीमती आशा देवी, प्रवक्ता (हिन्दी)	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, काशीपुर (नैनीताल)	राजकीय कन्या इण्टर कालेज, मैंसी (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी–एल० 84 विधान सभा (129)–1994–813 (डी० टी० पी०)।